लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Unit
12-8-92
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 35,शुक्रवार,9 जुलाई, 1971/18 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 35, Friday, July 9, 1971/Asadha 18, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.		
1021 कलकत्ता से उड़ाने बन्द करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों को अनुमति	Permission to International Airlines to stop operating from Calcutta	1—3
1023 केन्द्रीय स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषाओं का पढ़ाया जाना	Teaching of South Indian Languages in Central Schools	3—7
1025 बोइंग–747 की तकनीकी कमियां	Technological Shortcomings of Boeing—747	7—8
1026 विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता	Financial Aid to Pakistan by world Bank	8—10
1028 दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents in Delhi	10—11
1029 विश्व भारती विश्वविद्यालय में दंगे	Disturbances in Vishwa-Bharati University	11—14
1031 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता	Assistance from United Nations Development Programme	14—15

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1032	सांस्कृतिक और सद्भावना शिष्टमंडलों के लिये सदस्यों के चयन की कसौटी	Criteria for selection of Members for Cultural Delegations and Good will Mission	15—16
1033	राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के कस्टोडियनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य बीमा कर्मचारियों की यूनियन द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by General Insurance Employees Union re: Appointment of Custodians of Nationalised Insurance Companies	16—18
1034	विश्वविद्यालय उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी अध्यापकों के लिये वेतन आयोग	Pay Commission for University, Higher Secondary and Primary Teachers	18—20
1035	सामान्य बीमा कम्पनियों में सार्वजनिक धन का गबन	Embezzlement of Public Funds in General Insurance Companies	21—22
1040	अकाल राहत के लिये राजस्थान को सहायता देना	Assistance to Rajasthan towards Famine Relief	22—23

प्रश्नों के लिखित उत्तर | **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1022	नया वित्त आयोग नियुक्त करने की माँग	Demand for setting up New Finance Commission	23
1024	जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार	Business secured by Life Insurance Corporation	24—25
1027	बोइंग 707 का उपयोग	Utilisation of Boeing 707	25
1030	अधिक लोह अयस्क लादने उतारने के लिए पारादीप पत्तन का विकास	Development of Paradeep Port for handling Increased Quantum of Iron Ore	25
1036	गुजरात में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Gujrat	26

ता०प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1037	भारत सहायता सार्थ संघ से सहायता	Assistance from Aid India Consortium	26
1039	विश्व बैंक सहायता संघ द्वारा पाकिस्तान को वचनबद्ध की गई सहायता का भारत को दिया जाना	Diversion to India of Aid Committed to Pakistan by world Bank Consortium	27
1041	बोनस शेयरों के बारे में मार्ग-दर्शी सिद्धान्त	Guidelines Re : Bonus Shares	27—28
1042	हरिजनों और सफाई कर्म-चारियों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Harijans and Sweepers	28
1043	सामान्य बीमा कम्पनियों में फर्जी कर्मचारी	Ghost Employees in General Insurance Companies	29
1044	सफाई कर्मचारियों द्वारा सिर पर मल का ले जाया जाना	Carrying of Night soil on head by Sweepers	29—30
1045	पटना से वाराणसी तक स्टीमर सेवा	Steamer Service from Patna to Varanasi	30—31
1046	दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities in Delhi	31—32
1047	पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों का जमा हो रहा समान	Luggage of Passengers pilling up at Palam Airport	32
1048	महाराष्ट्र में तटीय नौवहन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Coastal Shipping in Maharashtra	32—33
049	मंगलौर बन्दरगाह परियोजना	Mangalore Harbour Project	33
1050	विदेशी तकनीकी सहयोगियों के सहयोग से चल रही भारतीय कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेना	Take Over of Management of Indian Companies being run in collaboration with Foreign Technical Collaborators	33—34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4352	ट्रैक्टरों के आयात के लिये विश्व बैंक से सहायता	World Bank aid for import of tractors	34
4353	पर्यटन केन्द्र घोषित करने के लिए कसौटी	Criteria for declaring place of Tourist interest	34
4354	तमिलनाडु के ईसाई हरिजनों को हिन्दु हरिजनों के समान समझा जाना	Treatiug Tamil Nadu Christian Harijan at par with Hindu Harijan	35
4355	राजस्थान में कोटा स्टेशन पर अफीम का पकड़ा जाना	Opium seized at Kotah Station in Rajasthan	35
4356	राजस्थान के कुछ जिलों में अफीम की खेती	Opium Cultivation on Districts of Rajasthan	35—36
4357	जौसफ एण्ड कम्पनी, डम डम	Jesseop and Company, Dum Dum	36
4358	रामपुर की बेगम के बहुमूल्य जवाहरात	Valuables belonging to the Begum of Rampur	37
4359	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटा नागपुर और पालामऊ जिले में दिये गये ऋण	Loans advanced by Nationalised Banks in Chhotanagpur and Palamau Districts	37
4360	बिहार के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Rural Urban areas of Bihar	37—38
4361	बिहार में लघु उद्योगों और खेती के लिये दिए गए ऋण	Loans granted fot Small Scale Industries and Agriculture in Bihar	38
4362	हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा विशाखापत्तनम में जहाजों की मरम्मत की व्यवस्था	Arrangements for the repairs of Ships by Hindustan Shipyard at Vishakhapatnam	38—39
4363	अमरीका से सहायता	Assistance from USA	39
4364	गौहाटी और डिबरुगढ़ विश्वविद्यालय को अनुदान	Grants to Gauhati and Dibrugarh Universities	39—40

अता प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4365	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक स्वतन्त्र सुरक्षा दल की मांग	Demand by BHU authorities for an Independent Security force	40
4366	राजस्थान में अकाल के वर्षों में निर्मित सड़कों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के लिए निधि	Funds for Construction and Maintenance of Roads in Rajasthan built during Famine Years	40
4367	मनीपुर में अन्तर ग्राम सड़कों के लिए धन का आवंटन	Allocation of Funds for Inter-village roads in Manipur	41
4368	सरकारी उपक्रमों को हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन निकालने के निर्देश	Direction to Public Undertakings to bring out publications in Hindi and English	41—42
4369	डाक तथा तार पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं के लिए अधिक पेंशन	Higher Pension for P and T Pensioners	42
4370	मद्य निषेध समिति द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिश	Recommendation made by Prohibition Committee re. Government Servants	42
4371	पश्चिमी बंगाल के गांवों में स्थित कालेजों द्वारा वित्तीय सहायता की मांग	Financial help demanded by Colleges in Rural Areas of West Bengal	43
4372	कर्नल पी० दयाल को दुहरा अधिकार देने के बारे में अधिसूचना	Notification Regarding Dual Charge Given to Col. P. Dayal	43—44
4373	पाकिस्तान द्वारा नोटों का विमुद्रीकरण	Demonetisation of Currency by Pakistan	44
4374	स्टेट बैंक आफ इंडिया नई दिल्ली से निकाली गई राशि की वसूली	Recovery of Amount recently removed from State Bank of India, New Delhi	44

4375	सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से रहने अथवा अपने मूल संवर्ग (काडर) में वापिस जाने के बारे में सिविल कर्मचारियों से विकल्प का मांगा जाना	Option from Civil Servants for absorption in Public Undertakings or Reversion to Parent Cadres	44—45
4376	कृषि सम्पदा पर धन कर	Levy of Wealth Tax on Agricultural Assets	45
4377	मैसूर में उत्पादनशुल्क विभाग द्वारा शराब की दुकानों की नीलामी के लिए अपनाई गई प्रणाली	System of Auctioning of Liquor Shops by Excise Department in Mysore	46
4378	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay	46—47
4379	सीमाशुल्क विभाग, कोचीन के कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि के किराये का भुगतान	Payment of rent on land acquired for constructing quarters for the Staff of Customs Department, Cochin	47
4380	कोचीन हवाई अड्डे का वस्तार	Expansion of Cochin Airport	47
4381	गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा व्यापार वाले स्थान से भिन्न राज्य में मुख्य कार्यालय स्थापित किये जाने से कर राजस्व में हानि	Loss in Tax Revenue due to Head offices of Private Companies established in a state other than the place of business	47—48
4382	कोचीन शिपयार्ड से बर्खास्त किये गये नैमित्तिक चौकीदार	Casual watchmen dismissed from Cochin Shipyard	48
4383	आय कर निर्धारण के मामलों की नमूना लेखा परीक्षा	Test Audit of cases of Income Tax Assessment	48—50
4384	केरल में कड़ीपुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण	Constrution of an Aerodrome at Karipur in Kerala	51

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4385	बलियापत्तन सड़क पुल का निर्माण	Construction of Baliapattan Road Bridge	51
4386	कासरगोड पत्तन का लघु पत्तन के रूप में विकास	Development of Kasargod Port as a Minor Port	51—52
4387	त्रिपुरा में इंजीनियरिंग कालेजों के आदि वासी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	Stipend to Tribal Students of Engineering Colleges in Tripura	52
4388	विक्रम विश्वविद्यालय के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for Vikram University	52—53
4389	मध्य प्रदेश में खुदाई	Excavation work in Madhya Pradesh	53
4390	मध्य प्रदेश में पर्यटन से विदेशी मुद्रा का उपार्जन	Foreign Exchange Earnings from Tourism in Madhya Pradesh	53
4391	मध्य प्रदेश में महेश्वर नगर का पर्यटन केन्द्र के रूप में घोषित किया जाना	Declaration of Maheshwar Town in Madhya Pradesh as a Tourist Centre	53
4392	मध्य प्रदेश में फर्मों तथा व्यक्तियों द्वारा आयकर की अदायगी।	Payment of Income Tax by Firms and individuals in Madhya Pradesh	53—54
4393	बैंक के कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक	Meeting of Bank Executives and Employees	54—55
4394	औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निजी क्षेत्र को दिया गया ऋण	Loans given by IFC, LIC and U. T. I. to Private Sector	55
4395	विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा करना	Inclulcating sense of discipline among students	55
4396	उड़ीसा में रायपुर बरहामपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना	Declaration of Raipur Berhampur road in Orissa as a National Highway	55—56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4397	दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा	Proposal for direct air service between Delhi and Bhubaneshwar	56
4398	निर्वाचनों में जाली धन का प्रयोग	Circulation of Counter feit money during Elections	56
4399	केरल में इडक्कातुवयाल में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of civil aerodrome at Edakkattuvayal in Kerala	56
4400	विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तन	Change in University syllabus	57
4401	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के लिये अधिगृहीत की गई भूमि से बेदखल किये गये व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of persons evicted from land acquired for Trivandrum Aerodrome	57
4402	त्रिवेन्द्रम में आई. टी. आई. भवन से बोइंग विमान को खतरा	Hazard to Boeing aircraft by I T I Building at Trivandrum	58
4403	सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को बोनस का भुगतान	Payment of bonus to officers of public Undertakings	58—59
4404	बोइंग विमानों के लिये पालम हवाई अड्डे पर हैंगर का पुन निर्माण	Hanger rebuilt at Palam Airport for Boeing Aircraft	59
4405	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मद्रास में हड़ताल	Strike in the Reserve Bank of India, Madras	60
4406	सिंडिकेट बैंक के साथ धोखाधड़ी	Cheating of Syndicate Bank	60
4407	ट्रैक्टरों पर सीमा शुल्क	Customs Duty on Tractors	61—62
4408	मनीपुर राज्य परिवहन की बसों और ट्रकों का ढांचा बनाने वाली वर्कशाप	Workshops for constructing bodies of Buses and Trucks of Manipur State Transpot	62

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4409 मनीपुर राज्य परिवहन का कार्यकरण	Working of Manipur State Transport	62—63
4410 पूर्वी जोन में जनजाति संस्कृति का अध्ययन	Study of Tribal Culture in Eastern Zone	63—64
4411 कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा विदेश भेजी गयी लाभ की राशि	Profit Remittances of Coco Cola Export Corporation	64
4412 उड़ीसा की पिछड़ी हुई जनजातियों का उत्थान	Upliftment of Backward Tribes in Orissa	64—65
4413 पोरबन्दर पत्तन को हुई क्षति	Damage caused to Porbunder Port	65
4314 मन्दिरों के अधिकार में सोने का मूल्य	Value of Gold in Possession of Temples	65—66
4415 तामिलनाडु के तिरुनेलवेली जिलें में कोट अल्लम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Development of Courtallam in Tirunelvel District of Tamil Nadu as a Tourist Centre	66
4416 मध्य प्रदेश में हरिजनों के ग्रामों में पीने के पानी की सुविधायें	Drinking water facilities in Villages in Madhya Pradesh inhabited by Harijans	66—67
4417 पानीपत के निकट एक कार से घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Watches from a car near Panipat	67
4418 उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी विषयों पर अनुसन्धान कार्य	Research on Subjects relating to Industry and Agriculture	67
4419 शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of facilities for Physical Educational Instructions	68
4420 अन्तर विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना	Setting up of Inter-Universities Examination Board	68
4421 कालेजों में प्रवेश के लिये चन्दा लेना	Acceptance of donations for Admission to Colleges	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4422	पटना स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक	Nationalised Banks in Patna	69—70
4423	सांस्कृतिक संस्थाओं का विकास	Development of Cultural Institutions	70—71
4424	मैसूर में पर्यटन विकास	Development of Tourism in Mysore	71—72
4425	जीवन बीमा निगम द्वारा निकाली गई बीमा योजनायें	Insurance Schemes Evolved by the L I C	72
4426	राष्ट्रीयकृत शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद में नियुक्तियों सम्बन्धी समिति	Committee of N C E R T Appointment	72—73
4427	उत्तरी बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोला जाना	Opening of Branches of Nationalised Banks in North Bengal	73—74
4428	पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मथाभंग के निकट मन्शी नदी पर एक पुल के निर्माण की योजना	Scheme to Construct a Bridge over the River Manshai near Mathabhanga, District Cooch Behar (West Bengal)	74—75
4429	मैनागुडी तथा कूच बिहार के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 के मार्ग में परिवर्तन	Change in the Course of National Highway No. 31 between Maingauri and Cooch Bihar	75
4430	कूच बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता	Financial Assistance by Nationalised Banks in Cooch Behar	75—76
4431	उद्योगों को ऋण देना	Supply of Credit to Industries	76—77
4432	सरकारी होटलों के निदेशक मंडल के सदस्य	Members of the Boards of Directors of Hotels owned by Government	77—78
4433	भारत में आमंत्रित किये गये यात्रा एजेंट फोटोग्राफर तथा टेलिविजन फिल्म निर्माता	Travel Agents, Photographers and T. V. Film Producers invited to India	78—79
4434	अनुसूचित जाति आदिवासियों के शिक्षा सम्बन्धी उत्थान के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान	Grant to Madhya Pradesh Government for Educational uplift of Scheduled Caste Adivasis	79

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4435	हरियाणा तथा तामिलनाडु में फार्मिंग तथा कृष्यकरण के के लिये विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Farming and Reclamation of land in Haryana and Tamil Nadu	80
4436	भारत में विदेशी बैंक	Foreign Banks in India	80
4437	भारत में पंजीकृत लेखा निरीक्षक फर्म	Registered Audit Firms in India	80—81
4438	सहकारी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण	Advances by Scheduled Bank to Co-operative Sector	81
4439	पूर्णिया तथा सहरसा में विमान सेवायें आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Air Service in Purnea and Sharsa	81
4440	व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद्	National Council of Applied Economic Research	82
4441	ईडन गार्डेन, कलकत्ता में क्रीड़ांगण	Stadium in Eden Garden, Calcutta	82—83
4442	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना	Sanction of Projects by Agriculture Refinance Corporation	83
4443	विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति	Policy Re. University Education	83—84
4444	कुटीय उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों पर कर से छूट	Tax Exemptions on Products produced by Cottage Industries	84
4445	राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का रोजगार	Employment to S. C. and S. T. in the Nationalised Banks	84—85
4446	मारमुगाओ में नाविक भर्ती केन्द्र की स्थापना	Setting up of Seamen's Recruitment Centre in Marmagoa	85
4447	डबोलियम हवाई अड्डे पर सिविलियन एन्क्लेव के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to build Civilian enclave at Dabolim Airport	85

4448	केरल के बाढ़ ग्रस्त जिलों के लिये सहायता	Assistance to flood affected Districts in Kerala	86
4449	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी याचिकाओं का इकट्ठा होना	Accumulation of revision petitions under Customs and Central Excise Act.	86
4450	अन्दमान में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिन्सिपलों तथा अध्यापकों को दी गई छूट	Exemption given to Teachers and Principals of Higher Secondary Schools in Andamans	87
4451	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की राशियों को बट्टे खाते में डालना	Debts written off by Nationalised Banks	87—88
4452	ऋण देने के बारे में बैंकिंग नीति	Banking policy regarding lending	88
4453	भारतीय क्षेत्र पर से अपने विमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमान संगठन से शिकायत	Pakistan's complaint to International Civil Aviation Organisation regarding ban on over flights of their aircraft over Indian Territory	88—89
4454	त्रिपुरा की त्रिपुरी भाषा का विकास	Developmeut of Tripuri language of Tripura	89—90
4455	मध्य प्रदेश के देवास जिले में सिक्योरिटी प्रेस	Security Press, Dewas District, Madhaya Pradesh	90—91
4456	अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जन जातियों के प्रशासन के लिये आयोग	Commission for Administration of Scheduled Areas and Scheduled Tribes	91
4457	ग्वालियर खजुराहो सड़क को राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 3 से जोड़ना	Connection of Gwalior Khajuraho Road with National Highway No. 3	91—92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4458	बम्बई कोंकड गोवा सड़क का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विकास	Development of Bombay Konkan Goa Road as a National Highway	92
4459	बम्बई और मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा	Steamer Service between Bombay and Mangalore	92—93
4460	केरल में पर्यटन विकास के लिये आवंटित राशि	Amount alloted for Development of Tourism in Kerala	93
4461	तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्मारक	National Monuments in Tamil Nadu	93—94
4462	शिप बिल्डिंग यार्ड, विशाखापत्तनम में हरिजन लड़कों को विशेष प्रशिक्षण	Special Training to Harijan Boys at Ship Building Yard, Visakhapatnam	94
4463	आदिवासी संस्थान	Tribal Institutions	94—95
4464	आदिवासी विकास सम्बन्धी नये ब्लाकों की स्थापना	Opening of New Tribal Development Blocks	95—96
4465	उड़ीसा की पिछड़ी जनजातियों में साक्षरता	Literary among Backward Tribes in Orissa	96
4466	मद्रास पतन की तेल जट्टी की प्रगति	Progress of Oil Jetty at Madras Port	96—97
4467	भगवंतम समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Bhagavanatham Committee	98
4468	महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के निकट गिरना पुल को सुधारा जाना	Improvement of Girna Bridge near Malegaon, District Nasik (Maharashtra)	98
	ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में	Re: Calling Attention	99—100
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	100—101
	विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	101—102
	अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकार विधेयक पुरःस्थापित	International Airports Authority Bill Introduced	102

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक पुर: स्थापित	Central B ɔard of Direct Taxes (Validation of Proceedings) Bill-Introduced	102—103
अनुदानों की माँगें, 1971–72	Demands for Crants, 1971—72	103
रक्षा मंत्रालय	Ministry of Defence	104
श्री एन. श्रीकांतन नायर	Shri N. Srikantan Nair	104
श्री डी. एन. तिवारी	Shri D.N, Tiwary	105—106
श्री एच. एम पटेल	Shri H.M. Patel	106—108
श्री मुल्कीराज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	108—109
श्री एन. टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	109—110
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	110—111
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey	111—112
श्री जे. एम. गौडर	Shri J.M. Gowder	112—113
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Chara n Shukla	113—116
श्री एन. एस. बिष्ट	Shri N.S. Bisht	116—117
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	117—118
श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy	118
डा. मेलकोटे	Dr. Melkote	118—119
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	119
विधेयक पुर: स्थापित	Bill Introduced	119
1. श्री मधु दण्डवते का सीमा आयोग विधेयक, 1971	Boundary Commission Bill by Prof. Madhu Dandavate	119—120
2. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)	Contitution (Amendment) Bill (Amendment of Articles 19 and 326) by Dr Laxminarain Pandey	120

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3. श्री मधु दण्डवते का संविधान (संशोधन) विधेयक, 1971 (नये अनुच्छेद 23 क, 23 ख और 23 ग का अन्त: स्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Insertion of new Articles 23—A 23—B and 23—C) by Prof. Madhu Dandavate	120
4. श्री अटल बिहारी वाजपेयी का संविधान (संशोधन) विधेयक 1971 (अनुच्छेद 368 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 368) by shri Atal Bihari Vajpayee	121
5. श्री अटल बिहारी वाजपेयी का संविधान (संशोधन) विधेयक 1971 (अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन)	Constitution (Amendment) Bill (Substitution of Article 370) by Shri Atal Bihari Vajpayee	121
6. श्री राम रतन वर्मा का अग्न्यायुद्ध और गोलाबारूद कब्जे में रखना विधेयक, 1971	Possession of Fire arms and Ammunitions Bill by Shri R. R. Sharma	121—122
संपरिवर्तन रोक विधेयक	Prevention of Conversion Bill	122
विचार करने का प्रस्ताव-अस्वीकृत	Motion to consider–negatived	122
श्री जी. विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	122
श्री एस. एम. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	122
श्री मोहसिन	Shri Mohsin	122—123
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi	123—124
संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक (धारा 3 का संशोधन)—वापस लिया गया	Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Bill(Amendment of Section 3)—Withdrawn	124
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	124
श्री एन. श्री कान्तन नायर	Shri N. Srikantan Nair	124—127
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	127
श्री के. एम. मधुकर	Shri K. M. Madhukar	127 –128
डा. कैलास	Dr. Kailash	128

अता० प्र० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	श्री आर. आर. शर्मा	Shri R. R. Sharma	128—129
	श्री जी. विश्वनाथन	Shri G, Viswanathan	129
	श्री. एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	129—120
	श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	1 30—131
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	131—134
	दान कर (संशोधन) विधेयक	Gift-Tax (Amendment) Bill	134
	(धारा 22,23 आदि का संशोधन)	(Amendment of Section s22,23 etc.)	134
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	134
	श्री एम. सी. सामन्त	Shri S.C. Samanta	134
	श्री के. आर. गणेश	Shri K.R. Ganesh	135

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 9 जुलाई, 1971/18, आषाढ़, 1893 (शक)
Friday, July 9, 1971/Asadha 18, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता से उडानें बन्द करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों को अनुमति

*1021. **श्री गदाधर साहा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को कलकत्ता से उडानें बन्द करने और बम्बई से अथवा दिल्ली से उडानें भरने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने कलकत्ता हवाई अड्डे की नई अन्तर्राष्ट्रीय इमारतें के विकास पर कितनी राशि खर्च की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की चिन्ता है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के रूप में कलकत्ता का महत्व किसी भी तरह का नहीं होना चाहिये । तथापि, विदेशी एयरलाइनों के वाणिज्यिक विचार-विवेक और

विदेशों में अपने वाहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, परिचालनों के प्रकार में कुछ पुनः समंजन किया गया है ।

(ग) कलकत्ता विमान क्षेत्र पर लगभग दो करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नये टर्मीनल भवन का निर्माण किया गया है ।

श्री गदाधर साहा : क्या मन्त्री महोदय उन अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के नाम बतायेंगे जिन्हें कलकत्ता से उडानें बन्द करने की अनुमति दी गयी है ?

डा० कर्ण सिंह : यह बताने से पूर्व मैं श्रीमन् की आज्ञा से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । किसी विशेष स्थान को उड़ान भरने के लिये हम किसी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनी को बाध्य नहीं कर सकते । वे वाणिज्यिक दृष्टि से उड़ानों के बारे में निश्चय करती हैं ।

जिन हवाई कम्पनियों ने हाल ही में कलकत्ता से उड़ानें बन्द की हैं उनके नाम हैं : स्विसेयर, अलिटेलीया तथा लुफ़यन्सा । परन्तु गत तीन चार वर्षों में जिन अन्य तीन हवाई कम्पनियों ने उड़ानें बन्द की हं उनके नाम हैं : एयर फ्रांस, कैथेपैसिफिक तथा टी. एम. ए., जोलैवेनॉन की एक मालवाहक कम्पनी थी ।

श्री गदाधर साहा: वे कौनसी विमान कम्पनियां हैं जो अभी भी कलकत्ता से उड़ानें भर रही हैं ?

डा० कर्ण सिंह : इस समय कलकत्ता सेजोनौ विभान कम्पनियां उडाने भर रही हैं उनके नाम हैं : एयरोफ्लोट, बी. ओ. ए. सी., जापान एयरलायन्स, पैन ऐम, कन्तास, रायल नेपाल एयर लायन्स, ऐस. ए. ऐस., थाई एयरवेज तथा यूनाईटिड बर्मा एयरलायन्स परन्तु इनमें से पैन ऐम ने नोटिस दिया है कि पहली अगस्त से उडाने नहीं भरी जायेंगी ।

श्री सुबोध हन्सदा : क्या यह तथ्य है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है और यदि हां कलकत्ता से उड़ानें बन्द करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के साथ बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, देशों तथा एयरलायन्ज के बीच द्विपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप विमान सेवायें प्रारम्भ की जाती हैं । इन समझौतों के सम्बन्ध में होने वाली बातचीत एक निरन्तर प्रक्रिया है और जब विशेषतया नई किस्म के विमान की उड़ानें प्रारम्भ की जाती हैं तो नई सिरे से बातचीत की जाती है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :मन्त्री महोदय ने बताया है कि विमान कम्पनियों को वाणिज्यिक दृष्टि से उड़ानें भरने सम्बन्धी निश्चय करने की स्वतन्त्रता है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या कलकत्ता से उडानें बन्द करने वाली विमान कम्पनियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पर्याप्त मात्रा में लोग यात्रा नहीं करते और यदि हां, तो मेरा अनुमान है कि दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियां भी यह तर्क दे सकती हैं अथवा क्या ऐसा अन्य कारणों से तो नहीं है जिन्हें राजनीतिक कारण कहा जा सकता है ?

डा० कर्ण सिंह : एक विदेशी विमान कम्पनी विभिन्न कारणों से इस प्रकार का निश्चय करती है और दूसरे देशों में उड़ानें भरने सम्बन्धी हमारे भी इस प्रकार के कारण होते हैं। इसमें वाणिज्यिक तथा अन्य बातें होती हैं। मेरे लिए यह बताना वास्तविक रूप से कठिन होगा कि उन्होंने किन कारणों से ऐसा किया। परन्तु वे सामान्य तौर पर कहते हैं कि, "हम परिवर्तन करना चाहते हैं।" वे वास्तविक कारण नहीं बताते। यदि मैं विस्तार से कहूं तो मैं अनुभव करता हूं कि दोनों बातों के कारण ऐसा होता है। एक तो यातायात का कारण है और मेरे विचार में दूसरा कारण, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिये, पश्चिम बंगाल में गड़बड़ की स्थिति भी इसके लिये उत्तरदायी है। मैं आशा करता हूं कि ऐसा अस्थायी तौर पर होगा और कलकत्ता जो कि पूर्व भारत का मुख्य द्वार है, सबसे बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लेगा।

श्री जगन्नाथ राव : क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता से उडानें भरने वाली इन कम्पनियों को पालम, सान्ताक्रूज अथवा मीनाम्बक्कम हवाई अड्डों से उडानें भरने की अनुमति प्रदान की गयी है ?

डा० कर्ण सिंह : श्रीमन्, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और हम सामान्यतया किसी वायुयान को दो से अधिक स्थानों से उडानें भरने की अनुमति नहीं देते। उनकी आवश्यकताओं और हमें उनसे क्या आशायें हैं, इसको ध्यान में रख कर बातचीत की जाती है। पहले पहल कलकत्ता तथा बम्बई दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। अब विदेशी विमान कम्पनियों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि दिल्ली से उड़ानें भरें क्योंकि यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे का रूप धारण कर रहा है। अतः विमान कम्पनियां कलकत्ता से दिल्ली की ओर आ रही हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा मुझे आशा है कि निकट भविष्य में इस स्थिति में परिवर्तन होगा।

केन्द्रीय स्कूलों में दक्षिण भारतीयों भाषाओं का पढ़ाया जाना

*1023. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक केन्द्रीय स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को पढ़ाने की कोई सुविधा नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ये सुविधाएं प्रदान करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) : केन्द्रीय स्कूलों की स्थापना जो कि केन्द्रीय विद्यालय के नाम से भी

प्रसिद्ध है, दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में की गई है। आयोग ने केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों के बच्चों के हितार्थ, जिनका अक्सर तबादला हो सकता है, सामान्य पाठ्यचर्या और शिक्षा माध्यम के माध्यमिक स्कूलों की स्थापना की सिफारिश की थी। केन्द्रीय स्कूलों में, स्थानान्तरणीय रक्षा कार्मिकों, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों के बच्चों के प्रवेश को प्राथमिकता दी जाती है। अन्य चलायमान ऐसे व्यक्ति भी, इन स्कूलों में दाखिले के पात्र हैं, जो इस प्रकार की सामान्य शिक्षा पद्धति के इच्छुक हों, बशर्ते प्राथमिकता की श्रेणियों की जरूरतें पूरी करने के बाद कोई सीट बाकी हो। इन स्कूलों में, हिन्दी और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और विद्यार्थियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा संचालित अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। सामान्य पाठ्यचर्या के अतिरिक्त. जिस क्षेत्र में कोई केन्द्रीय स्कूल स्थित हो, उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा भी उक्त स्कूल में पढ़ाई जाती है। इसके लिए शर्त यह है कि इस सुविधा को प्राप्त करने के इच्छुक कम से कम 20 विद्यार्थी होने चाहिए।

श्री ए० के० गोपालन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मन्त्रालय को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दक्षिणी क्षेत्र की सेक्शन आफिसर्स एसोसिएशन की ओर से केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम और उनकी शिकायतों सम्बन्धी कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या उन्हें कोई उत्तर दिया गया था?

श्री डी० पी० यादव : केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा हिन्दी है। और हमने इन्हीं माध्यमों को लागू किया है।

श्री ए० के० गोपालन : मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को कोई ज्ञापन मिला है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों माध्यम हैं। क्या मन्त्रालय को कोई ज्ञापन मिला है?

श्री डी० पी० यादव : नहीं, श्रीमान जी।

श्री ए० के० गोपालन : महोदय, प्रश्न पूछने का क्या लाभ है? शिक्षा मन्त्रालय को एक ज्ञपिन भेजा गया है जिसकी प्रतियां प्रधान मन्त्री, श्री स्वामी नाथन, श्री मनोहरन तथा सेठ गोविन्द दास और अन्य संसद् सदस्यों को भेजी गई है मन्त्री महोदय को बताना चाहिये कि उन्हें ज्ञापन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ज्ञापन किस तारीख का है?

श्री ए० के० गोपालन : ज्ञापन की तारीख 3--6-1971 है।

श्री डी०पी० यादव : मैं ज्ञापन को देखकर उसके ब्यौरे के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री ए० के० गोपालन : मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें लिखा है : "सामान्य पाठ्यक्रय के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय में उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने का प्रबन्ध किया गया है।"

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र का पालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री डी० पी० यादव : जहाँ तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है......(**व्यवधान**)...... देश के अधिकांश दक्षिणी भागों में 25 विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई प्रारम्भ की गई है। जहां विद्यालय में 20 छात्र हों वहां हम क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए एक अध्यापक नियुक्त करते हैं।

श्री ए० के० गोपालन : मेरा प्रश्न तो कुछ और ही था। वक्तव्य में कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषा भी पढ़ाई जायेगी। कुछ विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई नहीं जाती। क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसकी जांच कीजिये।

श्री डी० पी० यादव : इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा।

श्री ए० के० गोपालन : यहां आने वाले नये मन्त्रियों को कोशिश करके प्रश्न को समझकर उचित उत्तर देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रश्न पूछने का क्या लाभ है ?

अध्यक्ष महोदय : वे सबसे छोटी आयु के हैं और नये मन्त्री हैं।

श्री ए० के० गोपालन : इसलिये मैं कहता हूं कि वे और समय ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सबसे छोटी आयु के मन्त्री का सबसे पुराने संसद् सदस्य से वास्ता पड़ा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या सरकार दक्षिण भारत स्थित विद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं की पढ़ाई चालू करायेगी ?

श्री जगन्नाथराव : केवल दक्षिण भारत में ही क्यों ? उत्तर भारत में भी।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : यदि सभी विद्यालयों में ऐसा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार का दक्षिण भारत में तो ऐसा कर ही देना चाहिये।

श्री डी० पी० यादव : मैं उन विद्यालयों के नाम बताता हूं जिनमें क्षेत्रीय भाषायें पढ़ाई जा रही हैं .....

श्री आर० वी० स्वामी नाथन् : हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या मन्त्री महोदय दक्षिण भारत के विद्यालयों में दक्षिण भारतीय भाषाओं की पढ़ाई चालू करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे।

श्री डी० पी० यादव : हम इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को शान्ति से प्रश्न पूछना चाहिये और मन्त्री महोदय को चक्कर में नहीं डालना चाहिए । माननीय सदस्य की इस प्रकार की शारीरिक चेष्टाओं से मन्त्री महोदय भयभीत हो जाते हैं ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है ?

श्री डी० पी० यादव : हम विचार करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I will ask the question in such a way that the Minister will find it easy to answer. He has stated that the medium of Instruction in Central School is English or Hindi. Has he received any complaint stating that there is only English as the medium of Instruction in some non-Hindi area schools ?

Shri D. P. Yadava : There is no such school.

श्री बाल तन्डायुतम : वक्तव्य से पता चलता है कि किसी विद्यालय विशेष में उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा, जिसमें विद्यालय स्थित है, की पढ़ाई का प्रबन्ध किया गया है । क्या सरकार छात्र को उसके क्षेत्र की भाषा पढ़ाने का भी प्रबन्ध करेगी ताकि वह अपनी मातृ भाषा को भी पढ़ सकें ।

श्री डी० पी० यादव : यदि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 20 हो तो हम उनकी भाषा पढ़ाते हैं ।

श्री बाल तन्डायुतम : मैं उस क्षेत्र की भाषा के विषय में पूछ रहा हूं जिससे छात्र का सम्बन्ध है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनका मतलब छात्र के क्षेत्र की भाषा से है ।

श्री डी० पी० यादव : यह विद्यालय उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिनका स्थानातंरण होता रहता है ।

श्री जगन्नाथ राव : उनमें स्थानीय लोगों को भी प्रवेश मिल जाता है ।

श्री बाल तन्डायुतम : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या सरकार उस क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई का प्रबन्ध करेगी जिससे छात्र का सम्बन्ध हो ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि यदि 20 छात्र हों तो विचार करेंगे ।

श्री बी० एन० रेड्डी : इन विद्यालयों में कौनसा सूत्र लागू है ? द्विभाषा अथवा त्रिभाषा सूत्र ? सरकार को इस मूल प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कोई इन प्रकार का प्रबन्ध है जिससे छात्र को उसकी क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जा सके ।

श्री डी० पी० यादव : यदि 20 छात्र हों तो उन्हें उनकी भाषा पढ़ाई जाती है ।

श्री बाल तन्डायुतम : वे तो वक्तव्य में जो लिखा है उसी को दुहरा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मन्त्री महोदय को अपनी पसन्द का उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं करना चाहिये ।

श्री बाल तन्डायुतम : यह प्रश्न मेरी पसन्द का नहीं है । वक्तव्य के अनुसार उस क्षेत्र की भाषा की पढ़ाई का प्रबन्ध है जिसमें विद्यालय स्थित है । क्या उनका मतलब है कि विद्यार्थियों को उनकी इच्छानुसार उनकी मातृभाषा भी पढ़ाई जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यही तो वे कह रहे हैं। यदि 20 छात्र हों तो ऐसा प्रबन्ध हो सकता है । मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय की स्पष्ट बात को समझा नहीं है ।

बोइंग 747 की तकनीकी सम्बन्धी कमियां

*1025. **श्री दशरथ देव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 1971 के 'लन्डन इकानामिस्ट' में 'बोइंग 747 दी एलीफेंट दे कान्ट फारगेट' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें एयर इण्डिया द्वारा हाल ही में खरीदे गये बोइंग 747 की बहुत सी तकनीकी खामियों का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एयर इण्डिया ने विमान की मशीनरी में कुछ पुर्जे बदलवाये हैं जो इसके डिजाइन में दोष का पता लगाने के कारण आवश्यक था और इसकी लागत का भुगतान भी कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अतिरिक्त भुगतान के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : जब भी नये विमानों का परिचालन प्रारम्भ किया जाता है तो प्राय: कुछ एक तकनीकी समस्यायें सामने आती हैं और उपेक्षित सुधार एवं संशोधन-कार्यों के करने में कुछ समय लगता है । एयर-इण्डिया द्वारा दो बोइंग 747-बी विमान प्राप्त कर लिए गए हैं। यह विमान प्रारम्भ में निर्मित बोइंग 747 विमान का दूसरा परिष्कृत रूप है जिसमें निर्माताओं द्वारा वितरण की तारीख तक अपेक्षित समझे गये सुधार किये गये हैं । इसका मूल्य 7 प्रतिशत अधिक है और विमान के ढांचे में सुधार करने के अलावा इसमे लगे हुए आठ और उनसे अतिरिक्त चार फालतू इंजनों में भी सुधार किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय उन्हें विमान से यात्रा करवाकर संतुष्ट कर सकेंगे ?

श्री दशरथ देव : "जम्बो जेट" अर्थात् "बोईंग 747" की उड़ान करने पर पता चला कि इसके इन्जन छोटे थे जो आशानुसार वजन उठाकर नहीं ले जा सकते थे और विमान सुधार

की आवश्यकता थी। क्या यह तथ्य है ? यदि हां, तो इन्जनों की जांच करने से पहली ही खरीद कैसे की गयी ? इसके अलावा सुधार करने में मूलभूत कीमत का 7% जो व्यय होगा उसको कौन वहन करेगा, एयर इण्डिया अथवा विमान कम्पनी ?

डा० कर्ण सिंह : हमने शुरू में 747 किस्म के विमान का क्रयादेश दिया था। केवल हमने ही ऐसा क्रयादेश नहीं दिया था, कई अन्य विमान कम्पनियों ने भी इनका क्रय करके उड़ानें चालू कर दी थीं। जब विमान प्रयोग में लाया गया तो पता चला कि कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी और यह सुधार उपयोगी होंगे। विमान प्राप्त करने में अभी 15-16 दिन शेष थे अत: हमने सुधरा हुआ नमूना अर्थात् 747 बी विमान क्रय करने का निश्चय किया। यह स्वाभाविक है कि इसी मध्य हुए तकनीकी विकास का हम भरपूर फायदा उठाना चाहते थे। अत: हमें उसी सुधरे हुये नमूने की कीमत अदा करनी है। हमने इस समय का फायदा उठाया और सुधरे किस्म का विमान क्रय किया है।

श्री दशरथ देव : क्या यह तथ्य है कि मन्त्रिमण्डल में कोई उच्च शक्ति प्राप्त व्यक्ति है जो चाहते थे कि इस विमान का प्रत्येक भाग अमेरिकन अथवा विदेशी हो और इसीलिये विमान के लिये आवश्यक गालीचे और चित्र भी विदेशों से आयात किये गये तथा भारतीय तकनीशनों एवं विमान उद्योग की अवहेलना की गयी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री महोदय इन्हें हटवाकर हमारे अपने उद्योग को प्रोत्साहन देंगे ?

डा० कर्ण सिंह : ऐसी कोई बात नहीं है कि मन्त्रीमण्डल में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका विमान कम्पनी में किसी प्रकार का हित हो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल उच्च सत्ता भद्र पुरुष है।

डा० कर्ण सिंह : जब नया विमान खरीदा जाता है तो बहुत से उपकरण भी इसके साथ आते हैं। मुझे पता नहीं है कि माननीय सदस्य ने विमान को भीतर से देखा है अथवा नहीं। उन्हें देखकर प्रसन्नता होगी कि इसकी सजावट भारतीय कलाकारों ने की है। मेरे विचार में यह सर्वाधिक आकर्षक सजावट है और सर्वथा भारतीय परम्परा के अनुकूल है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि हम जहां सम्भव होगा स्थानीय अनुभव का भरपूर तथा अधिकतम लाभ उठायेंगे।

Shri Ramchandra Vikal : Will the Minister state whether he knew about seven the percent extra expenditure before the purchase of the plane or it was a later development ? If it was known later on, who was responsible for not informing about it before the purchase was effected ?

अध्यक्ष महोदय : वे इसी प्रश्न का उत्तर तो देने का पूर्ण प्रयास कर चुके हैं।

विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान को वित्तीय सहायता

*1026. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने पाकिस्तान को तब तक वित्तीय सहायता न देने का निर्णय

किया है जब तक कि पूर्वी बंगाल के साथ राजनीतिक समझौता नहीं हो जाता;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस बारे में भारत के साथ भी कोई पत्र-व्यवहार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को विश्व बैंक द्वारा लिए गए ऐसे किसी निश्चय की जानकारी नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

Shri Ishwar Chaudhry : May I know the names of the countries which are giving aid to Pakistan? What steps the Government has taken to stop that ? Will the financial aid which Pakistan is receiving at present not be used to commit genocide in Bangla Desh ?

Mr. Speaker : You question pertains to World Bank.

Shri Ishwar Chaudhry : He is not in a position to give information about it is he prepare to give other information ?

Mr. Speaker : You had asked about World Bank. He has given a reply to that. Please do not ask about other countries.

Shri Atal Bihari Vajpayee : There are other Countries in World Bank,

अध्यक्ष महोदय : यह बैंक है, देश नहीं, है ।

Shir Ishwar Chaudhry : What steps have been taken by the Government to check the World Bank from givingl any financial assistance to Pakistan in future ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पैरिस स्थित विश्व बैंक के यूरोपीय कार्यालय ने 21 जून, 1971 को एक प्रैस विज्ञाप्ति जारी की थी जिसके अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में पैरिस में 21 जून, 1971 को पाकिस्तान को दी जा रही विकास सम्बन्धी सहायता से सम्बन्धित सरकारों और संस्थाओं की एक अनौपचारिक बैठक हुई थी । बैंक द्वारा यह बैठक बैंकों और इसके मिशनों, जिन्होंने हाल में पाकिस्तान का दौरा किया था, के निष्कर्ष पर प्रतिवेदन देने के लिये बुलाई गई थी और बाद में इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ चर्चा हुई । इस बैठक में बैंक ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से कोई वचन देने को नहीं कहा । अतः यह एक ऐसी बैठक थी जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का दौरा करने वाले मिशनों के कार्य का अनुमान लगाया गया । यह मात्र कुछ था जो वहां हुआ । जब तक ये प्रश्न उनके सामने नहीं रखे जायें तब तक मैं यह नहीं कह सकता हूं कि विश्व बैंक क्या कर सकता है अथवा उसे क्या करना चाहिये ।

Shri Ishwar Chaudhry : I wanted to know the steps taken by the Government to stop future financial aid to Pakistan by the World Bank ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सामान्य जनमत तैयार किया जा रहा है । उसके लिये हमारे प्रतिनिधि भिन्न-भिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं । उससे निश्चय ही विश्व बैंक प्रभावित होगा ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

*1028. **श्री †राजेन्द्र प्रसाद यादव** :
श्री प्रताप सिंह नेगी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में होने वाली घातक सड़क दुर्घटनाओं में से 80 प्रतिशत से अधिक दिल्ली परिवहन के ड्राइवरों द्वारा असावधानीपूर्वक और तेज गति से मोटर गाड़ियां चलाने के कारण होती हैं, और

(ख) लापरवाह ड्राइवरों को तेज गति से मोटर गाड़ियाँ चलाने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं । यातायात पुलिस, दिल्ली, द्वारा संकलित आंकडों के अनुसार गत तीन कलैण्डर वर्षों के दौरान डी० टी० यू० बसों से संसद घातक सड़क दुर्घटनाओं की ऐसी दुर्घटनाओं की कुल संख्या से प्रतिशतता: 16·8, 12·18 और 9·5 थी ।

(ख) दिल्ली यातायात पुलिस विभिन्न माध्यमों से सड़क सुरक्षा शिक्षा देती रहती हैं और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यातायात विनियमों का प्रवर्तन कठोरता से किया जाता है ।

विभिन्न सड़कों, विशेषकर यहां प्राय: दुर्घटनाएं होती हैं, पर दुर्घटनाओं की संख्या को नोट करके इस उद्देश्य के लिए कार्यक्रम बनाने के बाद रफतार की जांच के लिए अभ्यान चलाया जाता है ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम ने अपने चालकों को असावधानी से गाड़ी चलाने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किये हैं :—

(1) अच्छे तथा सुरक्षित चालन पर व्याख्यान

(2) आवधिक नवीकर पाठ्यक्रम की व्यवस्था

(3) प्रत्येक सड़क दुर्घटना, जिसमें दिल्ली परिवहन उपक्रम की गाड़ी अन्तर्ग्रस्त होती है, की समीक्षा विभागीय दुर्घटना समिति द्वारा की जाती है तथा कदाचारी चालकों का उचित दंड किये जाते हैं ।

(4) एक दुर्घटना मुक्त पुरस्कार योजना चालू की गई है जिसमें प्रति वर्ष एक सौ रुपये का पुरस्कार दिया जाता है ।

Shri R. P. Yadav : I wanted to know whether 80 percent of the accidents occur due to careless and rash driving but the reply is different. Will the hon. Minister give a reply to my specific question ?

Shri Raj Bahadur : Your question reads : whether 80 percent of the fetal accidents which occur in Delhi are due to careless and rash driving. In my reply to that I have given figures of the last three years which are : 16·8, 12·18 and 9·5 percent.

Shri R. P. Yadav : Is the Government aware that many accidents occur due to the drivers being drunk ?

Shri Raj Bahadur : There are so many causes and it may be one of them. But that cannot be ascertained.

Shri Hukam Chand Kachwai : Is the hon. Minister aware that the main cause of the accidents is road crossing by the people. Are there any proposals to construct overbridges on the roads where there are offices and industries so that people may cross roads by overbridges ?

Mr. Speaker : Is somebody after you ?

Shri Raj Bahadur : The suggestion given by the hon. Member is good. A ssoon as the required funds will be awailable, that will be done.

विश्व भारती विश्वविद्यालय में दंगे

* 1029. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में विश्व भारती विश्वविद्यालय में अनेक घटनाएं घटी हैं तथा दंगे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दंगों के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा करने और अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) . विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

विभिन्न उग्रवादी तत्वों द्वारा विश्वविद्यालय में की गई अव्यवस्था और न्युनाधिक मात्रा में हिंसा की घटनाएं ध्यान में आई हैं । ऐसी अव्यवस्था को रोकने के लिए सरकार कानून के अन्तर्गत सभी सम्भव कदम उठा रही है । विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद के अनुरोध पर विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा के लिए और प्राधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों तथा शान्ति निकेतन और श्रीनिकेतन के निवासियों की सुरक्षा के लिए भी पुलिस सहायता की व्यवस्था की गई है ।

विश्वविद्यालय से मिली प्रार्थना के उत्तर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुदान भी दिये हैं ताकि विश्वविद्यालय रपटवां किवाड़, दबने वाले गेट, जहां आवश्यकता हो, आग बुझाने के उपस्करों के संस्थापन और प्रमुख स्थानों पर सशस्त्र अतिरिक्त रक्षकों के तनात करने जैसे कुछ सुरक्षात्मक उपाय कर सके। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों के सिरों पर कांटेदार तार के बाढ़ सहित जस्तेदार लोहे की कड़ीदार जंजीर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

श्री एन० ई० होरो : क्या सरकार को पता है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में रहने वाले कुछ लोग भी तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां कर रहे हैं जिस कारण वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग करने की अनेक घटनाएं हुई हैं ?

दूसरी बात यह है कि क्या मन्त्री महोदय सदन को यह जानकारी देंगे कि विश्वविद्यालय में सुरक्षात्मक उपाय करने में सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

श्री डी० पी० यादव : विश्व विद्यालय के प्रांगण में लोगों द्वारा नक्सलवादी गतिविधियों में शामिल हो जाने की घटनाएं हुई हैं; निश्चय ही कुछ लोग हैं जो इन कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। कुछ रिपोर्टें हुई और कुछ छात्रों को निष्कासित किया गया। जहाँ तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शान्तिनिकेतन में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए 1·50 लाख रुपये की राशि मंजूर की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विश्व भारती विश्वविद्यालय बीरभूम जिले में स्थित है। हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि बीरभूम जिले में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने सेना भेजने का निर्णय किया है। क्या सरकार का विचार विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्राँगण में सेना के यूनिट भेजने का है ? मैं समझता हूं, नहीं।

श्री डी० पी० यादव : सेना भेजने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार उसे भेजेगी...

(व्यवधान)

श्री सुबोध हंसदा : क्या सरकार को पता है कि कतिपय निवारक उपाय करने के बाद भी बहुत सी घटनायें हुई हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन प्रश्नों का उत्तर श्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा दिया जाना है; उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए। वह दिल्ली में हैं। वह यहां उपस्थित क्यों नहीं हैं ? **(व्यवधान)** वह शिक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने शिक्षा मन्त्रालय छोड़ा नहीं है। उन्हें इस सभा का सम्मान करना चाहिये।

श्री सुबोध हंसदा : मैं उन घटनाओं के बारे में पूछ रहा हूं जो सुरक्षात्मक उपाय करने के बाद हुये हैं।

अध्यक्ष महोदय : गत दो वर्षों में जो गड़बड़ हुई उसके बारे में वह उत्तर दे चुके हैं। आप पूछ रहे हैं, इसके बाद क्या हुआ ? वे आने वाले हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा औचित्य का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में सुन लिया हैं। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शिक्षा मंत्री को सदन में उपस्थित होना चाहिए... **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : सभा का इसमें कोई अनादर नहीं है। मैं निश्चय ही उन्हें सभा की भावना से अवगत करा दूंगां। वह आ जायेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : रक्षा मन्त्रालय की मांगों की चर्चा के समय शिक्षा मन्त्री उपस्थित होंगे। प्रश्न-काल में वह उपस्थित नहीं हैं। बाद में आने का क्या फायदा होगा ?

श्री समर गुह : विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना टैगोर के द्वारा की गई थी···

अध्यक्ष महोदय : इसे सभी जानते हैं।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए यह दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार के विश्व विद्यालय की आज यह स्थिति हो गई है। क्या सरकार इस मामले की गहराई से जाँच करने और उपचारों का सुझाव देने के लिए संसद-सदस्यों की एक समिति वहां भेजेंगी और क्या सरकार ऐसा करने के लिये तैयार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस विषय से यह प्रश्न संगत नहीं है; इसका उत्तर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री समर गुह : क्या विश्व भारती विश्वविद्यालय में हो रही गड़बड़ की जाँच करने और उपचारों का सुझाव देने के लिए ऐसी समिति नियुक्त की जायेगी ? क्या सरकार संसद सदस्य की समिति नियुक्त करने को तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव है, प्रश्न नहीं।

श्री समर गुह : श्रीमन्, मन्त्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं। क्या यह संगत प्रश्न नहीं है ? समझ में नहीं आता। वहां विश्वविद्यालय में काफी गड़बड़ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ बहस न करें।

यह सुझाव है। श्री पंडा अगला प्रश्न।

श्री समर गुह : समझ में नहीं आता प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न के लिए अनुमति नहीं दी जाती है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शाँत रहें।

श्री समर गुह : श्रीमन् मेरा विशेषाधिकार का प्र

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। कृपया बैठ जाइये।

श्री समर गुह : श्रीमन्, मैं अनुरोध करता हूं, आप हमारे सभी अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के रक्षक हैं। यदि यह संगत नहीं है तो और क्या संगत होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अच्छा यदि मैं इस प्रकार आपको संरक्षण दूंगा तो माननीय सदस्यों को अवसर नहीं मिलेगा। कृपया बैठ जाइये।

श्री समर गुह : मैंने पूछा था कि क्या संसद् सदस्यों की समिति नियुक्त की जायेगी ? वहां के मामले की जांच करने के लिये किसी समिति की नियुक्त के बारे में क्या मैं पूछ नहीं सकता हूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह इतना ही जानना चाहते हैं कि क्या सरकार संसद् सदस्यों की समिति भेजने के लिये तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरा सिर-दर्द न बढ़ाइये।

यह प्रश्न वहां जो बहुत सी घटनाये और गड़बड़ हुई, उनके बारे में है। वह तथ्यपूर्ण जानकारी है जो वह चाहते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसी प्रश्न के सम्बन्ध में वह जानना चाहते।

श्री समर गुह : इसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने जानना चाहा था। यदि आग लगी हो और हमें एक बाल्टी पानी चाहिए तो क्या वह नहीं दी जायेगी ? क्या यह संगत नहीं है ? क्या य ह असंगत ? मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आग न लगने दें।

श्री समर गुह : क्या हो रहा है ? समझ में नहीं आता; प्रत्येक अनुपूरक प्रश्न को असंगत समझा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता

*1031. **श्री मुहम्मद शरीफ** : **श्री एस० एम० कृष्ण**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी (गवर्निंग) परिषद् ने विकासशील देशों को कुछ अधिक सहायता देने की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के लिये कितनी सहायता मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 20·5 लाख डालर।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की तकनीकी सहायता शाखा द्वारा स्थापित की जा रही पूर्व-निवेश सर्वेक्षण परियोजना ने तमिलनाडु के खनिज संसाधनों का अध्ययन कर लिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में इस समय मेरे पास अधिक जानकारी नहीं है। पर मैं उन्हें विषय-वार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ सूचना दे सकता हूं। अब तक हमने 61 कार्यक्रम स्वीकार किये हैं। राज्यवार जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री मुहम्मद शरीफ : जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा मछली पकड़ने के पत्तनों का पूर्व निवेश सर्वेशण करने के लिए अनुपूरक सहायता दे दी है, क्या सरकार तमिलनाडु और केरल के तटों की ओर और अधिक ध्यान देगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही ये बड़े महत्व के विषय है और इन कार्यक्रमों पर लम्बे समय तक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पर मैं यह नहीं जानता कि इसे यहां शामिल किया जा सकता है या नहीं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें शामिल नही किया जाना चाहिए। केरल के तट को प्राथमिकता देने का प्रश्न एक विचारणीय प्रश्न है। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम तकनीकी सहायता आदि का कार्यक्रम हैं। यदि हम कोई सर्वेक्षण आदि करना चाहते हैं तो हम तकनीकी सहायता ले सकते हैं।

Criteria for Selection of Members for Cultural Delegations and Goodwill Mission

*1032. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Culture** be pleased to state ;

(a) The criteria for selection of members for cultural delegations sent abroad from time to time; and

(b) Whether any common rules have been framed for selection of members of good-will missions sent abroad from time to time ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) मुख्य कसौटी यह है कि व्यक्ति अपने विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त हों और उनकी उसमें साख हो, और सम्बन्धित निकायों व संस्थाओं द्वारा भी इस कोटि के माने जाते हो।

(ख) सरकार ने ऐसे कोई सामान्य नियम नहीं बनाये हैं। सद्भावना मण्डलों को भेजने के लिए मुख्यतया इसी बात पर ध्यान दिया जाता है कि ऐसे प्रतिनिधि-मंडलों के भ्रमण के द्वारा विदेशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ़ एवं उन्नत हों।

Shri Jagannath Mishra : During the last three years how many delegations Came to India from foreign Countries, what are the names of those countries, and what was the number of the members of the delegations and how many delegations were sent out from India and what was the number and the names of the members of the delegation ?

Shri D. P. Yadava : I do not have information about the in coming delegation I have got the information about the out going delegations and then I will place on the Table of the House,

Shri Jagannath Mishra : Do they propose to send any delegation at present and if so, what will be the criteria ?

Shri D. P. Yadava : It can not be said with certanity.

राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के कुस्टोडियनो की नियुक्ति के सम्बन्ध में सामान्य बीमा कर्मचारियों की यूनियन द्वारा किया गया ज्ञापन

*1033. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के कस्टोडियनों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उन्हें एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) क्या इन पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अभिरक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं ।

(ख) संघ ने सुझाव दिया है कि ऐसे अभिरक्षकों को उनके पदों से अलग किया जाय जो पहले राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध थे और उनके स्थान पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय जो सरकारी उपक्रमों की सफलता के लिये वचनबद्ध हों ।

(ग) जी, हां । जैसा कि वित्त मंत्री ने साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971 पर हुई बहस के उत्तर में लोक सभा में कहा था, हम उन व्यक्तियों की विशेषज्ञता एवं प्रतिमा का उपयोग करना चाहते हैं जो बीमा कार्य के प्रति वचनबद्ध हैं और राष्ट्रीयकरण की सफलता के लिये कार्य करने के सम्बन्ध में अपनी हार्दिक सहमति व्यक्त की है ।

श्री पी० गंगादेव : क्या वित्त मंत्री ने अभिरक्षकों की एक बैठक बुलाई थी, यदि हाँ, तो क्या ज्ञापन में उल्लिखित विषय पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां । हमने अभिरक्षकों की एक बैठक 6 जुलाई को बुलाई थी और ज्ञापन में दी गई बातो पर विस्तार में चर्चा हुई थी ।

श्री पी० गंगादेव : इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा और उसे कब लागू किया जायेगा क्योंकि विलम्ब करने से कर्मचारियों के उत्साह में बाधा पड़ती है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार इसमें कोई विलम्ब करना नहीं चाहती वास्तव में

इस सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा की गई थी और पिछले महीने बम्बई में हुई अभिरक्षकों की बैठक में यह तय किया गया था कि 15 जुलाई तक इस सम्बन्ध में सभी विवरण प्रकाश में आ जायें और उनके सम्बन्ध में नियम बना दिये जायें तथा इस महीने के अन्त तक सरकार को पूरी आशा है पूरी तस्वीर सामने आ जायेंगी। पहली अगस्त को हम एकत्रित होंगे और कार्रवाई करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या जब सामान्य बीमा कम्पनी संघ और अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संस्था के प्रतिनिधि मंत्री महोदय से मिले थे, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था, और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया गया था कि ज्ञापन में उल्लिखित समस्याओं के सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र एक व्यापक कानून संसद के सम्मुख लाया जायेगा ? यदि हां, तो वह व्यापक कानून इस सत्र में कब लाया जायेगा, और यदि नहीं तो किस सत्र में लाया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : कम से कम इस सत्र में इसे लाना सम्भव नहीं है यद्यपि मेरा प्रयत्न इसे शीघ्रातिशीघ्र पेश करने का रहेगा।

श्री रण बहादुर सिंह : क्या यह सुझाव सरकार ने मान लिया है ? कि केवल उन्हीं अभिरक्षकों को नियुक्त किया जाये जिन्होंने राष्ट्रीयकरण का विरोध नहीं किया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सही है कि कुछ अभिरक्षकों ने, जो दूसरे वातावरण में पले हैं, राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था।

श्री एस० एम० बनर्जी : उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जबकि हम बीमा का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं तब उनका भी राष्ट्रीयकरण करना अधिक अच्छा है इस क्षेत्र में हमें समस्याओं को हल करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता है। हम उन लोगों की सेवाएं लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जो वहां कार्य कर रहे हैं। व्यक्तिगत चर्चा करने पर मैंने यह देखा कि वे बीमा से बंधे हैं यह बड़े महत्व की बात नहीं कि उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है अथवा नहीं। बीमा की सफलता के लिए हमें उनके व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग करना है और मैं नहीं समझता कि हमें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति होनी चाहिए।

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख : क्या महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों से राष्ट्रीयकरण की योजना से बाहर रखी गई सार्वजनिक संस्थाओं की बीमा निधि के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Are the Government aware of the fact that when it was decided to nationalize, then the Company Owners began to take out their Capital and started to invest it in other industries.

Mr. Speaker : The Question is about the memorandum of employees and the Custodians.

Shri Hukam Chand Kachwai: My Question is related to that. All the money had been taken out of these companies and on account of this workers were being retrenched on a large scale. Are the Government taking any steps so as to Invest full Capital in the companies and take the retrenched employees back into service.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात बहुत दिन से हवा में थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पहले प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में क्या पूर्व कार्रवाई की। पर एक बात मैं कहूंगा कि जब यह हुआ तब लोगों को, सदस्यों समेत आश्चर्य हुआ। इसके बाद क्या हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और उससे सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। उससे पहले क्या हुआ उसके सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं हो सकती और न ही मैं कोई जानकारी दे सकता हूं।

विश्वविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी स्तर के अध्यापकों के लिये वेतन आयोग

*1034. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्वविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी स्तर के अध्यापकों के वेतन-ढांचों और काम की दशाओं की जांच करने के लिए एक वेतन आयोग नियुक्त करने के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) शिक्षा आयोग (1964–66) में पहले ही देश में सभी स्तरों के अध्यापकों के बेतन-ढांचों और काम की स्थिति की जांच कर ली है और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा की गई सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के पास इस प्रयोजन के लिए वेतन आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सही है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमानों पर विचार करने के लिये वेतन आयोग नियुक्त किए हैं, परन्तु अध्यापकों के वेतनमानों पर विचार करने के लिये कोई वेतन आयोग नहीं है। क्या विश्वविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को बढ़े हुए वेतन और भत्ते देने के लिये केन्द्र द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और यदि हां, तो क्या चौथी योजना में इसके लिए कुछ रुपया अलग से रखा गया है।

श्री डी० पी० यादव : इसका सम्बन्ध कोठारी आयोग की सिफारिशों से है और यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें पढ़कर सुना सकता हूं...

अध्यक्ष महोदय : उनका सीधा सा प्रश्न है कि क्या केन्द्रीय सरकार अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को सहायता देगी।

श्री डी० पी० यादव : केन्द्रीय सरकार स्वयं ही सभी राज्यों को अधिक से अधिक दे रही है और राज्यों से कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कोठारी आयोग की सिफारिशें बहुत से राज्यों में लागू नहीं की गई हैं और यदि हां, तो कोठारी आयोग की सिफारिशें लागू करने पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या राज्य सरकारें केन्द्र से पैसा मांग रही हैं और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री डी० पी० यादव : राज्यों से मिली जानकारी से पता चलता है कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है। बिहार ने उनमें कुछ परिवर्तन करके लागू किया है। नागालैण्ड और आसाम ने कहा कि कुछ मामलों में उनके वेतनमान शिक्षा आयोग द्वारा सिफारिश किए गये वेतनमानों से अच्छे हैं। पश्चिम बंगाल ने वेतन में मंहगाई भत्ता मिलाकर सरकारी अध्यापकों के वेतनमानों को पुनरीक्षित कर दिया है। शेष राज्यों ने कहा है कि संसाधनों के अभाव में वे आयोग द्वारा सुझाए गये वेतनमानों को लागू करने में असमर्थ हैं। तथापि, अधिकतर राज्यों में पिछले तीन वर्षों में अध्यापकों के वेतनों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि सीमित साधनों के कारण वे कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने में समर्थ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में अध्यापकों का वेतन सबसे कम है। वहां अध्यापकों को उससे भी कम मिलता है जितना कि केन्द्रीय सरकार के एक चपरासी को मिलता है। क्या ऐसे राज्यों को आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस एक और प्रश्न पूछने का प्रयत्न न करें। आप पहले ही दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Do the Government believe in the principle of equal pay for equal work and if no, has it been brought to the notice of the Government that there are different pay scales of primary teachers in different States and have any instructions been issued to the State Governments to bring parity in the scales ?

Shri D. P. Yadava : Central Government appointed Kothari Commission and its recommendations are unif ~m for whole of the Country. According to its recommendations. Central Governmen ives the amount of its share to State Governments. Because education is a State subjec . it is upto the States to see that to what extent they can implement these recommen dations.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I asked about primary school teachers and the Hon.

Minister is talking about Kothari Commission. It has no connection with primary education.

श्री एस० एन० बनर्जी : मूल प्रश्न विश्वविद्यालय, उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के बारे में था। माध्यमिक और प्राइमरी अध्यापकों से कोठारी आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे अपने एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। कोठारी आयोग केवल विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री ने जब कोठारी आयोग का जिक्र कर दिया है तो उसके सम्बन्ध में प्रश्न करने से मैं उन्हें रोक नहीं सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमें पूरक प्रश्न पूछने से नहीं रोक सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो आप ही की बात का समर्थन कर रहा हूं। वह क्योंकि कोठारी आयोग को इसमें ले आये हैं इसलिये अन्य अनेक प्रश्न भी संगत बन गये हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, please ask him to reply to my question.

Mr. Speaker : Question has been answered, if the hon. Member is not satisfied, What can I do ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : My question was about primary education whereas he is answering about University education, how can I be satisfied ?

श्री डी० पी० यादव : कोठारी आयोग ने सिफारिश की है कि जिन अध्यापकों ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण कर, दो वर्ष तक पढ़ाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो उन्हें 150 रुपये वेतन मिलेगा और जिन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद, एक वर्ष के लिए बढ़ाने का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उन्हें 250 रुपये मिलेंगे। इसलिये कोठारी आयोग ने प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक वेतनमानों की सिफारिश की है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल विश्वविद्यालय और कालिज संघ द्वारा, संसद भवन के सामने कई बार सत्याग्रह व प्रदर्शन करने और कई ज्ञापन भेजने पर भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री, डा० वी० के० आर० के० राव, ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि पश्चिमी बंगाल के विश्वविद्यालय और स्कूल अध्यापकों के वेतनमानों के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न की सीमा में नहीं आता।

श्री डी० पी० यादव : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री समर गुह : श्रीमान जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती।

सामान्य बीमा कम्पनियों में सार्वजनिक धन का गबन

* 1035. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनियों में, जिनका अब राष्ट्रीयकरण हो चुका है, फर्जी कर्मचारियों को वेतनों के रूप में दिये गये सार्वजनिक धन के गबन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध धन की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही करने का विचार है; और

(ख) क्या इस प्रकार वसूली योग्य धन राशि को शेयरों के लिए दिये जाने वाले मुआवजे में शामिल किया जायेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जिन बीमा कम्पनियों का प्रबन्ध, साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है, वे निजी क्षेत्र में थीं और इसलिये उनकी निधियां, सार्वजनिक निधियां नहीं थीं। तथापि, इस अनैतिक-चलन को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों के प्रश्न पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है।

(ख) इस चलन से हुई हानि का प्रभाव सम्बन्धित बीमा कम्पनियों के लाभ और साथ ही उनकी परिसम्पत्तियों को कम करने में पड़ा होगा। इस प्रकार यह हानि बीमा कम्पनी को ही हुई है। कुछ भी हो, अलग-अलग व्यक्तियों के कार्यों से होने वाली हानि की रकमों को, बीमा कम्पनियों को दिये जाने वाले मुआवजे में से मुजरा नहीं किया जा सकता।

श्री बी० वी० नायक : श्रीमान जी, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह धन का गबन है या नहीं और यदि गबन है तो क्या पूर्व प्रबन्धकों का यह कार्य दीवानी जुर्म के अन्तर्गत आता है या फौजदारी जुर्म के ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : श्रीमान जी, मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य विधिशास्त्र की चर्चा करना चाहते हैं कि यह गबन विधि के अनुसार किस कोटि में आता है। प्रश्न तो केवल यह है कि यह गबन जनता के सार्वजनिक धन का गबन नहीं क्योंकि उस समय तो यह कम्पनी की निजि सम्पत्ति थी। इसमें केवल विधि का प्रश्न तो वही है कि गबन तो गबन ही है और यह दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार का जुर्म हो सकता है।

श्री बी० वी० नायक : मेरा प्रश्न केवल धन की वसूली के लिए कार्यवाही करने तक ही सीमित है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने इसी सभा के समक्ष एक बार यह कहा था कि अभिरक्षक केवल एक बात के लिए कटिबद्ध है और वह यह है कि वे बीमे को व्यवसाय के रूप में बनाये रखेंगे। कम से कम जिन लोगों ने इस कार्य को देखा है— इसके लिए आप भले ही किसी भी शब्दावली का प्रयोग करें,— और जो लोग इन कम्पनियों के उन कार्यों से सम्बद्ध रहे हैं जिसके अन्तर्गत मास्टर रोल पर जाली नौकरियों की कार्यवाही की गई है, क्या कम से कम इन लोगों को बीमे के व्यवसाय के प्रति निष्ठावान नहीं समझा जायगा ? जिन

अभिरक्षकों को इन कम्पनियों में उच्च पद प्राप्त थे और जो इस भ्रष्टाचार को चुपचाप देखते रहे, क्या कम से कम, बीमे के व्यवसाय के प्रति उनकी निष्ठा को वर्तमान सरकार या मंत्री महोदय द्वारा चुनौती दी जायेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय की चिन्ता उचित ही है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि मुनाफे के साथ-साथ, अभिरक्षकों का सार्वजनिक उत्तरदायित्व भी होता है। मैं समझती हूं अब चूंकि यह कार्य संसद द्वारा अधिकार ले लिया गया है अतः अब वे जो कुछ भी करेंगे, उसके लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब वह जो कुछ भी करेंगे, उसे वह केवल मुनाफे की दृष्टि से नहीं करेंगे। वह क्या करते हैं और किस ढंग से करते हैं, इसका भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जब से सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया है, तभी से विशेष रूप से विदेशी बीमा कम्पनियों ने अपने व्यापार-कार्य को काफी ढीला कर दिया है और वह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है ? इसे रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। मूल प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

अकाल राहत के लिये राजस्थान को सहायता देना

*1040. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकाल से हुई कठिनाइयों पर नियन्त्रण पाने के लिए राजस्थान सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में है;

(ख) क्या राज्य सरकार चाहती है कि इस धनराशि को अनुदान के रूप में माना जाये;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अकाल राहत के लिये और केन्द्रीय सहायता माँगी है तथा यदि हां तो क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया और पद्धति के अनुसार, सूखा सम्बन्धी राहत कार्यों पर होने वाले खर्च के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार को अन्तिम रूप से अनुदान और ऋण दोनों दिये गये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जब राजस्थान सरकार से व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे तब उनके आधार पर देय ऋणों और अनुदानों की रकमों के साथ, अन्तिम रूप से दी गयी रकमों का समायोजन कर दिया जायगा।

(घ) सूखा सम्बन्धी राहत कार्य पर खर्च करने के लिए, चालू वर्ष में, केन्द्रीय सहायता के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

Shri Naval Kishore Sharma : Mr. Sheaker, Sir famine is very common in Rajasthan and the Government of Rajasthan has to spend huge amounts on 'this' account. I would like to know from the hon. Minister as to how much amount the Government has spent on famin es of Rajasthan so far ? Secondly, out of the amount which has been spent so far, how much has been given in the form of assistance and how much as loan to Rajasthan Government ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो आंकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध हैं उनके अनुसार वर्ष 1968-69 में 15·91 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये गये थे, बाढ़ के लिए 1·5 करोड़ रुपये दिये गये थे और 1·35 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे। कुल मिलाकर लगभग 19·26 करोड़ रुपये दिये गये थे ।

इसी प्रकार वर्ष 1969-70 में अनुदान तथा ऋण के रूप में कुल 53 करोड़ रुपये दिये गये थे, जिसमें 42·72 करोड़ रुपये ऋण के रूप में थे और 10·80 करोड़ अनुदान के रूप में। वर्ष 1970-71 में ऋण के रूप में 19·50 करोड़ रुपये, अनुदान के रूप में 5·51 करोड़ रुपये और बाढ़ के लिए 1·50 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था । इस प्रकार कुल मिलाकर 26·50 करोड रुपये दिये गये थे ।

Shri Naval Kishore Sharma : Mr. Speaker, Sir, it appears from the figures presented by the Finance Minister that huge amount is being spent on Rajasthan because of famine. May I request the Finance Minister to reconsides the loan rules in view of Geographical conditions of Rajasthan ?

Shri Yashwant Rao Chavan : Reconsideration of all things will continue.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION

नया वित्त आयोग नियुक्त करने की मांग

* 1022. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से कुछ राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर अपनी असन्तुष्टि की पृष्ठभूमि में दूसरे वित्त आयोग की नियुक्ति की जाय;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया है; और

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क). जी, नहीं ।

(ख) **और** (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार

*1024. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी नई पालिसियाँ जारी की गयीं तथा कुल कितनी धन राशि का कारोबार किया गया; और

(ख) क्या कृषि क्रान्ति से उत्पन्न नयी आय का उपयोग करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबार का बड़े पैमाने पर विकास करने हेतु कोई नयी योजनायें बनायी गयीं हैं और यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) . जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1970–71 में 16,22,261 पालिसियां जारी करके 1303·01 करोड़ रुपये का बीमा किया ।

(ख) जीवन बीमा निगम ने 1–5–71 को शताब्दी पालिसी (Centenary Policy) नाम से एक नयी पालिसी चालू की है जो घटती बढ़ती आय वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपयुक्त है ।

शताब्दी पालिसी की मुख्य विशेषताओं के बारे में एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारत के जीवन बीमा निगम द्वारा 1–5–71 को चालू की गयी शताब्दी पालिसी की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं ।

(i) यह पालिसी एक सावधि पालिसी है अर्थात् बीमा की गयी रकम, पालिसी चालू रहने के दौरान मृत्यु हो जाने पर अथवा पालिसीधारी के जीवित रहने पर परिपक्वता की निश्चित तारीख को देय होती है ।

(ii) पालिसियां केवल 15·20 और 25 वर्षों की अवधि के लिये जारी की जाती हैं और उनका प्रीमियम वार्षिक रूप में अदा करना होता है ।

(iii) पालिसी के अन्तर्गत बीमा की जाने वाली रकम कम से कम 1000 रुपये है । किसी भी एक जीवन पर, अधिक से अधिक कुल 5000 रुपये की पालिसियां ही जारी की जाती हैं ।

(iv) पहले दो वार्षिक प्रीमियम नियत तारीखों तक अदा किये जाने चाहिये (एक महीने की रियायती अवधि अनुमत्य हैं) । कम से कम दो वार्षिक प्रीमियम अदा हो जाने के बाद, यदि प्रीमियम की अदायगी में चूक होती है तो प्रीमियम की नियत तारीख से एक वर्ष के लिये जीवन बीमा-सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, परन्तु बढ़ायी सुरक्षा-अवधि की सुविधा तीन वर्ष में केवल एक बार उपलब्ध होती है । इसके अलावा जिस प्रीमियम की अदायगी में चूक हुई है उसे अदा करना पालिसीधारी के लिये अनिवार्य नहीं है । यदि यह प्रीमियम नहीं अदा करना चाहे तो पालिसी के अन्तर्गत बीमा की गयी रकम कम कर दी जाती है । तीन वर्षों में एक बार चूक की अनुमति

होने से पालिसी के अन्तर्गत एक से अधिक बार चूक हो सकती हैं इसलिये बीमा कृत रकम में घटौती चूको की संख्या पर निर्भर होती है ।

बोइंग 707 का उपयोग

*1027. **श्री श्याम नन्दन मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत तीन वर्षों के दौरान बोइंग 707 विमान की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है और यदि नहीं, तो प्रतिवर्ष कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : न एयर इण्डिया और न अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन की सदस्य अन्य कोई अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनी ही अपनी पूरी क्षमता के अनुसार उड़ान कर रही है। एयर इण्डिया का भार अनुपात 51% के आसपास रहा है, जोकि अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के आंकड़ों के अनुसार औसत अन्तर्राष्ट्रीय भार अनुपातों के अनुरूप है ।

अधिक लोह अयस्क लादने-उतारने के लिए पारादीप पत्तन का विकास

*1030. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पारादीप बन्दरगाह का इतना विकास किया जा सकता है कि वहां से चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित किये गये 40 लाख टन लौह अयस्क के लक्ष्य की तुलना में, एक करोड़ टन लौह अयस्क प्रतिवर्ष लादा ले जाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता देने का है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : **(क) से (ग)** . कच्ची धातु लदान संयन्त्र इस समय प्रतिवर्ष 25 लाख टन की धरा उठाई कर सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में योजनावधि के अन्त तक पारादीप से 40 लाख टन निर्यात की व्यवस्था है। 40 लाख टन तक बढ़े हुये कच्चे लौह के निर्यात के लिए पतन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। पारादीप पतन को 40 लाख टन से अधिक मात्रा की धरा उठाई के लिये विकसित करना तकनीकी रूप से सम्भव होना चाहिये। परन्तु ऐसी योजना यातायात की दीर्घकालिक संभावनाओं पर निर्भर करेगी और उसे विभिन्न तथ्यों, जिनमें निर्यात योग्य कच्ची धातु, खाने, खान प्रबन्ध परिवहन-सुविधाएं, विदेशी बाजारों में मांग और सम्बन्धित सारे निवेश की आर्थिक व्यवस्था शामिल है, के संदर्भ में ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। लौह अयस्क के निर्यात के लिए पतन सुविधाओं के विस्तार के प्रश्न पर विचार करने से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग को इन पहलुओं की जाँच करनी होगी।

गुजरात में पर्यटन का विकास

*1036. **श्री डी० पी० जय देजा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है; और

(ख) राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** गुजरात में चौथी योजना के अन्तर्गत पर्यटन स्कीमों के उपलक्ष में एक पर्यटक बंगले के निर्माण तथा साबरमती में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन के आयोजन पर जब तक 14,09,300 रुपये की राशि व्यय की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग 10 लाख रुपये की लागत से गिर वन्य पशु शरण स्थल में वर्तमान आवास स्थान में वृद्धि तथा यातायात सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव है। चौथी योजना के दौरान राज्य सरकार का अन्य स्कीमों पर 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है ।

भारत सहायता सार्थ-संघ से सहायता

*1037. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने चौथी योजना की अवधि के लिये भारत सहायता सार्थ-संघ से विनीत सहायता की मांग की थी;

(ख) उक्त सार्थ-संघ से अब तक कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ग) सार्थ-संघ से कितनी और राशि प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : **(क) और (ख)** भारत सहायता संघ किसी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के लिए नहीं, अपितु वार्षिक आधार पर सहायता की व्यवस्था करता है। संघ के सदस्यों ने चौथी आयोजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 1969–70 तथा 1970–71 के लिए क्रमशः 83·10 करोड़ डालर (624 करोड़ रुपये) और 75·20 करोड़ डालर (564 करोड़ रुपये) के वचन दिये थे ।

(ग) हाल ही में, पैरिस में हुई बैठक में संघ के सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि पहली अप्रैल, 1971 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए लगभग 65·00 करोड़ डालर की प्रायोजना-भिन्न सहायता के, लगभग 50.00 करोड़ डालर की प्रायोजनागत सहायता के तथा लगभग 10·00 करोड़ डालर की खाद्य सहायता के नये वचनों की आवश्यकता होगी । सदस्यों ने उपर्युक्त कुल रकम के अन्दर-अन्दर लगभग 9 करोड़ डालर की ऋण राहत सहायता के सम्बन्ध में कार्यवाई करने का संकेत किया था। किन्तु 1971–72 में सहायता के पक्के वचन, सम्बद्ध सदस्य देशों द्वारा आवश्यक वैधानिक तथा सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर लिये जाने के बाद ही मिल सकेंगे ।

विश्व बैंक सहायता संघ द्वारा पाकिस्तान को वचनबद्ध की गयी सहायता का भारत को दिया जाना

*1039. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विश्व बैंक सहायता संघ द्वारा पाकिस्तान को वचनबद्ध की गयी सहायता के एक भाग को भारत में आए पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लाभार्थ प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पाकिस्तान सहायता संघ की एक अनौपचारिक बैठक विश्व बैंक की अध्यक्षता में 31 जून, 1971 को पैरिस में हुई थी। विश्व बैंक द्वारा जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार, न तो बैंक के सदस्यों को यह कहा था कि वे पाकिस्तान को आर्थिक अथवा विकासात्मक सहायता के सम्बन्ध में अभिप्रेत नये वचनों के बारे में सूचित करे और न ही इस प्रकार के कोई संकेत दिये गये थे। ऐसी स्थिति में, विश्व बैंक द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता का पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये उपयोग किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। किन्तु हमने अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर, जिनमें सहायता संघ का मंच भी एक है, इस बात पर बल दिया है कि बंगला देश के शरणार्थियों के बारे में जिम्मेदार अन्तर्राष्ट्रीय समाज का है और भारत में इन शरणार्थियों के अस्थायी तौर पर भरण-पोषण के लिये हमें उचित मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मिलनी चाहिए।

बोनस शेयरों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त

*1041. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बोनस शेयरों सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां; एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है, जिसमें किये गये संशोधनों और उनके कारणों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

सरकार ने पूंजी निर्गम नियन्त्रण की परामर्शवादी समिति के परामर्श से पहली जून 1971 से बोनस जारी करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं:—

(i) प्रस्तावित पूंजीकरण के बाद प्रारक्षित निधि का बकाया रकम, कम्पनी की बढ़ी

हुई चुकता पूँजी का 80 प्रतिशत की बजाय कम से कम $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत होनी चाहिए।

(ii) साधारण सभा में प्रस्तावित पूंजीकरण के लिये जिम्मेदारों का अनुमोदन प्राप्त करने के विषय में दिये गये नोटिस में कम्पनी की बढ़ी हुई पूंजी पर देय पहले वार्षिक लाभाँश के सम्बन्ध में प्रबन्धकों के आशय का स्पष्ट संकेत होना चाहिए। साधारण सभा द्वारा पारित संकल्प में न केवल प्रस्तावित पूंजीकरण के प्रश्न पर सभा ने निर्णय का संकेत मिलना चाहिए, बल्कि लाभांश के सम्बन्ध में प्रबन्धकों के प्रस्तावों का भी पता लगना चाहिए।

पूंजीकरण के बाद क्या बकाया आरक्षित निधि के प्रतिशत में वृद्धि करने का उद्देश्य यह है कि कम्पनी को बढ़ी हुई पूंजी से भविष्य में लाभाँश दिये जाने की आवश्यकता के समय इस निधि से रकम निकालने का समुचित व्यवस्था हो सके। उपर्युक्त संशोधन (ii) इसलिये किया गया है कि नोटिस जारी होने के बाद लाभांश की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में पहले जो अनिश्चितता बनी रहती थी उसे समाप्त किया जाय और इस प्रकार सट्टेबाजी को रोका जा सके जिससे केवल उन्हीं लोगों को लाभ होता था, जिन्हें लाभाँश की भावी सम्भावनाओं के सम्बन्ध में भीतरी जानकारी रहती थी।

हरिजनों और सफाई कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण

*1042. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री दरबारा सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की म्युनिसिपल नगरों में काम करने वाले और रहने वाले हरिजनों और सफाई कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के कूचबिहार नगर के लगभग 100 हरिजन परिवारों को बहुत खस्ताहाल मकानों में रहना पड़ रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां। गंदे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के काम की और रहने-सहने की परिस्थितियों में सुधार की मिश्रित योजना के अधीन राज्य सरकार को आवास गृह-स्थलों की योजना के लिये शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग क्षेत्र में की गई व्यवस्था में से एक मकान की उच्चतम लागत का 75 प्रतिशत उपदान के रूप में दिया जाता है तथा शेष 25 प्रतिशत स्वयं लाभ प्राप्तकर्ता द्वारा नकद रुपया, श्रम अथवा सम्मान के रूप में देना होता है।

(ख) इस योजना पर राज्य सरकारों द्वारा अमल किया जाता है। इस विशिष्ट नगर के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सामान्य बीमा कम्पनियों में फर्जी कर्मचारी

*1043. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों के रिकार्डों से ज्ञात हुआ है कि उनमें 10,000 से अधिक ऐसे फर्जी कर्मचारी हैं जिन्हें नियमित रूप से वेतन दिया गया है किन्तु उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है;

(ख) बीमा कम्पनियां इस युक्ति से कुल कितनी धन राशि का हेर फेर करती रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि केन्द्रीय जाँच ब्यूरों से इस सम्पूर्ण मामले की जांच यह जानने के लिये कराई जाये कि इस गिरोह के कार्य करने की प्रक्रिया क्या थी, कितने व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ तथा कितने धन का हेर फेर किया गया; और

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक कम्पनी के रिकार्ड ठीक कराने के लिये कोई कार्यवाही की है जिससे भविष्य में कदाचार न किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : (क), से (घ). ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चले कि फर्जी वियुक्तियां करने का अनैतिक-चलन उस ढंग का है जिस ढंग का माननीय सदस्य ने बताया है। इस प्रकार की फर्जी निरुक्तियों के द्वारा बीमा कम्पनियों ने जितनी रकम का हेर-फेर किया है उसका कोई ठीक-ठीक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

विविध सीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों की 6 जुलाई 1971 को हुई बैठक में इस पूरे प्रश्न पर कुछ विस्तार से चर्चा की गई थी। सम्मेलन में वित्त मन्त्री ने शुरू करने में अपने भाषण में भी कहा था कि इस बुराई को पूरी तरह समाप्त करना होगा। अभिरक्षकों से इस मामले में शीघ्रता से जाँच- पड़ताल करने के लिये कहा गया है।

Carrying of Night-Soil on Head by Sweepers

*1044. **Shri Brijraj Singh Kotah** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the practice of carrying night-soil on head by the sweepers is still prevailing in the country ;

(b) If so, in which areas and the extent thereof;

(c) By what time Government propose to put an end to this practice;

(d) The outlines of the future programme chalked out for this purpose: and

(e) The financial assistance given to the State Governments during the last three years for taking action in this regard.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, sir.

(b) It exist in some rural areas in all states except Manipur, Tripura, Andaman

& Nicobar Islands, Laccadive Islands, Goa, Pondicherry, Dadra & Nagar Haverli and Chandigarh. In TamilNadu, it is reported to be practically non-existent so also in Kerala. In Gujarat and Maharashtra also it is practically eliminated except in a few municipalities.

(c) to (e) : It is not possible to fix any time limit in this regard. Construction of sanitary latrines and conversion of dry latrines into water-borne latrines has been included in the National Water Supply and Sanitation Programme by the Health Ministry. The State Government/Union Territory Administrations have been advised to amend suitably the Municipal Laws to prevent the construction of new dry latrines. The Department of Social Welfare is concerned with the policy and financial aspect of the scheme for the abolition of the system of carrying night-soil as headloads by introducing wheel barrows/hand carts etc. Liberalised financial assistance for implementing the scheme is made available to the State Governments/Union Territory Administrations. A provision of Rs 300·00 lakhs has been made for the IV Plan period for the composite scheme of improvement of working and living conditions of those engaged in unclean occupations. The amount provided for this composite scheme during the last three years was :

	(Rs. in lakhs)
1968-69	20·00
1969-70	51·25
1970-71	57·25

Steamer Service From Patna To Varansi

*1045. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** will be pleased to state :

(a) Whether the Bhagavti Committee on Inland Water Transport has since submitted its report to Government;

(b) Whether a recommendation has been made in the said report to run steamers in Ganga river from Patna (Western District of Bihar) to Varansi (Eastern District of Uttar Pradesh) and in Ghaghara river from Patna to Ayodhya, which are neglected and backward Districts and where there are no means of transport except inland water transport and

(c) If so, the time by which steamers would start operating there and the action taken by the Government in this direction so far ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes. sir

(b) The Bhagwati Committee has recommended the running of river services on the Ganga between Buxar and Farakka and on the Ghogra between Dorighat and Revelganj (Chapra).

(c) After considering the recommendation of the Committee in consulation with the State Governments concerned it has been decided to start an experimental-cum-promotional river services on the Ganga between Patna and Ghazipur shortly. The scheme for running regular river services on the Ganga on commercial basis will be examined

in the light of experience gained in the running of the proposed short-stretch experimental-cum-promotional service. As regards the scheme for running river services on the Ghogra, as recommended by the Bhagavati Committee the State Government of Uttar Pradesh has been asked to draw up a detailed scheme which is still awaited from them.

दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापा

*1046. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई से प्रकाशित दिनांक 21 मार्च 1971 के इकानोमिक टाइम्स' में 'रेड्जप' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ तो उन 20 व्यापार-गृहों के क्या नाम हैं जिनके कार्यालयों की आयकर अधिकारियों ने दिल्ली में तलाशी ली थी;

(ग) उक्त तलाशी के फलस्वरूप कुल कितने मूल्य के आभूषण, विदेशी मुद्रा तथा अन्य वस्तुयें बरामद हुई तथा कब्जे में ली गई;

(घ) क्या आयकर अधिकारियों को उक्त व्यापार-गृहों के काले व्यापार के बारे में पर्याप्त प्रमाण मिल गये हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) चार सम्पत्ति-विक्रेताओं तथा सम्पत्ति की दलाली करने वाले दो दलालों के यहां बीस स्थानों की तलाशी ली गई थी। इन छः पार्टियों के नाम नीचे दिये अनुसार हैं :—

(i) डा० ए० पी० मित्रा तथा श्री के० पी० मित्रा।

(ii) सर्वश्री आफताब राय, शौकत राय तथा रणजीत राय।

(iii) श्री शिव दर्शन सिंह।

(iv) जितेन्द्र नाथ एण्ड कम्पनी, विश्व नाथ तथा राजेश्वरनाथ।

(v) मैसर्स नरेन्द्र सिंह एण्ड कं०।

(vi) मैसर्स ओ० पी० मल्होत्रा एण्ड कं०।

(ग) कुल 2·5 लाख रुपये मूल्य के जवाहरात तथा 10,000 रुपये की विदेशी मुद्रा तथा तथा 1,91,410 रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) जो विभिन्न उपाय किये गये हैं उन्हें, सकल जाँच-पड़ताल के हित में, इस स्थिति में

जाहिर करना वाँछनीय नहीं है । लेकिन, छिपाई गई आय पर कर लगाने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों का जमा हो रहा सामान

* 1047. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों का सामान जमा होता जा रहा है;

(ख) क्या उक्त सामान में काफी मात्रा में डाक भी है जिसमें 'ए' श्रेणी की तथा राजनायिक डाक शामिल है;

(ग) क्या जम्बो-सेवा आरम्भ करने के साथ-साथ सामान-कर्मचारियों तथा शेड़ क्षमता में वृद्धि नहीं की गई है और परिणामितः माल और सामान सीमा शुल्क विभाग के गोदाम में एकत्रित हो जाता है; और

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . यात्रियों के साथ जाने वाले सामान का कोई ढेर इकट्ठा हुआ नहीं है । परन्तु, यात्री-रहित अकेले सामान को सीमा-शुल्क से, इसके मालिक के सीमा-शुल्क काउंटर पर आते ही तुरन्त 'क्लीयर' कर दिया जाता है । राजनयिक तथा वर्ग 'ए' डाक को राजनयिक मिशनों तथा डाक अधिकारियों द्वारा उनके आते ही क्लीयर कर दिया जाता है ।

(ग) और (घ) : एयरलाइन परिचालकों तथा सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के परामर्श से सीमा-शुल्क गोदाम/शेड की धारिता में वृद्धि कर दी गई है । सीमा-शुल्क गोदाम/शेड का और विस्तार शीघ्र ही किया जायेगा

महाराष्ट्र में तटीय नौवहन का राष्ट्रीयकरण

*1048. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में तटीय नौवहन और राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) . महाराष्ट्र सरकार ने मास्टर योजना समिति महाराष्ट्र की आपातिक बैठक की टिप्पणियाँ इस मन्त्रालय को प्रेषित की है । जिसमें उसने सिफारिश की है कि बम्बई डमोल लाइन को वर्षा ऋतु के बाद पुनः न खोलने की मेंसर्स चौसुले स्टीमशिप लि० की इच्छा की दृष्टि में रखते हुये

कोकरण लाइन यात्री सेवा या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सितम्बर 1971 से अपने हाथ में ली जानी चाहिये ।

इसकी जांच की जा रही है ।

मंगलौर बन्दरगाह परियोजना

*1049. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर बन्दरगाह परियोजना निर्धारित समय के अनुसार क्रियान्वित नहीं हो रही है,

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या यह सच है कि यह परियोजना कुदैरमुख से अयस्क का निर्यात करने में समर्थ नहीं होगी क्योंकि जहाज के लिये अपेक्षित पानी की गहराई बन्दरगाह पर केवल 30 फीट है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) मंगलौर हारबर परियोजना 1972 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। कार्य की प्रगति निषर्कण कार्यक्रम में कुछ कमी के सिवाय सन्तोषजनक है। परन्तु दो बड़े निकर्षकों जिसकी सिपुर्दगी इस वर्ष होनी निश्चित है, को मंगलौर में लगाने की योजना बनायी है, जिसके फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि समस्त निकर्षण आवश्यकताएं निश्चित तिथि तक पूरी की जायेगी।

(ग) मंगलौर पतन के विकास के लिये सम्पूर्ण मास्टर योजना में 49 फुट डुबाव तक के लिये व्यवस्था क्रमवार की गई है। इस पतन पर लौह खनिज यातायात की आवश्यकताओं के साथ क्रमबद्ध किये जाने के लिये विकास कार्यों का नियोजन किया गया है। पतन के इस क्रमबद्ध विकास जिससे 49 फुट डुबाव होगा, से पतन सभी प्रकार के यातायात के लिये बड़े आकार के पोत तथा खुले माल वाहकों को सम्भालने के लिये समर्थ होगा।

विदेशी तकनीकी सहयोगियों के सहयोग से चल रही भारतीय कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेना

*1050. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार क्या विदेशी तकनीकी सहयोगियों के सहयोग से चलायी जा रही भारतीय कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लेने का विचार कर रही हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार सिन्थेटिक एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के साथ फायरस्टोन द्वारा किये जा रहे परीक्षा विवाद में कोई कार्यवाही करने का है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग के प्रति-पुरुष विग्रह को हस्तक्षेप नहीं किया है।

ट्रैक्टरों के आयात के लिये विश्व बैंक से सहायता

4352. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971–72 में ट्रैक्टरों के आयात के लिये विश्व बैंक से कितना धन मिलने की आशा है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनसे ट्रैक्टर खरीदे जायेंगे; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश और पंजाब को कितने ट्रैक्टर आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). भारत सरकार ने हाल में गुजरात, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों की कृषि ऋण प्रायोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था हैं, पांच विकास ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये हैं। कृषि ट्रैक्टरों के आयातके लिये प्रत्येक ऋण करार में जितने ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था है', उसका ब्योरा इस प्रकार है। गुजरात (2200), पंजाब (8000), आन्ध्र प्रदेश (1500), हरियाणा (6500), और तमिलनाडु (1500)। ट्रैक्टर दो से तीन वर्षों तक की अवधि में प्राप्त किये जायेंगे। ट्रैक्टर विश्व बैंक के सदस्य देशों और स्विटजरलैंड के उन सम्भरकों से मंगवाये जायेंगे। जिन्होंने भारत में ट्रैक्टर उत्पादन सुविधाओं की स्थापना की हो या जिन्होंने भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर रखी हो।

पर्यटन केन्द्र घोषित करने के लिए कसौटी

4353. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन केन्द्रों की श्रेणी में कितने स्थान आते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में पर्यटन केन्द्र की संख्या में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) पर्यटन केन्द्र घोषित करने के लिये क्या कसौटी रखी गई है; और

(घ) धार्मिक, ऐतिहासिक अथवा स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के अतिरिक्त क्या प्राचीन साहित्यकारों जैसे, कालिदास, तुलसीदास, बिहारी और देव के जन्म स्थानों को भी इस सूची में रखा जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) भारत में पर्यटक रुचि के आकर्षक स्थानों की इतनी विविधता एवं भरमार है कि उनकी गणना करना अथवा उन्हें सूचीबद्ध कर सकना असम्भव है। तथापि पर्यटक अपनी रुचि ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जहाँ पर आसानी से पहुंचा जा सके, प्राकृतिक सौन्दर्य तथा साँस्कृतिक सम्पदा का बाहुल्य हो तथा जहाँ पर सुविधाजनक रिहायश तथा अच्छा भोजन उपलब्ध हो।

तमिलनाडु के ईसाई हरिजनों का हिन्दु हरिजनों के समान समझा जाना

4354. **श्री ए० एम० चेलाचेमी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु, विशेषकर तिरुनेवेली जिले में हरिजनों के हिन्दू हरिजन और ईसाई हरिजन दो वर्ग हैं;

(ख) क्या अधिकार और विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में ईसाई हरिजनों को हिन्दू हरिजनों के समान नहीं समझा जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मँत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Opium Seized at Kotah Station in Rajasthan

4355. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The quantity of opium seized at Kotha Station during the last three years;

(b) What rewards were given to the persons who sezied opium; and

(c) The steps being taken by Government to prevent smuggling of opium ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

(c) All the enforcement agencies both of State and Central Governments engaged in suppression of illicit traffic in narcotic such as State Excise, Police, Customs and Central Excise, Central Bureau of Investigation, Border Security Force, Railway Protection Force are on the alert. The watch extends to places in the interior as well as to ports and places on the border. Preventive measures have also been tightened in the poppy growing areas.

Opium Cultivation in Districts of Rajasthan

4356. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The acreage of land under cultivation of opium in Kotah, Bundi and Jhalawar districts in Rajasthan;

(b) Whether Government propose to bring more land under cultivation of opium;

(c) The Number of farmers who have sought perm ission of Government for cultivating opium; and

(d) The reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The acreage of land under cultivation of opium poppy in kotah and Jhalawar districts in Rajasthan during the crop season 1970-71 is as under :—

Name of district.	Area under poppy cultivation in hectares.
Kotah	3,407
Jhalawar	5,510

There was no cultivation of opium poppy in Bundi district in Rajasthan during 1970-71 crop season.

(b) Yes, Sir. The Government is considering a proposal to increase the total area under poppy cultivation in India.

(c) and (d) : Applications for Licences for the next crop seasons 1971-72 (Ist October, 1971 to 30 th September, 1972) from the cultivators have not yet been received by the Government. However, the number of cultivators to whom licences were issued for Cultivation of opium poppy during 1970-71 crop season in the districts of Kotah and Jhalawar is as under :—

Name of district	Name of Cultivators.
kotah	15,347
Jhalawar	28,943

Applications for the grant of licence to the cultivators to grow poppy during 1971-72 crop season will be considered in the light of the licensing principles framed by the Government of India.

जैसप एण्ड़ कम्पनी, डम-डम

4357. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 69-70 और 1970-71 में जैसप एण्ड कम्पनी, डम डम (पश्चिमी बंगाल) के प्रत्येक निदेशक को वेतन भत्ते आदि के रूप में कितनी-कितनी राशि दी गयी;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कम्पनी की उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) इस अवधि में कम्पनी को किन कारणों से भारी हानि उठानी पड़ी ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) . सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

रामपुर की बेगम के बहुमूल्य जवाहरात

4358. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मंत्री रामपुर की बेगम के बहुमूल्य जवाहरात के बारे में 30 मार्च, 1970 और 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 4370 और 4525 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बीच सूचना एकत्रित कर ली गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : जी हां ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कोटा नागपुर और पालामऊ जिले में दिये गये ऋण

4359. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद बिहार में कोटा नागपुर में काम कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल कितनी राशि के ऋण दिये, और

(ख) उसमें से कितनी धनराशि के ऋण पालामऊ जिले में किसानों, खुदरा व्यापारियों, स्वनियोजित व्यक्तियों और टैक्सी, ट्रक चालकों को श्रेणीवार दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तवराव चव्हाण) : (क) और (ख) माननीय सदस्य ने जिस रूप में सूचना मांगी है, बैंकों द्वारा उस रूप में सूचना नहीं रखी जाती । फिर भी दिसम्बर 1970 तक, बिहार राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि (प्रत्यक्ष वित्त) उद्योगों, सड़क परिवहन चालकों और खुदरा व्यापार तथा छोटे व्यवसाय के लिये दिये गये अग्रिमों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	खातों की संख्या	बकाया रकम लाख रुपयों में
1. कृषि (प्रत्यक्ष वित्त)	6167	70·73
2. सड़क परिवहन	418	95·42
3. लघु उद्योग	707	478·17
4. खुदरा व्यापार और छोटा व्यवसाय	1636	174·64

टिप्पणी :—आंकड़े अनन्तिम हैं ।

बिहार के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

4360. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के बाद से बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें खोली गयीं; और

(ख) उनमें से छोटा नागपुर डिवीजन में कितनी शाखायें खोली गयीं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 19 जुलाई 1969 और 30 अप्रैल, 1971 के बीच बिहार में 100 नये कार्यालय खोले हैं। इनमें से 53 ग्रामीण केन्द्रों में, 37 अर्ध-शहरी केन्द्रों में और 10 शहरी केन्द्रों में स्थित हैं।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में उपर्युक्त अवधि में खोले गये 100 नये कार्यालयों में से 17 कार्यालय छोटा नागपुर डिवीजन में खोले गए हैं।

बिहार में लघु उद्योगों और खेती के लिये दिये गये ऋण

4361. **श्री रामनारायण शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 28 फरवरी, 1971 तक कितने व्यक्तियों और फर्मों ने बिहार में स्टेट बैंक का विभिन्न शाखाओं से लघु उद्योगों और खेती के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भेजे थे;

(ख) उनमें से कितने आवेदकों को ऋण दिये गये थे, और

(ग) कितने आवेदनकर्त्ताओं को ऋण नहीं दिये गये थे और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), से (ग). माननीय सदस्य ने जिस रूप में सूचना मांगी है, बैंकों द्वारा उस रूप में सूचना नहीं रखी जाती। फिर भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिहार में कृषकों और लघु उद्योगों को दिए गये अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं:—

रकम लाख रुपयों में

	जून 1968 के अन्त में			मार्च 1971 के अन्त में		
	खातों की संख्या	मंजूर की गयी सीमाएं	बकाया शेष	खातों की संख्या	मंजूर की गयी सीमाएं	बकाया शेष
कृषक	1	60·00	19·00	9307	589·00	473·00
लघु उद्योग	151	!05 90	60·82	871	771·99	416·17

हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टम में जहाजों की मरम्मत की व्यवस्था

4362. **श्री देवेन्द्र सिंह गारचा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा विशाखापट्टम में 50,000 टन से अधिक भार वाले जहाजों की मरम्मत करने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप जहाज मालिकों को बड़ी असुविधा हो रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या विशाखापट्टम में जहाज मालिकों को उक्त सुविधा देने की कोई

योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

संसदकार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में 55,000 कुल टनभार के आकार तक के जहाजों की जगह देने की क्षमता वाली सूखी गोदी का निर्माण प्रगति पर है। यह आंशिक रूप से उपयोग के लिये शीघ्र ही और पूर्ण उपयोग के लिये अगले वर्ष के प्रारम्भ में तैयार होने की सम्भावना है। इस सूखी गोदी के चालू हो जाने पर पोत स्वामियों की वर्तमान असुविधा बहुत कम हो जाएगी।

अमरीका से सहायता

4363. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका सरकार ने भारत को व्यापक आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है;

(ख) क्या प्रस्तावित आर्थिक सहायता का प्रयोग बंगला देश में आये शरणार्थियों को बसाने के लिये नहीं किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो अमरीका सरकार से कितनी सहायता प्राप्त होगी और वह किस रूप में प्राप्त होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) माननीय सदस्य सम्भवतः 7 करोड़ डालर की अमरीकी सहायता के बारे में हाल में की गयी घोषणा का उल्लेख कर रहे हैं। इसमें से 2 करोड़ डालर की सहायता सामान्य प्रायोजना-भिन्न सहायता के रूप में होगी। बाकी 5 करोड़ डालर का उपयोग शरणार्थियों को राहत देने के लिए किया जाना है। यह सहायता किस रूप में प्राप्त हो, इस बात पर अभी विचार किया जा रहा है।

गोहाटी और डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय को अनुदान

4364. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गोहाटी और डिबरूगढ़ विश्व विद्यालयों को कितना-कितना अनुदान दिया।

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : पिछले तीन वर्षों में गोहाटी तथा डिबरूगढ़ विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुदान दिये गये थे:—

वर्ष	गोहाटी विश्वविद्यालय	डिबरूगढ़ विश्वविद्यालय
1968–69	9,87,540	3,48,714

1969–70	9,71,275	13,12,153
1970–71	4,91,918	11,77,799

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक स्वतन्त्रत सुरक्षा दल की मांग

4365. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने सरकार को एक स्वतन्त्र सुरक्षा दल नियुक्त करने की अपनी योजना का अनुमोदन करने के लिये लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक कार्यकुशल तन्त्र की रचना के हेतु विश्वविद्यालय में पहरा व निगरानी की वर्तमान पद्धति में सुधार के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन है।

राजस्थान में अकाल के वर्षों में निर्मित सड़कों के निर्माण तथा उनकी मरम्मत के लिये निधि

4366. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र ने राजस्थान में अकाल के दौरान निर्मित सड़कों के अग्रतर निर्माण अथवा उनकी मरम्मत के लिये अनुदान देना बन्द कर दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : राजस्थान सरकार को, 1968–69, 1969–70 तथा 1970–71 में सूखा सहायता व्यय के लिए कुल मिलाकर 93·02 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गयी है। इस राशि के अन्तर्गत सूखा सहायता सम्बन्धी उपायों पर किए जाने वाले व्यय की सभी अधिकतम सीमायें आती हैं जिनको राज्य का दौरा करने वाले विभिन्न केन्द्रीय दलों की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया है। व्यय की अधिकतम सीमाओं में, सड़कों के निर्माण, छोटी सिंचाई, तथा भूमि संरक्षण सम्बन्धी निर्माण कार्यों जैसे राहत के उपायों के लिए आवश्यक धन राशियां भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार ने सूचना दी है कि फिर से मौसम की अनुकूल स्थिति हो जाने पर, सूखा सहायता सम्बन्धी सभी निर्माण कार्य अगस्त, 1971 में बन्द कर दिये गये थे। दैवी विपत्तियों में राहत के उपायों के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता राहत सम्बन्धी उस व्यय की सीमा तक ही दी जाती है, जो विपत्ति के दौरान किया गया हो। वह सब व्यय, जो राज्य सरकार द्वारा विपत्तिकाल के बाद सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों पर किया जाए, उसे राज्य सरकार को अपने आन्तरिक साधनों से ही पूरा करना होगा।

मनीपुर में अन्तर-ग्राम सड़कों के लिये धन का आवंटन

4367. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मनीपुर लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अन्तर-ग्राम सड़कों के विकास के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है,

(ख) गत वित्तीय वर्ष में मनीपुर में अन्तर-ग्राम सड़कों पर कितनी धन राशि खर्च की गई,

(ग) क्या उनमें से किसी अन्तर-ग्राम में सड़कों पर बस सेवा की व्यवस्था है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) सुधार कार्य और अनुरक्षण के लिये क्रमशः 18·35 लाख रुपये और 13·71 लाख रुपये ।

(ख) मूल कार्य और समस्त अनुरक्षण कार्य के लिये क्रमशः 130 लाख रुपये और 61 लाख रुपये ।

(ग) और (घ) : 88 अन्तर-ग्रामीण सड़कों में से 13 सड़कों पर बस सेवाएं उपलब्ध हैं । राज्य परिवहन प्राधिकरण मणिपुर शेष सड़कों पर जहां कहीं ऐसी कार्यवाही करना सम्भव है नई बस सेवाओं को चलाने का विचार कर रहा है ।

सरकारी उपक्रमों को हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशन निकालने के निर्देश

4368. **श्री दशरथ देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों के प्रधानों को अपने अंग्रेजी संस्करण के अतिरिक्त अपने सब प्रकाशनों का हिन्दी संस्करण निकालने के लिये निदेश या परिपत्र जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उनका कितना खर्च होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों को, उनके प्रशासनिक मन्त्रालयों के माध्यम से, यह परामर्श दिया गया है कि वे, अपने संकल्प, सामान्य आदेश, नियम अधिसूचना रिपोर्ट आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करायें जैसा कि यथा संशोधित "राजभाषा

अधिनियम 1963' के अन्तर्गत अपेक्षित है।

(ग) चूंकि यह विषय उद्यमों के दैनेदिन प्रशासन के अन्तर्गत आता है, इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड नहीं रखती कि सरकारी उद्यमों ने अपनी रिपोर्ट आदि, हिन्दी में प्रकाशित कराने के लिये कितना व्यय किया है।

डाक तथा तार पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं के लिए अधिक पेंशन

4369. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इण्डिया पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ पेंशनर्स एसोसिएशन से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अधिक पेंशन की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अखिल भारतीय डाक-तार संघ, पूना से 19 मई 1971 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें केन्द्रीय सरकार के पेन्शरों के मामले को वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल करने की मांग की गई थी।

(ख) पेन्शनरों के मामले को वेतन आयोग के निर्देश पदों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिये पेन्शन सम्बन्धी लाभों के मामले में वेतन आयोग की सामान्य सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पेन्शनरों को राहत देने के प्रश्न पर सरकार यथा समय विचार करेगी।

मद्य निषेध समिति द्वारा सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में की गई सिफारिश

4370. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्गठित मद्य निषेध समिति ने सरकार से यह सिफारिश की है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा मद्य निषेध का पालन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 के नियम 20 के अनुरूप केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 22 में कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए और प्रतिबन्ध नागरिकों के रूप में उनके द्वारा अपने मूलमूत अधिकारों का प्रयोग किए जाने के विरुद्ध होंगे।

पश्चिम बंगाल के गांवो में स्थित कालेजों द्वारा वित्तीय सहायता की मांग

4371. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के गांवों में स्थित अधिकांश कालेजों को, विशेषकर अपने आवर्त्तक खर्चों को पूरा करने में, वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कालेजों ने सरकार को वित्तीय सहायता के लिये अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनके अभ्यावेदनों के आधार पर कोई सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारत सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु, पश्चिम बंगाल सरकार ने, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में, राज्य के गैर-सरकारी सम्बन्ध कालेजों (प्रायोजित कालेजों के अतिरिक्त) के वित्तीय, प्रशासकीय और अन्य पहलुओं की जांच करने के लिए, एक समिति नियुक्त की है।

कर्नल पी० दयाल को दुहरा कार्य भार देने के बारे में अधिसूचना

4372. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा कर्नल पी० दयाल को राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर के निदेशक और राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम सलाहकार के रूप में दुहरा कार्य-भार देने के बारे में जारी की गई अधिसूचना पर आपत्ति की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में उनके मंत्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : **(क) और (ख)** . 21 अक्तूबर, 1970 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसके द्वारा कर्नल पी० दयाल को 1–7–70 से राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम-सलाहकार नियुक्त किया गया और जिसमें यह कहा गया कि वे राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के महानिदेशक का कार्यभार भी संभालेंगे जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। इस सम्बन्ध में पूर्व व्याप्ति सहित उनकी नियुक्ति के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के महानिदेशक के वर्तमान पदभार को संभालते हुए कर्नल पी० दयाल किसी सांविधिक नियम से प्राप्त होने वाली किसी प्रकार की प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के महानिदेशक का वर्तमान अतिरिक्त पदभार संभालते

हुये वे प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किस सीमा तक कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय तथा आवश्यकतानुसार वित्त मन्त्रालय के कार्मिक विभाग से परामर्श करके स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत यदि वे ऐसी शक्तियों के प्रयोग के हेतु प्राधिकृत नहीं होंगे तो वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा नोटों का विमुद्रीकरण

4373. **श्री समर गुह :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार द्वारा 500 और 100 रुपये के नोटों का चलन बन्द किये जाने का भारतीय मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) क्या बंगला देश से आये शरणार्थियों के पास होने वाली मुद्रा पर भी उक्त कार्यवाही का प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पाकिस्तान द्वारा 500 रुपये और 100 रु० के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण कर दिये जाने के निश्चय का भारतीय करेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) इसका प्रभाव बंगला देश के उन शरणार्थियों पर पड़ेगा, जिनके पास पाकिस्तानी करेंसी के इन मूल्य वर्गों के नोट हैं।

Recovery of Amount Recently Removed from State Bank of India, New Delhi.

4374. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether 59 lakhs and 96 thousand rupees out of the 60 lakh rupees removed from the State Bank of India, New Delhi have since been recovered; and

(b) If so, the account under which the recovered money has been deposited ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) ; (a) Yes sir. A sum of Rs. 59,96,900 has been recovered by the police.

(b) The court has entrusted the amount to the State Bank under a 'Supardari' bond. The amount has been credited to the bank's Sundry Deposits Account and the money is held by the bank in the Currency Chest under 'Supardari' bond.

सरकारी उपक्रमो में स्थाई रूप से रहने अथवा अपने मूल संवर्ग (काडर) में वापिस जाने के बारे में सिविल कर्मचारियों से विकल्प का मांगा जाना

4375. **श्री आर० एन० बर्मन :**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों में काम कर रहे सिविल कर्मचारियों से निर्धारित समयावधि के अन्दर यह विकल्प मांगा है कि स्थायी रूप से इन उपक्रमों में काम करना चाहते है अथवा अपने मूल संवर्गों में वापिस जाना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसा विकल्प कितने कर्मचारियों से मांगा गया है और विकल्प देने के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क).** जी, हां। किन्तु औद्योगिक प्रबन्ध निकाय के अधिकारियों तथा रक्षा उत्पादन उपक्रमों में नियुक्त रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर दिया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 दिसम्बर, 1970 को, सभी प्रकार के पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या 1390 थी, इन अधिकारियों में, रक्षा उत्पादन उपक्रमों में नियुक्त अधिकारियों से भिन्न, रक्षा सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी (प्रशासनिक मंत्रालय अथवा सरकारी उपक्रम-नियुक्त किये गये कर्मचारी के पदस्तर के आधार पर) यह फैसला करेंगे कि कौन कौन से सरकारी अधिकारी वहीं रखे जाने के योग्य हैं और फिर केवल उन्हीं अधिकारियों से अपने विकल्प का प्रयोग करने को कहेंगे। अभी कुछ एक ऐसे अधिकारियों ने सम्बद्ध सरकारी उपक्रमों में स्थायी रूप से रहने के लिये अपना विकल्प दिया है, और बाकी अधिकारियों की प्रतिक्रिया अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, क्योंकि इस प्रकार के विकल्प का प्रयोग करने के लिये निर्धारित समय सीमाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं।

कृषि सम्पदा पर धन कर

4376. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ न्यायालयों ने कृषि सम्पदा पर धन कर लगाने के उपबन्ध को संविधान के विरुद्ध घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने आगे क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : **(क) तथा (ख)** . श्री हरभजनसिंह ढिल्लो बनाम भारत के संघ के मामले में, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है जिसमें कृषि-परिसम्पत्तियों पर धन कर लगाने से सम्बन्धित उपबन्धों को भारत के संविधान के विरुद्ध ठहराया गया है। सरकार ने पंजाब तथा हरियाणा उच्च-न्यायालय के फैसले के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, जो अनिर्णीत पड़ी है।

मैसूर में उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा शराब की दुकानों की निलामी के लिये अपनाई गई प्रणाली

4377. **श्री धर्मराज अफ्जलपुरकार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार, राज्य में शराब की दुकानों का ठेका देने के लिये नीलामी की प्रणाली अपना रही है ।

(ख) क्या बंगलौर और गुलबरगा शहरों तथा सिविल क्षेत्रों में शराब की दुकानों को प्रतिमास भारी हानी हो रही है;

(ग) क्या सरकार को ताल्लुकवार नीलामी की इस प्रणाली के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) गुलबर्ग में वर्ष 1971–72 के लिए शराब की केवल एक दुकान को नीलाम किया गया है : चूँकि पिछले वर्ष में इस प्रकार की कोई शराब की दुकान नहीं थी, इसलिए इसके हानि उठाने का प्रश्न नहीं उठता । बंगलौर शहर तथा सिविल क्षेत्र से बियर की दुकानों में कुछ हानि हो रही है, परन्तु बताया गया है कि ताड़ी तथा अर्क से होने वाले तदनुरूप लाभ द्वारा इस हानि का पर्याप्त रूप में पूर्ति हो गयी है ।

(ग) ताड़ी की दुकानों की तालुक अथवा दुकान स्तर पर नीलामी को समाप्त करने के सुझाव राज्य सरकार को प्राप्त हुए थे ।

(घ) दिये गये सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया था लेकिन राज्य सरकार ने नीलामी की पद्धति में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा है ।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

4378. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमाशुल्क अधिकारियों ने बम्बई के कुछ स्थानों से सोना बरामद किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस सिलसिले में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । 1–4–71 से 30–6–71 की अवधि में सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अधिकारियों ने बम्बई में 178 किलोग्राम सोना पकड़ा जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय दर पर 15 लाख रुपये तथा भारतीय बाजार दर पर 34 लाख रुपये है ।

(ख) इस सम्बन्ध में 16 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

सीमाशुल्क विभाग, कोचीन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण हेतु अर्जित की गई भूमि के किराये का भुगतान

4379. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क विभाग, कोचीन, के कर्मचारी उस जमीन के लिये जो सरकार ने कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के प्रयोजन से 1965 में अधिग्रहीत की थी, उतनी ही राशि का भुगतान कर रहे हैं जो किराये की राशि के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क). जी, नहीं । कोचीन में सीमाशुल्क-कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण हेतु सरकार ने जिस भूमि का अधिग्रहण किया है, उसका किराया सरकार द्वारा अदा किया जा रहा है, कोचीन सीमाशुल्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा नहीं ।

(ख) तथा (ग) ऊपर (क) को देखते हुए यह सवाल ही नहीं उठता ।

कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार

4380. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने रक्षा मन्त्रालय से यह अनुरोध किया है कि कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार करने की अनुमति दी जाय; और

(ख) यदि हां, तो रक्षा मन्त्रालय की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख).** रक्षा मन्त्रालय ने सूचित किया है कि उन्हें कोचीन के धावन पथ का विस्तार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु कई बड़ी बाधाओं के कारण ऐसा करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा व्यापार वाले स्थान से भिन्न राज्य में मुख्य कार्यालय स्थापित किये जाने से कर राजस्व में हानि

4381. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा व्यापार वाले मुख्य राज्य से भिन्न राज्य में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित कर लिये जाने के कारण कुछ राज्यों को करों के रूप में प्राप्त होने वाला राजस्व नहीं मिलता; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी कम्पनियों को अपने मुख्य कार्यालय उस राज्य में स्थापित करने के लिए कहने का है जहां उनका व्यापार मुख्य रूप से चल रहा है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) केन्द्रीय करों में से, आय कर तथा संघीय उत्पादन शुल्क में राज्य सरकारों का भाग होता है और ये राज्यों के भाग, समय-समय पर वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संघीय उत्पादन शुल्क राज्यों में, 80 प्रतिशत आबादी के आधार पर और 20 प्रतिशत सम्बन्धित राज्यों के पिछड़े धन के आधार पर वितरित किया जाता है; अत: इसमें मुख्य कार्यालय के स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं होता। आय कर राज्यों के भाग का 90 प्रतिशत आबादी के आधार पर एवं 10 प्रतिशत, निर्धारण के आंकड़ों के आधार पर वितरित किया जाता है। कम्पनियों के मुख्य कार्यालयों की स्थिति के स्थानों से आयकर का संग्रह, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 124 के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार को इस व्यवस्था के विरुद्ध कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

कोचीन शिपयार्ड से बर्खास्त किए गए नैमितिक चौकीदार

4382. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मास कोचीन शिपयार्ड से कितने नैमितिक चौकीदार बर्खास्त किये गये,

(ख) बर्खास्तगी के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें वैकल्पिक रोजगार देने का है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आगमन के फलस्वरूप 13 मई 1971 से कोचीन शिपयार्ड परियोजना के 8 अस्थायी चौकीदारों की सेवायें समाप्त की गए। कुल मिलाकर 13 चौकीदार थे और उन्हें केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षाबल जिसमें वेतनमान की अधिकतम सीमा अधिक थी में सेवारम्भ करने की छूट दी गई और उसको उनके वर्तमान वेतन को सुरक्षित रखने का भी आश्वासन दिलाया गया था इसके बावजूद भी, उन सबने इस पेशकश का लाभ नहीं उठाया। उनमें से 5 को अन्य पदों जिनके लिये वे उपयुक्त थे, पर खपाना संभव था और शेष 8 की छटनी की गई। अब दूसरी उपयुक्त रीतियों के लिए उन पर दूसरों के साथ विचार किया जा सकता है बशर्ते कि परियोजना की भविष्य की मांगों के उत्तर में रोजगार कार्यालय द्वारा उनके नाम प्रायोजित हों, वास्तव में उनमें से एक को 1 जुलाई 1971 से चपरासी नियुक्त किया गया है।

आय कर निर्धारण के मामलों का नमूना लेखा-परीक्षा

4383. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आय-कर निर्धारण के कुल मामलों में से कितने प्रतिशत मामलों में नमूना लेखा परीक्षण किया गया;

(ख) कम निर्धारण, अनुचित राहत देने, आदि के परिणामस्वरूप जैसा कि नमूना लेखा परीक्षाओं से पता चला है सरकार को, वर्षवार, कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) क्या इसका कारण आय-कर कर्मचारियों द्वारा जानबूझ कर नियमों की गलत व्याख्या किया जाना है या लेखा परीक्षा कर्मचारियों द्वारा करदाताओं को हानि पहुंचाने के लिए नियमों की अनावश्यक रूप से अधिक सूक्ष्म व्याख्या किया जाना है; और

(घ) जिन मामलों में इस प्रकार के मतभेदों का पता चलता है उनका सरकार के राजस्व अथवा करदाताओं के हितों के प्रति कोई पक्षपात दिखाए बिना अन्तिम निर्णय करने की शक्ति किसको है और इस प्रकार के कितने मामले इस समय निर्णय के लिए विचाराधीन हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) राजस्व प्राप्तियों पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में प्रत्येक वर्ष दिए गए लेखा परीक्षा के परिणामों में आमतौर पर किसी वर्ष की 1 सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक की अवधि आती है । किन्तु केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड वित्तीय वर्ष के आधार पर पूरे किये गये कर-निर्धारणों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित करता है । अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वित्तीय वर्ष	पूरे किए गये कर-निर्धारणों की संख्या (लाख में)	सांविधिक नमूना लेखा-परीक्षा में समीक्षित कुल मामलों की संख्या (लाख में)	प्रतिशत अनुपात
1967—68	25·57	2·36 (1–9–67 से 31–8–68 तक)	9·2
1968—69	34·15	2·59 (1–9–68 से 31–8–69 तक)	7·5
1969—70	35·58	2·74 (1–9–69 से 31–8–70 तक)	7·7

(ख) राजस्व हानि के अवसर तभी आते हैं जब सांविधिक नमूना लेखा-परीक्षा में बताई गई भूलों को समय सीमित होने के कारण सुधारा नहीं जा सका हो। पिछले तीन वर्षों में सरकार की जानकारी में लाये गए और सरकार द्वारा जांचे गये इस प्रकार के मामलों में से निम्नलिखित मामलों में हुई राजस्व की हानि (अनुमानतः) नीचे दी गई है :

वर्ष	मामलों की संख्या	न्यून-निर्धारण की अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख में)
1967—68	55	5·15
1968—69	25	8·23
1969—70	10	2 21

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में न्यून-निर्धारण के जो मामले सांविधिक नमूना लेखा-परीक्षा में नोटिस में आये और जिनका लेखा-परीक्षा रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है वे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मामलों की संख्या	राजस्व का न्यून–निर्धारण की अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख में)
1967–68	10,978	660
1968–69	12,418	687
1969–70	16,997	859

इनमें से अधिकांश में संभवत : वसूली हो चुकी है । किन्तु इनमें से कितने मामलों वास्तव में संशोधन तथा वसूली संभव हुई है इनके बारे में अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) : अधिकतर गलतियां कुल आय की संगणना करने, उस पर देय कर का हिसाब लगाने, अवमूल्यन तथा विकास छूट की मंजूरी देने और इसी तरह की अन्य रियायतें मंजूर करने के कारण उत्पन्न होती हैं । ऐसे नियमों को लागू करने में हुई भूलों के भी कुछ मामले जानकारी में आये हैं जिनकी व्याख्या न्यायलयों द्वारा अथवा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुदेशों द्वारा की गई है ।

आमतौर पर सांविधिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा नियमों की अनावश्यक रूप से अधिक सूक्ष्म व्याख्या करने का कोई प्रश्न नहीं होता । यदि किसी कानूनी मुद्दे पर लेखा-परीक्षा विभाग और राजस्व विभाग के बीच किसी प्रकार का मतभेद होता है तो उस मुद्दे को सरकार के विधि अधिकारियों के पास उनकी राय जानने के लिए भेज दिया जाता है । अधिकांश मामलों में विधि मंत्रालय द्वारा और जहां आवश्यक होता है वहां महान्यायवादी द्वारा दी गई सलाह लेखा परीक्षा विभाग और राजस्व विभाग दोनों द्वारा मान ली जाती है । फिर भी यदि लेखा-परीक्षा विभाग की राय में मामला पर्याप्त महत्व का होता है तो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में इस मामले पर सरकारी लेखा समिति का ध्यान दिलाया जाता है और मामले की जांच किये जाने के परिणामत: सरकारी लेखा समिति द्वारा जारी किये गये निदेश लेखा-परीक्षा विभाग और सरकार दोनों के लिए अगली कार्यवाही हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त बन जाते हैं । इस प्रकार के मामले जिन पर सरकारी लेखा समिति ने कोई निर्देश दिये हों और जो इस समय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए पड़े हों उनकी संख्या सम्भवत : कोई खास ज्यादा नहीं है ।

केरल में कड़ीपुर में एक हवाई अड्डे का निर्माण

4384. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोजीकोडे के निकट कड़ीपुर में हवाई अड्डे के प्रस्तावित निर्माण का स्थगित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और यह हवाई अड्डा कब तक चालू हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भूमि पहले ही ली जा चुकी है, तथा उसे समतल करने का कार्य जल्दी ही प्रारम्भ हो जायेगा । विमानक्षेत्र के पांचवी योजनाविधि के शुरू में चालू हो जाने की सम्भावना है ।

बलियापत्तन सड़क पुल का निर्माण

4385. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में बलियापत्तन पुल (सड़क) के निर्माण के लिये कोई निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने तथा कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस पुल के निर्माण के लिये केरल सरकार ने चुने हुए ठेकेदार से पहले ही एक करार कर लिया है और कार्य का 1971 के बरसात के बाद आरम्भ किये जाने और लगभग 4 वर्ष के समय में पूरे किये जाने की सम्भावना है ।

कासरगोड पत्तन का लघु पत्तन मे रूप के विकास

4386. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कासरगोड़ पत्तन को लघु पत्तन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिये अनुमानतः कितना धन व्यय किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) कासरगोड़ पहले ही छोटा पत्तन है। केरल सरकार जो इस राज्य में छोटे पत्तनों के विकास से सम्बन्धित है, ने सूचित किया है कि कासरगोड़ पत्तन इस समय प्रतिवर्ष 1000 टन भार यातायात से कम की धरा-उठाई करता है और यह इस पत्तन के विकास कार्यक्रम को युक्तिसंगत नहीं बनाता है।

त्रिपुरा में इन्जीनियरिंग कालेजों के आदिवासी विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

4387. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ' तो यह छात्रवृत्ति कितने विद्यार्थियों को दी जाती है और प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि कितनी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और बाद में सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Guidelines for Vikram University

4388. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Government of Madhya Pradesh have laid down any guidelines for Vikram University;

(b) If so, the broad outlines thereof and if not, the reasons therefor;

(c) Whether some State Governments do not recognize the Degrees awarded by this University to the extent to which they recognize the Degrees awarded by other Universities; and

(d) If so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare And in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, sir.

(b) The University being autonomous no guidelines need be laid down by the State Government.

(c) No such instance has come to notice of the University or the State Government.

(d) Does not arise

Excavation Work in Madhya Pradesh

4389. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Culture** be pleased to state. :

(a) The names of various places in Madhya Pradesh where excavation work is being carried on at present by the Archaeological Survey of India; and.

(b) The period of Indian Culture which has come to light as a result of the said excavation work?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfareh and in the Department of Agriculture (Shri D. P. Yadav) : (a) No excavation work is being carried on at present, by the Archaeological Survey of India in Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

Foreign Exchange Earnings From Tourism In Madhya Pradesh

4390. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state: the amount of foreign exchange likely to be earned from tourism in Madhya Pradesh during the year 1971-72.

The Minister of Tourism And civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Foreign exchange earnings from tourism are estimated on an all-India and not on a State-wise or place-wise basis.

Declaration of Maheshwar town in Madhya Pradesh as a Tourist Centre.

4391 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal to declare Maheshwar town in Madhya Pradesh, having historical and cultural background, as a tourist centre of national importance; and

(b) Whether Government propose to sanction grants to the local authorities for the development of spots of historical and cultural importance existing in that town?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) & (b) : No, Sir.

Payment of Incometax by Firms and Individuals in Madhya Pradesh

4392. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The names of the top individuals and firms in Madhya Pradesh who have paid the maximum Income-tax during the last two years with the amount of Income-tax assessed on them separately and the amount of Income-tax paid by them in each case;

(b) The amount of Income-tax arrears outstanding against the said persons and firms as on 31st March, 1970; and

(c) The action proposed to be taken by Government to realise the said amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) . The requisite particulars relating to top 20 individuals and firms on the basis of assessments completed in the financial year 1969—70 are being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

बैंक के कार्यकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक

4393. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** **श्री जी० वेंकटस्वामी**
श्री पी० गंगादेव

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की हुई हाल की बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंक को विनियोजन नीतियों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले कोई ठोस मार्गदर्शी सिद्धान्त रखे गये थे:

(ख) बेरोजगारी की समस्या और मंहगाई की समस्या का समाधान करने में बैंकों के साधन जुटाने के सम्बन्ध में बैठक में क्या निर्णय किए गए, और

(ग) बैठक में अन्य विषयों पर चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किये गये थे ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अप्रैल 1971 के अन्तिम सप्ताह में हुई, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक की कार्यसूची के महत्व पूर्ण विषयों में से एक विषय था "बैंकों के संसाधन और उनका वितरण"। बैठक में प्रत्येक बैंक के लिए उपयुक्त-ऋण -आयोजन एवं अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का अत्यन्त आवश्यकता पर भी जोर दिया गया था बैंकों से यह अनुरोध किया गया था कि वे उनके पास जमा की रकमों में वृद्धि करने के अपने प्रयत्नों को और बढ़ायें तथा रिजर्व बैंक से कम से कम उधार लें, जिससे मुद्रा स्फीति-कारी दबाव पड़ता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को परामर्श दिया गया था कि वे बड़े बड़े ऋण खातों की ध्यान पूर्वक छानबीन करें।

विचार-विमर्श के दौरान रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में बैंकों की भूमिका पर भी काफी चर्चा की गयी। आत्मनियोजित व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं देने के सम्बन्ध में ठक्कर समिति की सिफारिशों तथा उनसे सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर भलीभांति विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि आत्म नियोजित व्यक्तियों का ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना प्रत्येक शाखा अभिकर्ता का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

उन उपायों पर भी विचार किया गया जिनसे वर्तमान भर्ती पद्धति तथा बैंक कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है। उन उपायों पर भी गहराई से

विचार किया गया जिससे बैंक राष्ट्रीयकरण को सफल बनाने में कर्मचारियों से अधिकाधिक सहयोग मिले ।

औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम द्वारा निजी क्षेत्र को दिया गया ऋण

4394. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-मार्च, 1971 के बीच औद्योगिक विकास बैंक और औद्योगिक वित्त निगम ने गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कितना ऋण दिया तथा सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ख) जनवरी-मार्च, 1971 में भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा उद्योग में लगे निजी क्षेत्र के उद्योगों को कितनी सहायता की गई और संबन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबन्ध में दे दी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 635/71**]

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जहाँ तक उपलब्ध हो सकेगी सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Inculcating Sense of Discipline Among Students

4395. **Shri Phool Chand Varma :**
Shri P. R. Das Munsi :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government have under consideration any proposal to inculcate a sense of discipline among the students ;

(b) If so, the main features thereof: and

(c) Whether any Government Institution or body is already engaged in this work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). A statement is attached. [**Placed in the Library. See No. L. T. 636/71**]

उड़ीसा में रायपुर-वरहामपुर सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

4396. **श्री पी० के० देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में रायपुर वरहामपुर सड़को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस राष्ट्रीय राजपथ के समीप कौन-कौन से मुख्य नगर आयेंगे ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी विमान सेवा

4397. **श्री० डी० के० पंडा** : क्या **पर्यटन और नगार विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का दिल्ली और भुवनेश्वर (उड़ीसा) के बीच कब तक सीधी विमान सेवा चालू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा०कर्ण सिंह) : दिल्ली और भुवनेवर के बीच सीधी विमान सेवा परिचालित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निर्वाचनों में जाली धन का प्रयोग

4398. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए निर्वाचनों में काफी जाली धन का प्रयोग किया गया था; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जाली करेंसी बनाने के खिलाफ बराबर नजर रखी जाती है । पुलिस ने, नवम्बर, 1970 और फरवरी, 1971 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में पेशेवर जालसाजों से 3,77,592 रुपये के मूल्य की जाली करेंसी बरामद की । सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी मामले दर्ज किए गये हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

केरल में इडक्कातूवयाल में असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण

4399. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में इडक्कातूवयाल में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तन

4400. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या शिक्षा **और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या जून, 1971 में माउन्ट-आबू में हुई अखिल भारतीय छात्र नेता परिषद में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को रोजगार प्रधान बनाने के लिए उसमें परिवर्तन करने की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन पूरक बातों पर चर्चा हुई तथा क्या निर्णय किये गये तथा उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना जोधपुर विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है जिसके तत्वावधान में सम्मेलन हुआ था। यथा समय सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई भूमि से बेदखल किये गये व्यक्तियों का पुनर्वास

4401. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के धावन-पत्र का केवल 7500 फुट तक विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये जिनका केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि का कब्जा है सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि से बेदखल किये गये व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) यह निर्णय किया गया है कि त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्र पर 77·80 एकड़ भूमि को बिना मूल्य के नागर विमानन विभाग को हस्तांतरित किये जाने के केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये। नागर विमानन विभाग उक्त भूमि पर कब्जे वाले व्यक्तियों के पुनर्वास पर 318 लाख रुपये का व्यय करेगा। परन्तु, धावन पथ का विस्तार करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है क्योंकि यह बोइंग 737 परिचालनों के लिए पहले ही पर्याप्त है। ये परिचालन इस वर्ष अक्तूबर से प्रारम्भ हो जायेगें।

त्रिवेन्द्रम में आई० टी० आई० भवन से बोइंग विमान को खतरा

4402. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से पूछा है कि क्या त्रिवेन्द्रम में आई० टी० आई० भवन से बोइंग विमान को कोई खतरा होगा; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). केरल सरकार को सूचित कर दिया गया है कि त्रिवेन्द्रम के सिविल हवाई अड्डे के पास स्थित आई० टी० आई० बिल्डिंग को बोइंग 737 परिचालनों की सुरक्षा की दृष्टि से गिरा दिया जाना चाहिये। ये परिचालन इस वर्ष अक्तूबर से प्रारम्भ किये जाने हैं।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को बोनस का भुगतान

4403. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील, खनिज तथा धातु व्यापार निगम इंडियन एयर लाइन्स, एयर इंडिया, भारतीय तैल निगम और राज्य व्यापार निगम में 1,600 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को कितने प्रतिशत बोनस दिया गया; और

(ख) उपरोक्त उपक्रमों में से प्रत्येक में 1,600 रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले अधिकारियों को कितने प्रतिशत बोनस दिया गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अन्तर्गत, बोनस केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है जो प्रतिमास 1600 रुपये तक वेतन पाते हों। सरकार ने, सरकारी उद्यमों को यह अनुमति दी है कि वे, उन अधिकारियों को, जिन्हें प्रतिमास 1600 रुपये से अधिक वेतन मिलता हो, अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर सकते हैं, बशर्ते कि

(क) उपक्रम को लाभ होता हो।

(ख) अदायगी, उपलब्ध 40 प्रतिशत अधिशेष की रकम में नियोजक के हिस्से से बोनस संदाय अधिनियम 1965 के अनुसार की जाय।

(ग) अनुग्रहपूर्वक अदायगी की रकम तय करने के प्रयोजन के लिए मासिक वेतन की रकम 1600 रुपया ही मानी जायेगी, चाहे वास्तविक वेतन कुछ भी हो। जिन उद्यमों को लाभ हुआ है और जिनके पास उपलब्ध अधिशेष में नियोजक के हिस्से में पर्याप्त रकम उपलब्ध है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहन और पुरुष्कार देने के लिए ऐसा किया जाता है।

उद्योग द्वारा,, दो श्रेणियों के कर्मचारियों को 1969–70 के लिए अदा किये गये बोनस अनुग्रहपूर्वक अदायगी का प्रतिशत इस प्रकार है :—

उपक्रम का नाम	प्रतिमास 1600 रु० से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी	प्रतिमास 1600 रु० या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी
	(1969–70 के लिए दिये गये बोनस,/अनुग्रहपूर्वक अदायगी का प्रतिशत	
1	2	3
एयर इण्डिया	शून्य	4
हिस्दुस्तान स्टील	शून्य	4
इण्डियन एयर लाइन्स	विचाराधीन	4†
भारतीय तेल निगम	20 (अदा की जाने वाली रकम का हिसाब लगाने के लिये मासिक वेतन 750 रुपया ही माना गया)	20
खनिज और धातु व्यापार निगम	शून्य	20
राज्य व्यापार निगम	20 (अदा की जाने वाली रकम का हिसाब लगाने के लिये मासिक वेतन 1600 रुपया ही माना गया)	20

बोइंग विमानों के लिये पालम हवाई अड्डे पर हैंगर का पुनः निर्माण

4404. **श्री मोहम्मद इस्माईल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग विमानों के ठहरने के लिये पालम हवाई अड्डे पर बनाये गये हैंगर को गिराया गया था; तथा उसका निर्माण फिर से कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) बोइंग 737 विमानों को टहराने के लिये 1·35 लाख रुपये की लागत से दो हैंगरों की ऊंचाई मे वृद्धि की गयी।

† चूंकि बोनस संदाय अधिनियम इंडियन एयर लाइन्स पर उसके अपतियोगी उपक्रम होने के कारण लागू नहीं होता, इसलिए इसे अनुग्रहपूर्वक अदायगी माना गया है।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, मद्रास में हड़ताल

4405. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्लर्कों की हड़ताल के कारण रिजर्व बैंक, मद्रास कार्य लगभग एक सप्ताह तक पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो विवाद को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) **और** (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के मद्रास कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 7 जून से 14 जून, 1971 तक हड़ताल पर रहे थे । क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) मद्रास, द्वारा मध्यस्थता किए जाने पर समझौता हो गया और 15 जून 1971 को हड़ताल समाप्त हो गयी ।

सिंडीकेट बैंक के साथ धोखाधड़ी

4406. **श्री पी० गंगादेव** :
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई ऐसा गिरोह सक्रिय है जिसने मई और, जून 1971 में कई बकों के साथ धोखाघड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंडीकेट बैंक की एक शाखा के साथ 10 जून, 1971 को 9·500 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि देश में एक ऐसा गिरोह काम कर रहा जिसने 1971 के मई और जून महीनों में बैंकों के साथ धोखा धड़ी की ।

(ख) और (ग) : सिण्डीकेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उसकी नांगलोई स्थित शाखा में 9 जून, 1971 को 9,500 रुपए की धोखाधड़ी की गयी थी । बैंक ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई थी । इस सम्बन्ध में पुलिस ने दो व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जिनमें से एक बैंक का परिचय है तथा दूसरा बाहर का व्यक्ति है । बाहरी व्यक्ति से 2000 रुपये बरामद होने की सूचना मिली है पुलिस द्वारा जांच का कार्य अभी चल रहा है । बैंक ने, पुलिस द्वारा मामले को आगे जाँच करने तक, परिवार को निलंम्बित कर दिया है ।

ट्रैक्टरों पर सीमा शुल्क

4407. **श्री एम० एम बनर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित और देश में निर्मित ट्रैक्टरों के मूल्यों के अन्तर को दूर करने के लिये आयातित ट्रैक्टरों पर अत्यधिक सीमा-शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या भारत की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता फर्म मैसर्स एस्कोर्ट्स लि० ही एक ऐसी फर्म है, जो अपनी खराब किस्म और ऊंची कीमत के कारण स्वनिर्मित सब ट्रैक्टर नहीं बेच सकी;

(ग) आयातित ट्रैक्टरों के अधिक मूल्य होने पर भी अन्य ट्रैक्टर निर्माताओं के यहाँ प्रतीक्षा कर रहे खरीददारों की लम्बी सूची है;

(घ) क्या अत्यधिक सीमा-कर देश के बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं को सुरक्षा प्रदान करने और उनके लाभ के लिये लगाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किसानों के हित को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया क्योंकि देश में इस समय निर्मित किये जा रहे ट्रैक्टर 15 वर्ष पुराने मॉडल के हैं और किसानों को सस्ती दरों पर नवीनतम मशीनें प्राप्त करने के अधिकार से वँचित रखा जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयातित कृषि-ट्रैक्टरों पर मूल्यानुसार 30 प्रतिशत का सीमाशुल्क लगाया गया है। जिन कारणों से यह शुल्क लगाया गया है उनका उल्लेख 1971-72 के बजट भाषण के भाग 'बी' (पैराग्राफ 62) में किया जा चुका है।

(ख) सरकार को इस आशय की कोई शिकायत नहीं मिली है कि मैसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किये जाने वाले और बेचे जाने वाले ट्रैक्टर घटिया स्तर के तथा अधिक मंहगे हैं।

(ग) यह सच है कि यद्यपि स्वदेशी ट्रैक्टरों की कीमत आयातित ट्रैक्टरों की कीमत की तुलना में अधिक है तथापि ट्रैक्टरों को कुछ स्वदेशी किस्मों के खरीदारों की लम्बी प्रतीक्षा-सूची है।

(घ) तथा (ड) आयात शुल्क लगाते समय, सरकार किन्हीं विशेष निर्माताओं के हितों को नहीं, बल्कि समूची अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रख कर कार्य करती है। आयातित उपस्कर पर आयात शुल्क लगाने का सिद्धान्त अब कई वर्षों से, अधिकाँश आयातित उपस्करों के मामलों में, राजस्व के साधन तथा स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात-प्रतिस्थापन के साधन, दोनों रूपों में अपनाया जा रहा हैं। अब जबकि टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार (G. A. T. T.) सम्बन्धी बंधन से आवश्यक छूट प्राप्त कर ली गयी है, वही सिद्धान्त कृषि-ट्रैक्टरों के आयात पर लगाये जाने की कोशिश की जा रही है। यह तथ्य भी कि ट्रैक्टर ऐसे काश्तकारों द्वारा खरीदे जाते हैं जो कि साधन जुटाने सम्बन्धी प्रयत्न में योगदान दे सकते हैं ध्यान में रखा

गया है । साथ ही जहां तक आवश्यक तथा व्यवहार्य है, सरकार किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि-ट्रैक्टरों के आयात के लिए भी प्रयत्नशील है ।

मनीपुर राज्य परिवहन की बसों और ट्रकों का ढांचा बनाने वाली वर्कशाप

4408. **श्री एन० टाम्बी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य परिवहन की बसों तथा ट्रकों का ढांचा बनाने वाली वर्कशापों के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं, और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए मनीपुर राज्य परिवहन ने अपनी वर्कशाप चालू कर दी है ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) वे फर्म ये है (1) मैंमर्स अशोका कामरशियल सिन्डीकेट कलकत्ता—16 जिसकी अपनी कर्मशाला आसनसोल में है, और (2) मैंमर्स मणिपुर इंडस्ट्रीज, और (3) जमुनालाल मंगेलाल एन्ड कम्पनी, जिन दोनों की अपनी कर्मशाला इम्फाल में है ।

(ख) मणिपुर राज्य परिवहन की अपने स्वयं की कर्मशाला इम्फाल में है । परन्तु यह मुख्यत: आवश्यक मरम्मत, छोटे या बड़े प्रकार के बस वाड़ी का जीर्णोद्वार करने और बढ़ईगिरी लोहार का काम और रंगाई कार्य करने के लिये बनाया गया है ।

मनीपुर राज्य परिवहन का कार्यकरण

4409. **श्री एन० टाम्बी सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य परिवहन की (एक) चालू, (दो) बेकार खड़ी, बसों की संख्या कितनी-कितनी है,

(ख) क्या भविष्य में उपयोग किये जाने के लिये बेकार खड़ी बसों की मरम्मत कराई जा रही है, अथवा उन्हें बेचा जा रहा है ।

(ग) क्या मनीपुर की सरकार को पता है कि मनीपुर राज्य परिवहन के प्रबन्ध के प्रति उपाय जनता में बहुत असंतोष है, और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीयकार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) क्रमश: 62 तथा 19 ।

(ख) जहाँ कहीं ये मितव्ययी होती हैं मरम्मत की जाती हैं, बाकी मामलों में, सरकार के फायदे की दृष्टि से गाड़ियों का निपटान कर दिया जाता है ।

(ग) और (घ) : मणिपुर सरकार को पता है कि मणिपुर राज्य परिवहन निगम के परिचालनों में सुधार के लिये गुंजाइश है । बेकार खड़ी बसों की संख्या कम करने तथा यात्रियों की असुविधाओं या कठिनाइयों को कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ।

(1) टूटफूट विभाग को कम करने के लिए मोटर गाड़ियों की निवारक अनुरक्षण की पद्धति को लागू किया जा रहा है ।

(2) कम से कम बसों के मरम्मत के लिए आवश्यक फालतू पुर्जों का आभातित अर्जन किया जा रहा है ।

(3) मणिपुर राज्य परिवहन वर्कशाप में मरम्मत सुविधाओं को बढ़ाया सशक्त बनाया जा रहा है ।

(4) किसी बस के खराब होने के परिणामस्वरूप रुके हुए यात्रियों की सहायता के लिए "स्टर्ड वाई" बसे स्थानों पर रखी जा रही हैं ।

(5) मौजूदा रास्तों पर परिचालनों की आवृतियां । गति में वृद्धि करने के लिए और इम्फाल-आभंगलांग, इम्फाल-उखरुल, इत्यादि, जैसे हाल ही में खोले गये रास्तों जिन पर मणिपुर राज्य परिवहन बसें चलनी शुरू हो गयी हैं, पर बस सेवाएं चलाने के लिए और बसें ली जा रही हैं । सड़कों का सुधार भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है ।

पूर्वी जोन में जनजाति संस्कृति का अध्ययन

4410. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर मनीपुर, नागालैंड और आसाम में जनजाति संस्कृति के अध्ययन कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : सरकार ने, जनजाति संस्कृति के अध्ययन कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित कार्यवाइयाँ की हैं:—

(i) भारत सरकार ने, शिलांग में एक जनजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है । इस संस्थान को असम सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधीन, पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए चला रही है । यह संस्थान, असम और मेघालय राज्यों को जनजाति संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है । नागालैंड में, कीदिमा में एक नागा संस्थान है, किन्तु यह पिछड़े वर्ग योजना के अधीन नहीं आता है ।

(ii) मणिपुर सरकार का विचार एक अनुसंधान निदेशालय स्थापित करने का है। इसके अतिरिक्त, राज्य में कला परिषद स्थापित करने का भी विचार है, जिसमें जनजाति संस्कृति के अध्ययन में सुविधा होगी। मणिपुर सरकार, जनजाति सम्बन्धी कार्य-कलापों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों को वार्षिक अनावर्ती अनुदान भी देती है। वर्ष 1970–71 के दौरान, साँस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने, विभिन्न जनजाति बोलियों में पुस्तकें प्रकाशित करने, और जनजाति बोलियों में लिखित पुस्तकों की खरीद के लिए लगभग 20,000 रु० खर्च किए गए।

(iii) संगीत नाटक एकादमी ने, अपनी आयोजना सम्बन्धी योजनाओं में से एक अर्थात् लोक नृत्य, नाटक और संगीत का सर्वेक्षण और प्रलेख-पोषण के अधीन, पूर्वी क्षेत्र के चोंकसाँग नागा, काइरिंपग मिचिंग आदि जैसी अनेक जनजातियों के जनजातीय संगीत टेप कर लिए हैं। उनके कुछ नृत्य फिलमा भी लिए गये हैं। जनजातीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र की क्रमिक रूप से आयोजना बना ली गई है और आगामी वर्षों में, इसके और अधिक व्यापक होने की आशा है।

कोकाकोला एक्सपोर्ट "कारपोरेशन द्वारा विदेश भेजी गयी लाभ की राशि

4411. **श्री सतपाल कपूर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स कोका कोला 'एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा गत तीन वर्षों में वर्षवार विदेश भेजी गई लाभ की राशि कितनी थी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 1968 से 1970 तक के वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कोकाकोला एक्टपोर्ट कारपोरेशन, नयी दिल्ली को लाभ की निम्नलिखित रकमें विदेश भेजने की अनुमति दी थी:

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)
1968	32·94
1969	44·01
1970	60·58

उड़ीसा की पिछड़ी हुई जनजातियों का उत्पादन

4412. **श्री के० प्रधानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना के दौरान उड़ीसा में बन्डा पाराजा, कोया, लरजिया सौरा और कुटिया कोंध जैसी अत्यन्त पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिये विशेष कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) जी हां।

(ख) पिछड़े वर्ग योजना के राज्य क्षेत्र के अधीन उड़ीसा में पोडू काश्तकारों "क" वर्ग आदिम जातियों (अर्थात् अत्यन्त पिछड़ी आदिम जातियों) को बसाने के लिए चतुर्थ योजना में 10.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इस धनराशि को निम्नलिखित योजनाओं पर खर्च करने का विचार है :—

1. भूमि का उद्धार।

2. आवास उपदान।

3. कुंओं और बस्तिओं का निर्माण।

4. सामुदायिक केन्द्र।

5. बस्तियों में सड़कें।

6. लघु सिंचाई परियोजनाएं।

7. बैलों, बीजों और औजारों की प्रदाय।

8. कुटीर उद्योगों के लिए उपदान।

पोरबन्दर पत्तन को हुई क्षति

4413. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भीषण आन्धी से पौरबन्दर पत्तन को क्षति पहुंची है, और

(ख) यदि हां, तो इसको कितनी क्षति पहुंची है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) : **और (ख)** गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि पत्तन पर निर्माणाधीन पनकट दीवार 300 फुट जून 1971 के प्रथम सप्ताह में तूफान से क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त में सामग्री का बह जाना, ढलाव का सीधा हो जाना और सिरे के भाग के चारों ओर टेटराफडस का विस्थापन शामिल है।

मन्दिरों के अधिकार में सोने का मूल्य

4414. **श्री एस० ए० मुरूननन्तम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मन्दिरों के अधिकार में सोने की मात्रा तथा उसके मूल्य के बारे में सरकार को कोई जानकारी है; और

(ख) क्या जनता के लाभ के लिये सोने को उपयोगी कार्य में लगाने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं ने जिनमें मन्दिर भी शामिल है, स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम 1968 की धारा 16 के अधीन 30–6–1969 तक सभी प्रकार का 4970 किलोग्राम सोना घोषित किया था जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर पर मूल्य लगभग 419 लाख रुपया है। सोने की इस मात्रा में ऐसे सोने को शामिल नहीं किया गया है जो इस प्रकार किसी संस्था द्वारा, अधिनियम की धारा 16(5) में विनिर्दिष्ट छूट की सीमाओं के अन्तर्गत, अपने पास रखा जा सकता है और जिसके लिये किसी प्रकार की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) जी नहीं।

तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कोटअल्लम का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

4415. **श्री एस०ए० मुरुगनन्तम्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कोटअल्लम का पर्यटन केन्द्र रूप में विकास करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्ति हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस आशय का एक आवेदन राज्य सरकार से जनवरी, 1971 में प्राप्त हुआ था।

(ख) साधनों के समन्ततः परिसीमित होने के कारण, जिससे कि प्राथमिकताओं का एक कठोर क्रम-निर्धारण आवश्यक हो गया है, राज्य सरकार के आवेदन को स्वीकार करना सम्भव नहीं हो सका है।

Drinking Water Facilities in Villages in Madhya Pradesh Inhabited by Harijans

4416. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of villages inhabited by Harijans and Scheduled Tribes in Madhya Pradesh, where facilities for drinking water have not been provided;

(b) Whether the people of these villages have to go to distant places to fetch drinking water;

(c) If so, the time by which Government would be able to make arrangements for the supply of drinking water in the said villages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) . The information is being collected from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

Seizure of Watches form a Car near Panipat.

4417. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Customs Department had recovered smuggled watches worth about Rs. one lakh form a Amritsar-bound car on G. T. Road near Panipat in the first fortnight of April, 1971; and

(b) The number of persons arrested in this connection and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) On 11th April, 1971, 37 wrist watches valued about Rs. 3,500/—only were seized by the Central Excise Staff from Chandigarh bound car near Sonipat.

(b) One person was arrested and released on bail bond and surity bond pending further investigations in the matter.

उद्योग तथा कृषि सम्बन्धी विषयों पर अनुसन्धान कार्य

4418. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या पशुपालन और मत्सय पालन सहित उद्योगों और कृषि की ज्वलंत समस्याओं के सम्बन्ध ने अनुसंधान कार्य करने पर विशेष ध्यान देने के लिये विश्वविद्यालयों को निदेश जारी कि गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या चौथी योजना के आरम्भ होने के समय अब तक जारी किये गये ऐसे निदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं । तथापि, विश्वविद्यालया उन अनुसंधान की समस्याओं से परिचित हैं जो उद्योग और कृषि में लागू की जा सकती है । सामान्यतया विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी और प्राद्योगिकी विभाग उद्योग से सम्पर्क रखते हुए और औद्योगिक विषयों में अनुसन्धान और पाठ्यक्रमों का आयोजन करते हैं । वित्तीय सहायता शिक्षा-वृत्तियों और विदेशी मुद्रा इत्यादि के जरिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पर्याप्त निधि भी सौंप दी गई है ताकि वह समस्या उन्मुख कृषि अनुसंधान अभिकरणों, जैसे केन्द्रीय अनुसंधान संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि अनुसंधान एककों और अन्य विश्वविद्यालयों को, जिनके पास आवश्यक सुविधाएं और स्टाफ है, शामिल कर सके ।

शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था

4419. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों को कोई ऐसे विशिष्ट निदेश दिये हैं कि उनके अन्तर्गत जाने वाली सभी संस्थाओं में उपयुक्त शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के विषय की ओर पर्याप्त तथा तुरन्त ध्यान दिया जाय, और

(ख) यदि हाँ, तो ये निदेश कब जारी किये गये थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). ऐसे कोई विशिष्ट निदेश जारी नहीं किये गए हैं । किन्तु केन्द्रीय सरकार ने कालेजों में शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को तैयार करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को समय समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त बताए हैं । सरकार ने हाल ही में एक "राष्ट्रीय खेल संगठन कार्यक्रम" शुरू किया है । इस कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालयों, और कालेजों में शारीरिक शिक्षा और खेलों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है ।

अन्तर विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना

4420 **श्री एम० कतामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में एक ही विषय में योग्यता आँकने के सम्बन्ध में विभिन्न मापदंड विद्यमान है जिसके कारण प्रदत्त प्रथम श्रेणी और विशेष योग्यता वस्तुतः प्राप्तकर्त्ताओं की वास्तविक योग्यता को प्रकट नहीं करती है; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु एक अन्तर-विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना करने का है कि भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्तर एक दूसरे से भिन्न न हों ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा और परीक्षा के स्तर कुछ तथ्यों के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं जैसे कि भौतिक सुविधाएं, दाखिला पद्धत्ति' अध्ययन पाठ्यक्रम, अध्यापन की प्रणाली एवं कोटि, विश्वविद्यालय का बौद्धिक एवं शैक्षिक वातावरण मूल्यांकन और परीक्षा पद्धति आदि । अतः सभी विश्वविद्यालयों में समान स्तर रखना संभव नहीं है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कालेजों में प्रवेश के लिये चन्दा लेना

4421. **श्री एम० कतामुतु** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों के गैर सरकारी कालेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तथा अध्यापन और गैर अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य रूप से 'चन्दा' लिया जाता है; और

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में अपेक्षित संशोधन के लिये विचार कर रही है कि इससे अनुदान पाने वाली संस्थाएं इस निकृष्ट प्रथा को न अपनायें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा सँस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ इंजीनियरी कालेजों द्वारा विद्यार्थियों से उनके दाखिला लेते समय दान लिये जाने का पता चलता है।

सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि अध्यापन/गैर-अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए भी दान लिया जाता है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ने इस प्रथा को हतोत्साहित करने के लिये कुछ कदम उठाए हैं।

Nationalised Banks in Patna

4422. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The number and the names of the nationalised banks located in Patna;

(b) The number of employees working in each of the said banks;

(c) Whether it is a fact that some posts are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in banks services; and

(d) If so, the number of scheduled caste and scheduled tribe employees working in each of the banks there separately ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The names of the nationalised banks operating in Patna with the number of their offices and number of employees working in each of the banks are given below:

Names of Bank	Number of Offices	Number of Employees
1. Central Bank of India	5	257
2. Bank or India	2	86
3. Punjab National Bank	3	102
4. Bank of Baroda	1	29
5. United Commercial Bank	1	48

6. Canara Bank	1	20
7. United Bank of India	1	50
8. Dena Bank	1	26
9. Union Bank of India	1	24
10. Allahabad Bank	2	99

(c) Yes, sir.

(d) The number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees working in each of the above banks is as under:

Name of the Bank	No. of Employees	
	S. C.	S. T.
Central Bank of India	6	—
Bank of India	10	—
Punjab National Bank	17	8
Bank of Baroda	1 (Part time)	—
United Commercial Bank	1 (Part time)	—
Canara Bank	1	—
United Bank of India	1	—
Dena Bank	–	—
Union Bank of India	1	—
Allahabad Bank	2	—

Development of Cultural Institutions

4423 **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Culture be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated a scheme for the development of cultural institutio ns :

(b) If so, the Main features thereof :

(c) If not whether Government propose to formulate such a scheme, and

(d) If so, when ?

The Minister of Education and Social Welfare and Minister of Department of Culture (Shri Siddhartha Shankar Ray) : (a) The Government have formulated a number of schemes for the development of cultural institution. The following are some of the schemes formulated for the purpose :

(i) Building Grants to Cultural Organisations.

(ii) Financial Assistance to Voluntary Educational Organisations for the Development of Public Libraries.

(iii) Financial Assistance for the Recorganisation and Development of Private Museums.

(iv) Assistance to Voluntary Organisations for Promotion of Indian Languages.

(v) Financial Assistance to Professional Dance, Drama and Theatre Ensembles.

(b) Under these schemes financial assistance is given to cultural institutions etc. For the construction of buildings, purchase of equipment and furniture, for sustenance of performing and theatrical troupes, developmental activities etc.

(c) and (d) The question does not arise.

मैसूर में पर्यटन विकास

4424. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मैसूर राज्य में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य सरकार से कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत मैसूर राज्य में निम्नलिखित स्कीमों को हाथ में लिया गया है :—

(i) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बंगलौर में हाल ही में एक 91 कमरों का लग्जरी होटल खोला गया है।

(ii) एहोल में जल-वितरण स्कीम के लिये निधियों की व्यवस्था कर दी गई है।

(iii) हाम्पी में एक युवा होस्टल का निर्माण किया जा रहा है।

(iv) हस्सन स्थित यात्री लाज में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 20 कमरों की वृद्धि की जा रही है।

हाम्पी और बादामी में परिवहन यूनिटों की व्यवस्था करने, तथा बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम के परिवहन यूनिट को परिपुष्ट करने का भी प्रस्ताव है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा निकाली गई बीमा योजनायें

4425. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम तथा आन्ध्र प्रदेश सहकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बनायी गयी चार ग्रुपों की बीमा योजनाओं के परिणामस्वरूप, जिनका उद्घाटन हैदराबाद में 4 जून 1971 को आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा किया गया, विभिन्न श्रेणियों के लोगों को किस प्रकार के लाभ होने की संभावना है;

(ख) बनायी गयी योजनायें क्या हैं; और

(ग) क्या इन योजनाओं को अन्य स्थानों पर भी आरम्भ किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख). चार योजनायें ये हैं :—

(i) आन्ध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग फेडरेशन से ऋण लेने वाले व्यक्तियों के लिए समूह/बीमा योजना ।

(ii) वाहन खरीदने के लिये सहकारी समितियों से ऋण लेने वाले टैक्सी चालकों और आटो-रिक्शा चालकों के लिये समूह बीमा योजना ।

(iii) आन्ध्र प्रदेश कोआपरेटिव सैन्ट्रल लैण्ड मार्टगेज बैंक लिमिटेड के प्राथमिक सहकारी भूमि बंधक बैंकों की मार्फत ऋण लेने वाले व्यक्तियों के लिये समूह बीमा योजना;

(iv) आन्ध्र प्रदेश में सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिये समूह उपदान-एवं-जीवन बीमा योजना,

पहली तीन योजनाओं का उद्देश्य ऋण लेने वाले व्यक्ति की असामयिक मृत्यु की दशा में बकाया ऋण को परिसमाप्त करना है; और चौथी योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सेवा-निवृत्ति उपदान की वित्त व्यवस्था तथा जीवन बीमा सुरक्षा की व्यवस्था करना है ।

(ग) जी, हाँ । अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की योजनायें शुरू करने का जीवन बीमा निगम का कार्यक्रम है ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में नियुक्तियों सम्बन्धी समिति

4426. **श्री सतपाल कपूर** :
श्री पी० एंथनी रेड्डी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद में नियुक्तियों तथा भरती करने के सम्बन्ध में नियुक्त एक सदस्यीय समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां। समिति ने गोपनीय तरीके से रिपोर्ट पेश कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ख) रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद ऐसे मामलों में पहले की प्रथा के अनुसार इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजने का विचार है।

उत्तरी बंगाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोला जाना

4427. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोलने के लिये उत्तरी बंगाल क्षेत्र में चल रहे 'लीड बैंक' को कोई अनुदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय से अब तक कितनी नई शाखायें खोली गयीं तथा कितनी और शाखायें खोलने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में देवनहाट तथा पुंडी बाडी स्थानों पर दो और शाखायें खोलने के लिये स्थानीय लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है और किस-किस स्थान पर शाखायें खोली गयी हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : **(क) और (ख)**. रिजर्व बैंक द्वारा बनायी गयी बैंक नेतृत्व योजना के अन्तर्गत नेता बैंकों के सामने सबसे पहला काम यह रखा गया कि वे अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में शीघ्र ही ऐसे केन्द्रों का पता लगाने के लिए स्थूल रूप से सर्वेक्षण करें, जहां पर उचित समयावधि के भीतर क्रमबद्ध तरीके से बैंक कार्यालय खोले जा सकें। किसी भी जिले में बैंक कारोबार के सम्बन्ध में नेता बैंक का एकाधिकार नहीं होगा और आशा है कि सभी बैंक मिलजुलकर नयी शाखाएं खोलेंगे।

उत्तरी बंगाल के पाँच जिलों में नेतृत्व की जिम्मेदारी सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों में बांट दी गयी अर्थात् कूच-बिहार, दार्जिलिंग और जलपाई गुड़ी सेन्ट्रल बैंक को और मालदा और पश्चिम दीनाजपुर यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया को सौंप दिये गये हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तरी बंगाल के जिलों में राष्ट्रीयकरण के बाद से लेकर मार्च 1971 के अन्त तक खोले गये कार्यालयों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

कूच-बिहार	5 (1 स्टेट बैंक द्वारा और 4 सैन्ट्रल बैंक द्वारा)

दार्जिलिंग	2 (स्टेट बैंक द्वारा)
जलपाइगुडी	3 (2 स्टेट बैंक द्वारा और 1 सेन्ट्रल बैंक द्वारा)
मालदा	3 (स्टेड बैंक द्वारा)
पश्चिम दीनाजपुर	2 (स्टेट बैंक आफ इण्डिया और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा एक-एक)

जैसा कि 2 जुलाई, 1971 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 3746 के उत्तर में बताया गया था, अब तक तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष के दौरान उत्तरी बंगाल के जिलों में 16 नये बैंक कार्यालय खोलने का विचार है। सम्बन्धित नेता बैंकों द्वारा जिलों का सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही आगे कार्यक्रम तैयार किया जायगा।

अपेक्षाकृत कम बैंक सुविधा प्राप्त जिलों में शाखा विस्तार की गति को तेज करने के लिए रिजर्व बैंक ने नेता बैंकों को उन जिलों का सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर बल दिया है जिनकी जनसंख्या एक बैंक के पीछे एक लाख से अधिक है। उत्तरी बंगाल के पांच जिलों में से चार जिले इस श्रेणी में आते हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सम्बन्धित अभ्यावेदन में उल्लिखित केन्द्रों पर पृथक बैंक शाखाओं की आवश्यकता है अथवा नहीं, यह प्रश्न रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मथामंग के निकट मन्शी नदी पर एक पुल के निर्माण की योजना

4428. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से कूच बिहार जिले में मथाभंग नगर के निकट मन्शी नदी पर पुल का निर्माण करने की योजना प्राप्त हुई है,

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार उस क्षेत्र की आर्थिक आवश्यकताओं तथा सामरिक महत्व के कारण उस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने के लिये बार-बार कहती रही है,

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके मन्त्रालय को उक्त परियोजना के लिये कम से कम 1·5 करोड़ रुपये मंजूर करने का अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क)से(घ) . जून, 1968 में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रश्नगत पुल, जो बनने के बाद स्थानीय सड़क पर पड़ेगा, की 50 % लागत खर्च वहन करने के लिये सहायता अनुदान के लिए अनुरोध किया था। तत्पश्चात् जुलाई, 1970 में माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न किया है, ने रक्षामन्त्री को अपने एक पत्र के साथ

राज्य सरकार के नोट की एक प्रति जिसमें इस परियोजना के लिए ऋण के लिए अनुरोध किया गया था, भेजी थी। पश्चिम बंगाल सरकार से इस परियोजना के लिये कम से कम 1·5 करोड़ रु० की मन्जूरी के लिए कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। धन की कमी के कारण इस परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायतार्थ राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

मनागुड़ी तथा कूच बिहार के बीच राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 के मार्ग में परिवर्तन

4429. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 पर मंनागुड़ी से आगे निरंतर बाढ़ तथा भू-कटाव के कारण कई स्थानों पर सड़क के टूट जाने को देखते हुए सरकार का विचार मैंनागुड़ी से जमालदाह-माथामंथा-निशीगंज तथा इससे आगे कूचबिहार उपनगर तक इस राजपथ का मार्ग बदलने तथा बाद में इसे आसाम की ओर मूल सड़क से जोड़ने का है,

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार उपरोक्त क्षेत्रों में अर्थात मैंनागुड़ी तथा कूच बिहार के बीच इस राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 के मार्ग में अन्य कोई परिवर्तन करने का है, और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है तथा उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). मौजूदा राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 31 का संरेक्षण फलाकाटा और पतलाखावा के बीच टोरसा नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है और इस क्षेत्र में यह नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इस नदी के ऊपर इस मार्ग में कोई स्थायी पुल न होने के कारण मौजूदा संरेक्षण को सूखे मौसम में नदी की विभिन्न धाराओं के ऊपर अस्थायी पुल बनाकर यातायात योग्य बनाया जाता है। इस टुकड़े को बारहमासी मार्ग बनाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना टोरसा नदी के ऊपर एक स्थायी पुल बनाने के लिए व्यवस्था की गयी है। राज्य लोक निर्माण विभाग पुल के लिए उचित स्थान तथा उसको जोड़ने वाले पहुंच मार्गों के संरेखण को चुनने के लिये जांच पड़ताल-अध्ययन कर रहा हैं। इसके साथ साथ मार्ग दूरी को कम करने के लिये मैंनागुड़ी और कूच बिहार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग की कुछ दूरी के पुनसंरेक्षण की आर्थिक शक्यता की जांच की जा रही है। अतः उसे पूरा करने की किसी लक्ष्य अवधि का बताना सम्भव नहीं है।

कूच बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा वित्तीय सहायता

4430. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक अधिकारियों को पेश की जाने वाली जमानतों के असंतोषजनक होने के कारण कूच बिहार जिले में गरीब कृषकों तथा छोटे-छोटे व्यापारियों की राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रही है;

(ख) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि 3000 रुपये तक के छोटे ऋण के लिये व्यक्तिगत जमानत तथा बन्द-पत्र ही काफी होना चाहिये ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कृषकों तथा छोटे-छोटे व्यापारियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने हेतु कूच-बिहार में 'ऋण गारन्टी निगम' का एक कार्यालय खोलने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) जी, नहीं । जमानतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि जिस उत्पादन कार्य के लिये ऋण चाहिए उसका स्वरूप और प्रयोजन क्या है और ऋण की अवधि कितनी है ।

(ग) जी, नहीं । भारतीय ऋण गारन्टी निगम लिमिटेड सम्पूर्ण देश में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले उन अग्रिमों के लिए गारण्टी देता है जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट श्रेणियों के छोटे ऋणकर्त्ताओं को दिये जाते हैं, जिनमें कृषक और छोटे व्यापारी भी शामिल हैं। निगम द्वारा कूच-बिहार में अलग से कोई कार्यालय स्थापित किए जाने की जरूरत नहीं है । इस प्रकार की गारन्टी से सम्बन्धित दावों के मामलों में, वित्त पोषक बैंक और निगम परस्पर बातचीत से स्वयं निपटारा करेंगे ।

उद्योगों को ऋण देना

4431. **श्री नरेन्द्र कुमार सोधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार उद्योगों, यथा सूती कपड़ा, जुट, इंजीनियरिंग और रसायन उद्योगों को दिया जाने वाले ऋणों में जून, 1970 के अन्त तक 102 करोड़ रुपये कम कर दिये गये थे ;

(ख) 1968 और 1969 में इन उद्योगों को ऋण देने का क्या तरीका था ; और

(ग) क्या कम ऋण देने के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन कम हो गया है और यदि हां, तो कम ऋण देने के क्या कारण हैं और 1971–72 के लिये ऋण देने की नीति क्या होगी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) . जी नहीं ।

(ख) जून, 1968, जून, 1966 और जून, 1970 को चार उद्योगों को जो अग्रिम दिये हुए थे, उनसे सम्बन्धित आंकड़े नीचे दिये गये हैं—

(करोड़ रुपयों में)

उद्योग	जून, 1968†	जून, 1969†	जून, 1970†
सूती कपड़ा	299·7	388·6	438·6
जूट	61·1	121·2	127 0
इंजीनियरी	429·6	522·6	678·3
रसायन/भेषज और उर्वरक	192·6	344·3	339·3
कुल बैंक ऋण	3102·9	3598·8	4227·6

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए कम ऋण देने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। रिजर्व बैंक, बैंक-ऋण के प्रवाह को इस प्रकार नियन्त्रित करता है ताकि यह सुनिश्चि हो सके कि उत्पादक 'प्रयोजनों के लिये उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी हो जाय।

सरकारी होटलों के निदेशक मंडल के सदस्य

4432. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के होटलों के निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं,

(ख) वर्तमान सदस्य अपने पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं, और

(ग) निदेशक मंडलों की सदस्यता में समान नाम होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) 28–3–1970 से अशोक होटल लि० और जनपथ होटल्ज लि० का भारत पर्यटन विकास निगम के साथ विलय हो जाने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के सभी होटलों का प्रबन्ध अब भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। निगम के वर्तमान निदेशक-मण्डल के सदस्यों की सूची इस प्रकार हैं :—

1. श्री एम० एस० सुन्दरा	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक
2. श्री के० टी० सतारावाला, अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक, इण्डियन एयरलाइन्स।	सदस्य

†अनुमानित

3. श्री बी० एन० रमन, सदस्य
पर्यटन के अतिरिक्त महानिदेशक ।

4. श्री एस० के० कूका, सदस्य
वाणिज्य-निदेशक,
एयर-इण्डिया ।

5. श्री एम० सी-टी० मुत्तय सदस्य

6. श्री एन० वी० खोटे सदस्य

7. श्री संजय सेन सदस्य

8. श्री गुलाम रसूल मट्टू सदस्य

9. श्री दिग्विजय सिंहजी सदस्य

वर्तमान मण्डल का कार्य-काल 27 मार्च, 1972 को समाप्त हो जायेगा ।

भारत में आमन्त्रित किये गये यात्रा एजेंट, फोटोग्राफर तथा टेलीविजन फिल्म निर्माता

4433. **श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितने यात्रा-एजेन्टों, यात्रा-कर्मचारियों, फोटोग्राफरों तथा टेलीविजन फिल्म निर्माताओं को भारत में आमन्त्रित किया गया;

(ख) इन अतिथियों ने इस देश द्वारा पर्यटकों के लिये उपलब्ध किए गये बहुत से आकर्षणों तथा सुविधाओं का प्रचार करने में किस प्रकार की सहायता की; और

(ग) इसके फलस्वरूप विदेशी पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा चालू वर्ष में विभिन्न देशों से आमन्त्रित किए गए यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा लेखकों, फोटोग्राफरों एवं टेलीविजन फिल्म निर्मातों के दलों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा बुलाए गए यात्रा लेखक, फोटोग्राफर तथा टी० वी० फिल्म निर्माता अपने लेखों, चित्रों तथा टी० वी० प्रदर्शनों द्वारा हमारे विभिन्न पर्यटन आकर्षकों का

प्रचार करते हैं एवं उन्हें प्रकाश में लाते हैं, तथा यात्रा अभिकर्ता अपने ग्राहकों को सीधा यात्रा बिक्री करके भारत के लिये पर्यटन की अभिवृद्धि में सहायता करते हैं।

(ग) यद्यपि इस विषय में किसी प्रकार का सही-सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है, तथापि परिणामों की झलक भारत के लिये हुई पर्यटक यातायात की वृद्धि में परिलक्षित होती है।

विवरण

1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1971 तक पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न देशों से आमन्त्रित किए गए यात्रा-अभिकर्ता दलों, यात्रा-लेखकों, फोटोग्राफरों तथा टेलीविजन फिल्म निर्माताओं की संख्या को दिखाने वाला विवरण।

राष्ट्र/क्षेत्र का नाम	अभिकर्ता दल	यात्रा लेखक	फोटोग्राफर	टेलीविजन दल
(1) यू० एस० ए० (लाटिनी अमेरिका सहित)	3	4	3	—
(2) कनाडा	—	—	—	—
(3) यू० के०	1	6	2	—
(4) कन्टिनैनटलयूरोप (फ्रान्स, स्पेन, इटली, स्वीट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडीनेविया, आस्ट्रेलिया, बैनेलक्स)	6	7	—	2
(5) जापान और दूर पूर्व	3	2	3	2
(6) आस्ट्रेलिया	—	3	—	—
	13	22	8	4

Grant to Madhya Pradesh Government for Educational Uplift of Scheduled Caste Adivasis

4434 **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state the amounts of loans advanced by the Central Government to Madhya Pradesh Government for the educational uplift of the Scheduled Caste Adivasis of the State during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : No amount of loan was advanced to the State Government for the purpose.

Loan from World Bank for Farming and Reclamation of land in Haryana and Tamil Nadu

4435. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Ministers of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the International Bank for Reconstruction and Development has given two loans of 60 million dollars to India for small irrigation schemes; mechanised farming and reclamation of land in Haryana and Tamil Nadu;

(b) If so, the reasons for which some portion of the said loans has not been earmarked to be spent through the State Government of U. P. in Uttarakhand area, which is the most backward area in the Country ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Government of India signed two agreements on the 11 June, 1971; with the International Development Association, an affiliate of the World Bank, for development credits of 35 million for Tamil Nadu Agricultural Credit Project and 25 million for Haryana Agricultural Credit Project.

(b) The credits are meant for specific Projects in Tamil Nadu and Haryana and can not be utilised in other States.

भारत में विदेशी बैंक

4436. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1971 को भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के देशवार नाम तथा उनकी संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1968 से 1970 तक वर्ष बार इन विदेशी बैंकों की कुल जमा राशि, ऋण राशि तथा लाभ की राशि कितनी-कितनी थी; और

(ग) इन बैंकों ने वर्ष 1968 से 1970 तक प्रतिवर्ष कुल कितना चालू तथा संचित लाभ विदेशों में भेजा गया ।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ख). एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 637/71]**

भारत में पंजीकृत लेखा निरीक्षक फर्में

4437. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में भारतीय नियंत्रणाधीन तथा विदेशी नियंत्रणाधीन अलग-अलग पंजीकृत लेखा निरीक्षक फर्मों के नाम क्या हैं;

(ख) व्यापारिक फर्मों के लेखा निरीक्षण कार्यों में प्रत्येक फर्म का कितना भाग है;

(ग) क्या देश के कुल लेखा निरीक्षण कार्य का 80 प्रतिशत भाग केवल दो दर्जन चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि नहीं तो लेखा निरीक्षण व्यापार में किस सीमा तक एकाधिकार व्याप्त है; और

(ङ) इस व्यापार में एकाधिकार की वृद्धि को रोकने के लिये यदि को कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ।

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) अपेक्षित सूचना, शास-प्राप्त लेखाकार संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित "लिस्ट ऑफ मैम्बर्स एण्ड फर्म्स" नामक किताब में उपलब्ध है ।

(ख) तथा (ग) यह सूचना शीघ्रतः उपलब्ध नहीं है ।

(घ) यह सूचना, जहां तक उपलब्ध हो सके, संग्रह की जा रही है ।

(ङ) यह विषय सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

सहकारी क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों द्वारा ऋण

4438. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित बैंकों द्वारा वर्ष 1968 से 1970 तक सहकारी क्षेत्र को वर्षवार तथा राज्यवार कितना ऋण दिया गया ।

(ख) वर्ष 1968 से 1970 तक प्रति वर्ष तथा प्रत्येक राज्य में सहकारी क्षेत्र को दिये गये ऋणों में (1) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा (II) भारत के स्टेट बैंक का कितना-कितना भाग है ।

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहकारी क्षेत्र को ऋण देने सम्बन्धी नियमों को उदार बनाया गया है ।

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और

(ङ) किस श्रेणी को सहकारी संस्थाओं को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्राप्त हो सकता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) तक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्णिया तथा सहरसा में विमान सेवायें आरम्भ करने का प्रस्ताव

4439. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया तथा सहरसा जिलों में विमान-सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त सेवा कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद्

4440. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् 'न लाभ न हानि' के आधार पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या इस संस्थान को भारत सरकार, अमेरिका तथा अन्य गैर-सरकारी निकायों द्वारा सहायता दी जाती है और यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसे कितनी राशि की सहायता दी गई ।

(ग) क्या इस संस्थान के व्यय पर सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण रखा जाता है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने इसे सहकारी अधिकार में लेने का सुझाव दिया है, और यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में विलम्बर के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारत सरकार परिषद को हर वर्ष आवर्तक अनुदान देती है और उसने इस परिषद को इमारत बनाने के लिए भी अनुदान दिया है । परिषद को किसी संगठन से कोई सहायता नहीं मिलती । इसकी आमदनी का साधन, प्रायोजकों से, जिनमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और संयुक्त राज्य अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण जैसे अन्य संगठन शामिल हैं; प्राप्त होने वाले प्रायोजना-शुल्क हैं । पिछले तीन वर्षों में इस परिषद् को भारत सरकार द्वारा दिये गए आवर्तक अनुदानों और इमारत-अनुदान का ब्यौरा इस प्रकार है;

	आवर्तक अनुदान	इमारत अनुदान
1968—69	1,70,000 रुपए	51,600 रुपये
1969—70	1,70,000 रुपये	63,000 रुपये
1970—71	2,00,000 रुपये	—
	5,40,000 रुपये	1,14,600 रुपए

(ग) परिषद् के व्यय पर सरकार द्वारा कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं रखा जाता लेकिन परिषद को दिये जाने वाले अनुदानों के लिए परिषद के लेखा परीक्षकों से उपयोग-प्रमाणपत्र (युटिजाइजेशन सर्टिफिकेट) लिया जाता है ।

(घ) जी नहीं ।

इंडन गार्डन, कलकत्ता में क्रीड़ांगण

4441. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में इडन गार्डन, कलकत्ता में मिश्रित क्रीड़ांगण बनाने के लिए योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को इसके विरुद्ध कोई शिकायत मिली है;

(ग) कलकत्ता अथवा कलकत्ता के निकट पूरा फुटबाल क्रीड़ांगण बनाना संम्भव न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने क्रीड़ांगण विशेषज्ञों के माध्यम से उक्त मामले की जांच की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) क्रीडांगण का निर्माण राज्य सरकारों के क्षेत्र में है। चूँकि कलकत्ता में कोई भी संयुक्त क्रीडांगण पश्चिम बंगाल सरकार ने इस किस्म का क्रीडागण बनाने की एक योजना बनाई है और यह योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

कृषि पुनर्वित निगम द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति दिया जाना

4442. **श्री मेजर नरेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त निगम ने वर्ष 1970 के दौरान कुल 26·92 करोड़ रुपये की लागत वाले छ: प्रस्तावों/परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). जी, नहीं। वास्तव में कृषि पुनर्वित्त निगम ने 1 जुलाई 1969 से 30 जुलाई 1970 तक की अवधि में 92·78 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वाली 142 योजनाओं को स्वीकृति दी है, उनमें निगम ने 70·92 करोड़ रुपए के लिए वचन दिया है।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी नीति

4443. **श्री राजदेव सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यह नीति है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय शिक्षा को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया, जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या अब जो नये विश्वविद्यालय खुल रहे हैं उन सभी को इस कार्यक्रम के अधीन लाने के लिए शिक्षा की समान प्रणाली अपनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में जौनपुर के स्थान पर एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने तथा टी० डी० कालेज, जौनपुर को केन्द्र के रूप में मानने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) इस समय, केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रति ही, भारत सरकार की सीधी जिम्मेदारी है। राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना, राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और उनको अनुरक्षण अनुदान उनके द्वारा ही मिलता है। किन्तु, इन विश्वविद्यालयों को उनके विकास कार्य-क्रमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता करता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जौनपुर में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में, न तो भारत सरकार और न ही वि० अनु० आ० प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादकों पर कर से छूट

4444. **श्री राजदेव सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुटीर उद्योगों के उत्पादों को सम्बर्द्धन उपायों की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के करों से छूट दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु किये गये संवर्द्धन उपायों की अर्हता-परिभाषा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कुटीर उद्योग के उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कोई आम छूट नहीं है। परन्तु इस उद्योग के स्वरूप और उसके विभिन्न क्षेत्रों की सामान्य वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कुटीर अथवा छोटे पैमाने के उद्योग को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से आँशिक अथवा पूरी छूट देकर आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे यह अपेक्षाकृत बड़े कारखानों के मुकाबिले में बाजार विकसित कर सके। यदि कुटीर उद्योग से हुआ लाभ अथवा उपलब्धि सहकारी समिति प्राप्त करती है तो ऐसे समूचे लाभ अथवा उपलब्धि पर आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर से छूट है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को रोजगार

4445. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को रोजगार देने के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है :

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणी एक, दो और तीन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों में से राष्टीयकृत बैंकों में वर्ष 1970 में कितने व्यक्ति चुने गये ; और

(घ) क्या सरकार ने स्टेट बैंक ग्राफ इन्डिया तथा देश में इसकी शाखाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को समाहित करने के लिए कोई सीमा अथवा कोई कसौटी निर्धारित की है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्टीयकृत बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे उन बैंकों में होने वाले रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का अनुपालन करें।

(ख) और (ग) सूचना इकट्टी की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जायगा।

(घ) जी, नहीं, । स्टेट बैंक आफ इण्डिया ने खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और सभी पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जन जातियों के लिए 7·5 प्रतिशत पदों के आरक्षण की व्यवस्था की है। खुली प्रतियोगिता से भरे जाने वाले पदों से भिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के मामले में आरक्षण का प्रतिशत 16. 2/3 है। इसके अलावा, न भरे गये आरक्षित रिक्त पदों को तीन वर्षों तक आगे ले जाया जाता है।

मारमुगाओं में नाविक भर्ती केन्द्र की स्थापना

4446. **श्री इराज्मुद सेकेरा** : क्या **नौहवन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मारमुगाओं में नाविक भर्ती केन्द्र स्थापित करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुये है. और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) मा मागाओं में एक नाविक भर्ती केन्द्र खोलने के लिए अनुरोध 1967 में प्राप्त हुए थे।

(ख) मारमागाओं में एक नाविक भर्ती केन्द्र खोलना संभव नहीं हो पाया क्योंकि जांच करने पर यह मालुम हुआ कि डेक, इन्जिन और सैलून तीनों विभागों के लिए विभिन्न वर्गों के नाविक पर्याप्त संख्या में मारमागाओं में उपलब्ध नहीं होंगे और पौत स्वामियों का विचार था कि बम्बई से भर्ती अधिक सुविधाजनक है।

डबोलिम हवाई अड्डे पर सिविलिहन एन्क्लेव के निर्माण का प्रस्ताव

4447. **श्री इराज्मुद सैकेरा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डबोलिम हवाई अड्डे पर विद्यमान टर्मिनल इमारत में अपर्याप्त स्थान है और कोचीन से बौइंग विमान तथा शटल विमान सेवा आरम्भ होने से यह कमी और भी अधिक हो गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार डबोलिम हवाई अड्डे पर एक सिविलियन एनक्लेव बनाने का है और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** जी, हां । चौथी योजनावधि के दौरान डबोलियम हवाई अड्डे पर एक सिविल एन्क्लेव का निर्माण करने कीं योजनायें तैयार की जा रही हैं।

केरल के बाढ़ग्रस्त जिलों के लिए सहायता

4448. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बाढ़ ग्रस्त जिलों के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है अथवा मंजूर किये जाने का प्रस्ताव है और

(ख) यदि हां. तो कितनी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : केरल सरकार के अनुरोध पर, उस राज्य में एक केन्द्रीय दल भेजा जा रहा है जो बाढ़ सम्बन्धी स्थिति का जायजा लेगा और केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिये विभिन्न राहत कार्यों पर किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा। राज्य सरकार ने पहले से ही राहत कार्य शुरु कर दिये हैं। राहत कार्यों के लिये केन्द्रीय सहायता, उन पर होने वाले खर्च को देखते हुए, केन्द्रीय दल की सिफारिशों के अनुसार दी जायगी।

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सम्बन्धी याचिकाओं का इकट्ठा होना

4449. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन अधिनियमों के अन्तर्गत पुनरीक्षण के लिये दिये गये आवेदनों पर निर्णय करने वाले संयुक्त सचिव के सेवा निवृत्त हो जाने पर उनके स्थान पर अभी तक कोई अन्य अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां. तो क्या इसके परिणामस्वरूप पुनरीक्षण के लिये दी गयी हजारों याचिकायें इकट्ठी हो गयी हैं। जिससे आयातकर्त्ताओं को कठिनाई हो रही है और देश के आयात व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन पुनरीक्षण याचिकाओ का निपटान करने तथा रोकी गई वस्तुओं से शीघ्र प्रतिबन्ध हटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) संयुक्त सचिव नजरसानी दरख्वास्त) के पद को भरना अभी तक संभव नहीं हो पाया है परन्तु आयुक्त (नजरसानी दरख्वास्त) से कहा गया है कि वे अपने स्वयं के कार्य के अलावा संयुक्त सचिव के कार्य को भी देखें।

(ख) और (ग) : संयुक्त सचिव के पद को नहीं भरने के कारण अनिर्णीत पड़ी नजरसानी की दरख्वास्तों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। लेकिन इस सम्बन्ध में सभी संभव उपाय किये जाते हैं कि नजरसानी की दरख्वातें ही नहीं अपितु रोके गये माल के सम्बन्ध में की गयी अपीलों पर भी अपेक्षाकृत आरम्भिक अवस्था में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाय और उनका शीघ्रता से निपटान किया जाय। संयुक्त सचिव (नजरसानी दरख्वास्त) के पद के बहुत शीघ्र ही भारे जाने की आशा है। आयुक्त (नजरसानी दरख्वास्त) के पद के दर्जे को बढ़ाकर संयुक्त सचिव क पद बनाने के लिये भी कार्यवाही की गयी है। जब ये दोनों अधिकारी अपना पदभार सम्भाल लेंगे तो यह आशा की जाती है कि बाकी पड़ी नजरसानी की दरख्वास्तों का शीघ्र निपटान किया जा सकेगा।

अन्दमान में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा अध्यापकों को दी गई छूट

4450 **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के ऐसे अध्यापकों प्रिंसिपलों की संख्या कितनी है जिन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ने न्यूनतम अर्हताओं में छूट दी है ;

(ख) प्रत्येक मामले में छूट की अवधि कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ पात्र अभ्यार्थियों की तो उपेक्षा कर दी गई तथा गैर-अर्हता प्राप्त अभ्यार्थियों को छुट देकर वरिस्ट अध्यापक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था और यदि हां त इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्दमान प्रशासन तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यदि कोई निर्देश दिये जाने के विचार हैं तो वे क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) चार अध्यापक ।

(ख) जिस समय छूट दी गई थी, उस समय स्थानीय तौर पर समुचित एवं अनुभवी व्यक्तियों के मिलने में हुई कठिनाई के कारण तीन अध्यापकों को स्थायी रूप से तथा एक 1-5 1968 से 30-4-1970 तक की छूट दी गई थी ।

(ग) जी नहीं । छूट केवल वहीं दी गई थी, जहां लोक हित में आवश्यक समझी गई ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की राशियों को बट्टेखाते में डालना

4451. **श्री नरेन्द्रकुमार सोधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे कुल वसूल कितने वसूल न किये जा सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है अथवा डालने का विचार है जो राष्ट्रीयकरण से पूर्व और बाद में दिये गए थे, और

(ख) उपरोक्त ऋणों को बट्टे खाते में डालने का मापदंड क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** . ऋण को वसूल करने के सभी सम्भव उपाय जब निष्फल साबित हो जाते हैं तो उस ऋण को अशोध्य ऋण समझ लिया जाता है और ऋण का वह भाग जो, वास्तव में वसूल नहीं किया जा सकता हर वर्ष बट्टे खाते डाल दिया जाता है । वर्ष के लेखों को अन्तिम रूप देने से पहले साविधिक लेखा-परिक्षकों के परामर्श से अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती है और बट्टे खाते डाली गयी रकम का समायोजन इस व्यवस्था में से किया जाता है। बैंकिंग विनिमयन

अधिनियम, 1949, की धारा 29 के अन्तर्गत, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों के तलपट और लाभ और हानि लेखे का रूप निर्धारित किया गया है, और बातों के साथ साथ वर्ष के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए की गयी व्यवस्था या इस व्यवस्था में से वास्तव में बट्टे खाते डाले गये ऋणों को सूचना नहीं दी जा सकती।

ऋण के बारे में बैंकिग नीति

4452. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्दी को अवधि के दौरान ऋण देने के लिए सामान्यतः अप्रैल-मार्च में ही निश्चित कर ली जाने वाली बैंकिंग नीति मास जून (प्रथम सप्ताह) 1971 तक भी निश्चित नहीं की जा सकी तथा इसलिए वाणिज्यिक बैंक ऋण नहीं दे सकें :

(ख) क्या उक्त नीति सम्बन्धी निर्णय लेने में विलम्ब होने के कारण बैंकों में भारी धन-राशियां संचित हो गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं तथा अप्रैल तथा मई 1971 में कितन राशि का भुगतान नहीं किया जा सका ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ऋण-स्थिति की लगातार समीक्षा करता रहा है और समय-समय पर बैंकिंग नीति के मामलों पर बैंकों को निर्देश देता रहा है। हाल के वर्षों में काम काज के मौसम में और कम काम-काज के मौसम में ऋण की आवश्यकताओं के एक सा रहने की प्रवृत्ति आ गई है और इसलिए कम काम-काज के मौसम में और विशेषरूप से, काम-काज के मौसमों के लिए अलग-अलग ऋण नीति की घोषणा करने की आवश्यकता में काफी कमी हो गई है। इसलिये, भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा बैंकों को विशिष्ट अवधियों के लिए निर्देश देना आवश्यक नहीं समझता लेकिन जब और जहां आवश्यकता होती है उन्हें सलाह देता है।

18 जून, 1971 को सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 77·1 प्रतिशत था, जिससे संकेत मिलता हैं कि मौसम परिवर्तन के कारण ऋण देने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

भारतीय क्षेत्र पर से अपने विमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से शिकायत

4453. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्र पर से पाकिस्तानी विमानों की उड़ानों पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन से की गई शिकायत का

प्रतिकार करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) क्या पाकिस्तान उक्त प्रतिबन्ध का पालन कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार ने, पहले ही, पाकिस्तान की शिकायत के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को अपना प्रारम्भिक आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) जी, हां।

त्रिपुरा की त्रिपुरी भाषा का विकास

4454. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की त्रिपुरी भाषा का विकास करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रयोजन के लिए त्रिपुरा को कोई निधि दी गई है; और

(ग) त्रिपुरी भाषा का विकास करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के पास इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय के पास इस समय त्रिपुरी भाषा के विकास की कोई योजना नहीं है। तथापित संघ शासित प्रदेश त्रिपुरा ने त्रिपुरी भाषा के लिए प्रवेशिकायें एक शब्दकोश तथा एक व्याकरण निर्माण के हेतु प्रारम्भिक कदम उठाये हैं। संघ शासित प्रदेश त्रिपुरा के इस प्रयास को शिक्षा मन्त्रालय द्वारा स्थापित केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर सक्रिय रूप से हाथ बंटा रहा है। संघ शासित प्रदेश त्रिपुरा ने अब तक बंगला लिपि में निम्नलिखित त्रिपुरी प्रकाशन निकाले हैं :—

(1) त्रिपुरा प्रवेशिका भाग I और II यह पुस्तक प्राथमिक स्तर पर पहली और दूसरी कक्षा के लिए त्रिपुरी की पाठ्यपुस्तक के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा कबीले क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में भी काम आ सकती है।

(2) अंग्रेजी त्रिपुरी-बंगला शब्दकोश यह सामान्य त्रिपुरी शब्दों के कोश के रूप में काम

आएगा जिसमें बंगला और अंग्रेजी के पर्याय भी मिल जायेंगे। विशेषज्ञों द्वारा पुस्तक निर्माण के लिए भी ऐसा कोश लाभदायक रहेगा।

(3) त्रिपुरी व्याकरण प्रारम्भ में यह व्याकरण महाराजाओं के जमाने में किसी प्रसिद्ध त्रिपुरी विद्वान के द्वारा बना गया था। संघ शासित प्रदेश ने इसका पुनर्मुद्रण करवाया है।

(4) त्रिपुरी में अनुवाद सम्बन्धी एक पुस्तक यह पुस्तक भी मूलतः उन्हीं विद्वानों के द्वारा तैयार की गई थी जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। संघ शासित प्रदेश ने इसका पुनर्मुद्रण करवाया है।

इस पुस्तक में सामान्य विषयों पर त्रिपुरी की कुछ काव्य मालायें दी गई हैं जिनके साथ साथ बंगला और अंग्रेजी रूपान्तर भी दिये गये हैं। यह पुस्तक गैर-त्रिपुरी लोगों को इस भाषा का काम चलाऊ ज्ञान देने के लिए उपयोगी रहेगी।

(5) (1) त्रिपुरी में कविता की पुस्तक
ये कविताएं रायण की कहानियों पर आधारित हैं।

(2) भारतीय इतिहास के कुछ प्रसंगों पर कविताओं की पुस्तक।

(3) कतिपय त्रिपुरी लोक कथाओं पर कविताओं की पुस्तक।

ये पुस्तकें छोटे-छोटे बच्चों और नव-सक्षरों के लिए उपयोगी रहेंगी। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय भाषा संस्थान मैसूर ने निम्नलिखित पुस्तकें तैयार की हैं :—

(1) वैज्ञानिक स्वर विज्ञान

(2) वैज्ञानिक लघु व्याकरण

(3) ध्वन्यात्मक पाठ

(4) लघु बंगला-त्रिपुरी शब्दसूची

(5) त्रिपुरी लोक कथाएं।

इसके अतिरिक्त संस्थान के पास त्रिपुरा के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए त्रिपुरी भाषा की प्रवेशिकाएं निकालने का एक कार्यक्रम है। उक्त संस्थान और संघ शासित प्रदेश त्रिपुरा निकट सम्पर्क में रहते हुए कार्य कर रहे हैं।

Security Press Dewas District, Madhya Pradesh

4455 **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) Whether work at the Security Press in Dewas District of Madhya Pradesh has started;

(b) If not, the time by which the work is likely to start; and

(c) The estimated annual out put of the Press ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir,

(b) Does not arise

(c) The Press is designed to print initially 1000 million pieces of benk notes per annum with provision for doubling the out put in two-shift working.

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जन-जातियों के प्रकाशन के लिये आयोग

4456. **श्री के० नारायण राव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन देने के लिये भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 339 के अनुसरण में कभी किसी आयोग की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने किसी राज्य को अनुसूचित जन-जातियों के हित के लिये आवश्यक योजनाएं बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिये अनुच्छेद 339 (2) में निहित आशय के अन्तर्गत कभी कोई 'कार्यकारी' निदेश दिये थे; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां। अनुच्छेद 339 (1) के अधीन एक आयोग अप्रैल, 1960 में नियुक्त किया गया था तथा इसकी रिपोर्ट अक्तूबर, 1961 में प्राप्त हुई थी।

(ख) यह रिपोर्ट नवम्बर, 1961 में सभा के पटल पर रख दी गई थी।

(ग) तथा (घ) : कल्याण योजनाएं राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके बनाई जाती हैं। इन योजनाओं पर अमल करने के सम्बन्ध में निर्देश योजना दस्तावेजों में दिये गये हैं और राज्य सरकारें तदानुसार कार्य करती हैं। वार्षिक योजना पर विचार विमर्श के समय, जब राज्य प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, योजना आयोग और सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग इन योजनाओं की प्रगति पर भी पुनविलोकन करते हैं। इसलिए राज्य सरकारों को विशिष्ट निर्देश जारी करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 339 (2) के उपबन्धों का सहारा लेने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है।

Connection of Gwalior Khajuraho Road with National Highway No. 3

4457. **Dr. Govind Das Richharia** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) Whather Government propose to connect the Gwalior-Khajuraho road with National Highway No. 3 for the convenience of the tourists; and

(b) If so, the time by which this would be done ?

The Minister of Parliamentary Affiairs and Shipping & Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) The Gwalior-Khajuraho road is an existing State road and is already connected with National Highway No. 3.

(b) Does not arise.

बम्बई-कोंकरण-गोवा सड़क का राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विकास

4458. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **नौवहन और** परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई-कोंकरण-गोम्रा रोड (बी० के० जी०) का दर्जा बढ़ा कर उसका विकास करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा **नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी. हां।

(ख) वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के विस्तार का व्यापक प्रश्न विचाराधीन है जिसमें उस पद्धति में बम्बई-कोंकरण-गोवा सड़क का शामिल किया जाना भी शामिल है।

बम्बई और मंगलौर के बीच स्टीमर सेवा

4459. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बम्बई तथा मैसूर के तटवर्ती क्षेत्र के बीच कोई स्टीमर न चलते के परिणामस्वरूप हजारों निर्धन यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बम्बई से बंगलौर तक स्टीमर सेवा आरम्भ करने का है ;

संसदीय कार्य तथा **नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) सिंधिया नेविगेशन कम्पनी द्वारा बम्बई और मैसूर तट के बीच चलाई जा रही स्टीमर सेवा को 1969 में बन्द करने के कारणों में से एक कारण आने जाने वाले यात्रियों की संख्या का धीरे धीरे कम होना है। 1961–62 और 1962–63 में किसी एक अच्छी नौयात्रा में प्रति इकहरी यात्रा उनकी औसत संख्या 800/900 यात्री थे परन्तु 1968–69 तक यह संख्या प्रति इकहरी यात्रा 600 यात्रियों से अधिक नहीं रही और इसका तात्पर्य यह हुआ कि पोत में उपलब्ध आवास का केवल 50 प्रतिशत इस्तेमाल हुआ। इन तथ्यों से मालूम होगा कि इस सेवा का इतना पर्याप्त लाभ नहीं उठाया गया कि वह वाणिज्यिक रूप से जीवनक्षम हो सके।

(ख) ऐसी सेवा पुन: चलाने का विचार नहीं है क्योंकि पर्याप्त यात्री माल यातायात के अभाव में वह परिचालन रूप से जीवनक्षम नहीं होगी।

केरल में पर्यटन विकास के लिये आवंटित राशि

4460. **श्रीमती भार्गवी तकप्पन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में राज्य में पर्यटन के विकास के लिये केरल राज्य की कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) किन नये केन्द्रों को चुना गया और उन पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) वित्तीय आवंटन के लिये मानदंड क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) कोवालम समुद्र तटी बिहार-स्थल पर चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में 221·58 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है। त्रिवेन्द्रम में 2·50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक युवा होस्टल का निर्माण करने तथा पेरियार वन्य पशु शरण स्थान में आवास एवं परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिसके लिये निधियों का आवंटन प्राक्कलन प्राप्त होने पर किया जायेगा।

(ग) वित्तीय आवंटन के लिये मानदण्ड ऐसे तत्वों पर आधारित होते हैं जैसे किसी स्थान का वास्तविक अथवा प्रत्याशित आकर्षण, इस तक पहुंचने की सुविधा, यात्रियों की प्रवृति के [illegible] व प्रकार, इत्यादि।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्मारक

4461. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्मारकों के रूप में किन-किन स्थानों का अधिग्रहण किया गया है; और

(ख) उस राज्य में स्मारकों और ऐतिहासिक महत्व के भूमिचिन्हों के संरक्षण और स्थान निर्धारण के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) तमिलनाडु में संरक्षित 387 राष्ट्रीय स्मारकों की सूची यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण को, तमिलनाडु के राष्ट्रीय स्मारकों की आवश्यकताओं की जानकारी है संरक्षित स्मारकों को उनकी विशेष, वार्षिक और प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करके परिरक्षित रखा जाता है। पहरा और निगरानी कर्मचारियों की भी यथासम्भव व्यवस्था की जाती है।

सर्वेक्षण विभाग द्वारा मदुरे, सलम और कोयम्बटूर जिलों में सांस्कृतिक अवशेषों का पता लगाने के लिए पुरावशेषों के व्यापक सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया गया है।

शिप बिल्डिंग यार्ड, विशाखापतनम में हरिजन लड़कों को विशेष प्रशिक्षण

4462. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री जहाज निर्माण कारखाना विशाखापत्तनम में हरिजन लड़कों को विशेष प्रशिक्षण के बारे में 17 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 3226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज निर्माण कारखाना विशाखापत्तनम में केरल अथवा अन्य राज्यों के कितने हरिजन लड़कों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता रहा है।

(ख) प्रशिक्षण देने के लिए उनको क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के लिऐ कौन-कौन से रोजगार अवसर उपलब्ध हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). यह जानकारी राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आदिवासी संस्थान

4463. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में कितने आदिवासी संस्थान स्थापित किये गये और कितनी परियोजनायें आरम्भ की गई; और

(ख) ये संस्थान आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और आदिवासी बोलियों के सुधार करने के लिये क्या भूमिका अदा करते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए आदिमजाति अनुसंधान संस्थानों की एक सूची अनुबन्ध में दी गई है। उत्तर प्रदेश और केरल सरकारों की भी आदिवासी समस्याओं में अनुसंधान और प्रशिक्षण की एक योजना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इन संस्थानों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) ये संस्थान अनुसूचित आदिम जातियों की संस्कृति और रीति रिवाजों के सम्बन्ध में अनुसंधान करते हैं तथा कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त प्रकाशन निकालते

हैं। कुछ ने आदिमजातीय भाषाओं में प्रारम्भिक पाठ्यपुस्तकें और अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं।

भारत में आदिमजाति अनुसंधान संस्थानों की सूची

क्र० सं०	राज्य का नाम	संस्थान का नाम और पता
1.	आंध्र प्रदेश	आदिमजाति संस्कृति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद।
2.	असम	आदिमजाति अनुसंधान संस्थान, मावलाई, शिलांग।
3.	बिहार	आदिमजाति कल्याण अनुसंधान संस्थान, मोराबादी रोड़, रांची।
4.	गुजरात	आदिमजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद।
5.	केरल	आदिमजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, मानन-रोडी (कन्नौर जिला)।
6.	मध्य प्रदेश	आदिमजाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल।
7.	महाराष्ट्र	आदिमजाति अनुसंधान संस्थान, पूना।
8.	उड़ीसा	आदिमजाति अनुसंधान ब्यूरो, भुवनेश्वर :
9.	राजस्थान	आदिमजाति अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर।
10.	पश्चिम बंगाल	सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता।

आदिवासी विकास सम्बन्धी नए ब्लाकों की स्थापना

4464. **श्री के० प्रधानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना अवधि में आदिवासी विकास सम्बन्धी नये ब्लाक स्थापित करने का नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) चतुर्थ योजना में किसी नए आदिमजातीय विकास खण्ड की व्यवस्था नहीं है।

(ख) यह निश्चय किया गया था कि वर्तमान आदिमजाति विकास खण्डों में 10 लाख रुपए प्रति खण्ड के अतिरिक्त नियतन के साथ एक नया स्तर तीन शामिल करके उनके कुल काल को 10 वर्ष से बढ़ा कर 15 वर्ष करके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध साधनों का इन खण्डों में उपयोग किया जाएगा।

उड़ीसा की पिछड़ी जन जातियों में साक्षरता

4465. **श्री के० प्रधानी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की बड़ा, क्या, लर्जिदा सौरा और कुटिया कौंध जैसी अत्यंत पिछड़ी जन जातियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है।

(ख) उनमें साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) साक्षरता की प्रतिशत नीचे दी जाती है—

आदिमजाती का नाम	**1961 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की प्रतिशतता**
बोण्डो पोराजा	2·14
कोया	0·82
साउरा, सावर, सोरा या सहारा	7·79
सोन्ड, कोन्ड या कांधा, जिनमें नानगुली कोंधा और सीधा कांधा शामिल हैं।	7·14

(ख) राज्य सरकार के शिक्षा तथा आदिमजाति और ग्रामीण कल्याण विभागों द्वारा उनके शैक्षिक उत्पादन के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन उपायों में प्राथमिक, माध्यमिक हाई स्कूल खोलना, पढ़ने लिखने और का सामान मुफ्त बांटना, मध्यान भोजनतथा मैट्रिक पूर्व छात्र वृत्तियां प्रदान करना शामिल हैं। जिन आदिवासी गांवों में 40–50 तक परिवार रहते हैं और जहां शिक्षा विभाग द्वारा विहित किए गए मानदण्ड के अनुसार प्राथमिक स्कूल खोलना उचित नहीं है, आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण विभाग द्वारा छतसालियां खोल कर 2 तक शिक्षा प्रदान करने की विशेष योजना शुरू की गई है।

मद्रास पतन की तेल जेट्टी की प्रगति

4466. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर तेल जेट्टी का कार्य निश्चित समय से बहुत पीछे है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस जेट्टी के निर्माण के मूल्य का अनुमान मूलतः 4·75 करोड़ रुपये था और इसमें अब तक 20 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं जबकि प्रथम चरण का केवल 85 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है, और

(ग) क्या पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार यह परियोजना 1974 में 30 करोड़ रुपये में पूरी होगी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) अनुमानतः संदर्भ तेल गोदी से है जिसका तेल घाट एक अंग है। तेल गोदी को पूरा करने की तारीख मूलतः अक्तूबर 1968 थी।

इस निर्माण कार्य को पूरा करने में इसके संपादन के दौरान इसकी पनकट दीवार के निर्माण में कठिनाइयों के कारण विलम्ब हुआ है। पनकट दीवारों के निर्माण की योजना का संशोधन करना पड़ा तथा उसमें परिवर्तन करना पड़ा। अब इसका काम संतोषजनक रूप से हो रहा है और पनकट दीवार का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तेल घाट का निर्माण कार्य जारी है और उसके 1 72 के शुरू में पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) तेल गोदी की मूल अनुमानित लागत 1965 में 4·55 करोड़ रुपये थी जो जनवरीं, 1969 में संशोधित करके 9·06 करोड़ रुपए करदी गयी जिसका कारण मुख्यतः पूर्वानुमानित 349 फुट डुबाव के तेल वाहकों के बजाय 42 फुट डुबाव के तेल वाहकों की आवश्यकता की पूर्ति करना था।

परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 23·20 करोड़ रुपये है। परियोजना की लागत में वृद्धि होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) कुछ और कार्य जो जरूरी समझे गये जैसे भूउद्धरण की रक्षा के लिये उत्तरी बांध बरसाती पानी की जालियों के बहाव को मोड़ना जेट्टी पंप हाउस और उसकी बुनियादी में अग्नि शमन के लिये फ्लड लाइट लगाना।

(2) पनकट दीवारों को संशक्त करना जिसमें खाली स्थलों में मिट्टी भरना (इस्पात के प्रकार फेब्रिकेशन और कैसन्सटी और हील की रक्षा और आर्मर-रक्षा की लागतों में वृद्धि के कारण वृद्धि हुई। पूर्वी पनकट दीवार की अंतिम 460 फुट की दूरी में सुरक्षा के लिए पत्थर के टीले का प्रयोग करने का निर्णय निकर्षण की लागत में वृद्धि भूउद्धरण दीवार को संशक्त करना ; जेट्टी के डिजाइन में परिवर्तन और उनकी अतिरिक्त लम्बाई करना। पाइप लाइन और पाइपलाइन ट्रेस्टल बिछाने की लागत में वृद्धि और संयन्त्र और उपस्कर और विविध वस्तुओं की लागत में वृद्धि।

(3) कुछ केशन्स को क्षति पहुंची है या वे डूब गये या वे प्रयोग में न आ सके, कुछ समान उपयुक्त न पाया गया और पाइपलाइन को एक तेल कम्पनी से पट्टे पर लेना जिसे प्रयुक्त न किया जा सका।

(ग) तेल जेट्टी के 1972 के आरम्भ में पूर्ण होने की सम्भावना है जबकि पूर्वी पनकट दीवार के शेष भाग के सितम्बर, 1972 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस प्रकार परियोजना

के प्रथम क्रम जो 23·20 करोड़ रुपए की लागत में आता है, 1972 में पूर्ण होने की सम्भावना है ।

49 फुट डुबाव के जहाजों का संभालन के लिए तेल गोदी को गहरा करने का प्रश्न पोतपरिवहन की आवश्यकताओं के संदर्भ में विचाराधीन है। पनकट दीवार की बाहरी भुजा निर्माण के प्रश्न पर तेल गोदी में कार्य स्थिति का अध्ययन करने के बाद विचार किया जायेगा । यह दो मद 23·20 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना के भाग नहीं हैं ।

भगवंतम समिति की सिफारिशें

4467. **श्री एस० के० सरकार** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवंतम समिति ने ऐसी सिफारिश की है कि (i) भूकम्प विज्ञान (ii) भू चुम्बकत्व और (iii) खगोल विज्ञान को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से अलग किया जाये और अनुसंधान कार्यों को वढ़ावा देने हेतु अलग संस्थान बनाये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें अलग कर दिया गया है और अलग संस्थान बना दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और संस्थान कब तक बनाये जाने की संम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) से (ग).** वैज्ञानिक अनुसंधान के संगठन सम्बन्धी समिति ने, भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा इसके अन्तर्गत यूनिटों पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि इस विभाग में अनुसंधान कार्य में लगी निम्नलिखित यूनिटों को विभाग से पृथक् करके स्वायत्त संस्थान बना दिया जाना चाहिए —

(i) उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूना;

(ii) खगोल भौतिकी वैधशाला, कोडेकनाल;

(iii) कोलाबा तथा अलीबेग वेधशालायें, बम्बई; और

(iv) भूकम्प विज्ञान प्रभाग ।

प्रथम तीन यूनिटों के सम्बन्ध में की गई सिफारिश को 1 अप्रैल, 1971 से लागू कर दिया गया है। भूकम्प विज्ञान प्रभाग के अनुसंधान क्रियाकलापों को एक स्वायत्त संस्थान बनाने के प्रश्न का पुनर्विलोकन, भूकम्प विज्ञान के क्षेत्र में कार्य की एक समेकित योजना तैयार करने के लिये योजना आयोग द्वारा किये जा रहे वर्तमान अध्ययन के पूरा होने के बाद किया जायेगा ।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव के निकट गिरना पुल को सुधारा जाना

4468. **श्री काहनडोल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 22 मई, 1971 को नासिक जिले में मालेगांव के निकट गिरना पुल पर एक गम्भीर ट्रक दुर्घटना हुई थी जिसमें लगभग 30 व्यक्ति मारे गये,

(ख) यदि हां, तो पुल को सुधारने के लिये, जो बहुत संकरा और सुरक्षा रहित है, क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस परियोजना के लिये महाराष्ट्र सरकार को कोई सहायता देने का है और यदि हां, तो कितनी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) यह सच नहीं है कि पुल बहुत तंग और बिना किसी बचाव के हैं। यह 30, 30 फुट के 26 पाटों का एक डाट पुल है। जिसका सड़क पथ 22 फुट चौड़ा है और सभी भारी वाणिज्यिक वाहन यातायात के लिये सुरक्षित है और अच्छी स्थिति में है। यह आजकल के दो तरफा यातायात के लिये पर्याप्त है। इसके दोनों तरफ पाइपरेलिंग की व्यवस्था की गई है। इस दृष्टि से मौजूदा पुल के सुधार का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग). उक्त (ख) की दृष्टि से मौजूदा पुल के सुधार के लिये भारत सरकार द्वारा कोई सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता है। परन्तु भलेगांव शहर के भीड़-भाड़ को राहत देने के लिये एक उपमार्ग का प्रस्ताव किया गया है जिस पर नये पुल की व्यवस्था की गई है।

ध्यान आकर्षण सूचना के बारे में

Reg : CALL ATTENTION

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा था कि अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और इस बारे में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा दिये गये वक्तव्य पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय विचार किया जा सकता है लेकिन इस बारे में रक्षा मंत्री से उत्तर न मिल पायेगा क्योंकि इस मामले का विदेश मंत्रालय से सम्बन्ध है··· ···

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो वे ऐसा नियम 377 के अन्तर्गत नहीं कर सकते। ऐसा करने की अन्य प्रक्रियायें हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने ध्यान आकर्षण सूचना भेजी थी । समाचार है कि अमरीकी राष्ट्रपति श्री निक्सन ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई रोकने से इंकार कर दिया है । यह बहुत गम्भीर मामला है । रक्षा मंत्री इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि यह प्रश्न प्रधान मंत्री अथवा विदेश मंत्री से सम्बन्धित है । अतः हमें अमरीका के अमैत्रीपूर्ण व्यवहार के बारे में अपने विचार व्यक्त करने चाहिये । या तो आप मेरा ध्यान दिलाने सम्बन्धी नोटिस स्वीकार कर लें अथवा मंत्री महोदय को आज वक्तव्य देने के लिये कहें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एम० बनर्जी ने मुझे नियम 377 के अन्तर्गत कुछ सामग्री भेजी थी । मैं उससे सहमत नहीं हुआ । जहां तक ध्यान आकर्षण सूचना का प्रश्न है, उसके लिये विषय पहले ही निर्धारित किया जा चुका है । इस विषय पर हम अगले सप्ताह विचार करेंगे । मेरे विचार से माननीय सदस्य का विषय बहुत महत्वपूर्ण है । हम इस विषय पर अगले सप्ताह विचार करेंगे ।

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : जब कभी सरकार और किसी विदेशी संभ्रात व्यक्ति में विचार विमर्श होता है तो सरकार स्वयं ही इस बारे में सभा में वक्तव्य दे देती है । प्रधान मंत्री और किसनगिर के बीच विचार विमर्श हुआ था लेकिन इस बारे में कोई भी वक्तव्य अभी तक नहीं दिया गया है । हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट से पता लगा है कि अमरीकी सरकार बंगला देश के लोगों का संहार करने के लिये 350 लाख डालर के हथियार भेज रहा है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers Laid on the Table

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री डी० पी०यादव) : **मैं श्री सिद्धार्थ शंकर राय** की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1969–70 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखी गयी गई । देखिये संख्या एल० टी० 629/71]**

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : में सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 43 की उपधारा (3) के अन्तर्गत औद्योगिक वित्त निगम (बंधपत्रों का निर्गम तथा प्रबन्ध) संशोधन विनियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या 2/71 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 630/71]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 961, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 91 जून, 1971 में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) जी० एस० आर० 964, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जून, 1971 में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) जी० एस० आर० 977, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) जी० एस० आर० 973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जून, 1971 में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 631/71]**

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 11944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) सत्ताईसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में संख्या जी० अधिसूचना एस० आर० 911 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य अट्ठाईसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 912 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) उन्तीसवा संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में संख्या जी० अधिसूचना एस० आर० 913 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) तीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 914 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) इकतीसवां संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 915 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य बत्तीसवाँ संशोधन नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 916 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) तैंतीसवां संशोधन नियम, 1671, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जून. 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 917 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या6 एल० टी० 632/71]

आयोजन और वास्तु कला विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) आयोजन और वस्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली, के वर्ष 1969–70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 633/71]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 634/71]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र के दौरान पास किये गये तथा राष्ट्रपति के अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां, सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) सामान्य बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971

(2) स्वर्ण (नियन्त्रण) संशोधन विधेयक 1971

(3) आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने का विधेयक, 1971

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES (VALIDATION OF TAXES) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर

से मैं प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्य करने और तत्सम्बद्ध विषयों को उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्य करने और तत्सम्बन्धी विषयों को उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ :

अन्तर्राष्ट्रीय विमाम पत्तन प्राधिकारी विधेयक
INTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY BILL

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उन कतिपय हवाई अड्डों के, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवायें चलाई जाती हैं या चलाये जाने के लिए आशयित है, प्रबन्ध के लिए एक प्राधिकारी के गठन का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "उन कतिपय हवाई अड्डों के, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवायें चलाई जाती हैं या चलाये जाने के लिए आशयित हैं, प्रबन्ध के लिये एक प्राधिकारी के गठन का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

डा० कर्णसिह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

सामान्य बजट—अनुदानों की माँगे
रक्षा मन्त्रालय—जारी

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—COTD
MINISTRY OF DEMAND—CONTINUED

अध्यक्ष महोदय : अब हम रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों के साथ चर्चा करेंगे। मन्त्री महोदय इसका उत्तर देने के लिये कितना समय लेंगे।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं एक घन्टे का समय लूंगा ।

श्री एन० श्री कान्तन नायर (क्विलौन) : एक सिपाही को लगभग 60 रुपये प्रतिमास वेतन मिलता है जबकि एक जनरल को 4000 रुपये वेतन मिलता है और मनोरंजन भत्ता मिलाकर 6000 रुपये वेतन बैठता है । एक जवान को 15 वर्ष की सेवा करने की अनुमति है जबकि एक जनरल 30 वर्ष तक सेवा में रह सकता है यदि आवश्यक हो तो 60 वर्ष की आयु तक भी उसे रखा जा सकता है । जवान को 30–35 वर्ष की आयु में सेवा निवृत करना उसके साथ अन्याय करना होगा ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को केवल 50 रुपये प्रतिमास मिलते हैं । उन्हें निशुल्क राशन भी नहीं मिलता और उन्हें प्रतिदिन 13–14 घन्टे काम करना पड़ता है । निम्न वर्ग के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये और उनके वेतन का पुनरीक्षण करने के बारे में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिये क्योंकि वे वेतन आयोग के अन्तर्गत नहीं आते ।

कुछ बड़े अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर सेना को घटिया खाद्यान्न सप्लाई करवाते हैं । हमारी सेना को बहुत घटिया किस्म का खाना सप्लाई किया जाता है । आशा है निरीक्षण महानिदेशक इस ओर ध्यान देंगे ।

रक्षा उत्पादन के अन्तर्गत काम करने वाले आठ उपक्रमों में कोई भी उपक्रम केरल राज्य में स्थापित नहीं किया गया है ।

केरल में कोई भी गोलाबारूद, हथियार और आयुद्ध कारखाने स्थापित नहीं किया गया है ।

केरल में कोई भी भरती कार्यालय नहीं है । राज्य के शिक्षित युवक और युवतियों को नौकरी के लिये अन्य राज्यों की राजधानियों में जाने पड़ता है ।

सेना से निवृत हुए केरल राज्य के सैनिकों को नेफाओं सीमावर्ती क्षेत्रों में बसने की सुविधायें उपलब्ध नहीं है ।

रक्षा मन्त्रालय ने केरल राज्य से भेदभाव किया है । यदि इस भेदभाव को न रोका गया तो भारत का भी पाकिस्तान जैसा हाल होगा ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपाल गंज) : रक्षा तथा विदेश कार्य ऐसे मामले हैं जिनके बारे में तथ्यों को बताने से देश को क्षति हो सकती है । मैंने गत वर्ष और इस वर्ष के प्रतिवेदन को देखा है और इस वर्ष के प्रतिवेदन में सुधार पाया है ।

प्रतिवेदन में वास्तविक तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो इस बात का कैसे पता लग सकेगा कि रक्षा मंत्रालय में प्रगति हुई है अथवा नहीं।

विमान दुर्घटनाओं के बारे में स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना चाहिये।

हमें अपने दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए और उनकी गतिविधियों से सावधान रहना चाहिए। यदि वे अधिक तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी और अधिक तैयारी करनी चाहिए अन्यथा हम पिछड़ जायेंगे।

हमे पाकिस्तान और चीन से लगातार युद्ध सम्बन्धी धमकियां मिलती रहती हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हमे अपनी रक्षा सम्बन्धी तैयारी करनी चाहिए।

चीन के बारे में रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि "चीन ने अपना ग्यारवाँ परमाणु परीक्षण 14 अक्तूबर, 1970 को किया था। चीन प्रक्षेपणशस्त्र के उत्पादन पर बहुत बल दे रहा है। एक अनुमान के अनुसार चीन प्रतिवर्ष 20 किलो टन के40 परमाणु बम बनाने में समर्थ है। चीन 3200 किलो मीटर तक प्रक्षेपणशस्त्र छोड़ने में समर्थ है।

इसका मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? हम कहते हैं कि भारत इस बात का प्रयास कर रहा है कि परमाणु अस्त्रों का प्रयोग केवल शान्ति के लिये किया जाये। इस इच्छा के व्यक्त करने मात्र से काम नहीं चलेगा। केवल विचार प्रकट करने मात्र से ही हम चीन को भारत के विरूद्ध परमाणु अस्त्रों के प्रयोग करने से नहीं रोक सकते। हम परमाणु बम के निर्माण के बारे में पुन: विचार करना चाहिए। हमे देश की रक्षा के लिये परमाणू शक्ति का प्रयोग करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

हमारे आयुध कारखानों में अभी बहुत सुधार किये जाने की आवश्यकता है। उनमें उत्पादन कम होता है और उनकी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं होता। उनमें यथा सम्भव सुधार किया जाना चाहिए।

रक्षा मन्त्रालय के सरकारी उपक्रमों में उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर किया जाना चाहिये।

रक्षा मन्त्रालय में दो विभाग हैं उत्पादन तथा सप्लाई। इन दो अलग अलग विभागों की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों विभागों का विलय किया जाना चाहिए। सप्लाई विभाग में अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो रक्षा उत्पादन विभाग के अन्तर्गत आती हैं। बेकार अथवा अनुपयोगी माल की बिक्री काफी बड़े परिमाण में की गई है।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 17 पर उल्लेख किया गया है कि पूर्ति तथा निपटान महा निदेशक को माल की कीमत 104·33 करोड़ रुपये बताई गई थी। बेचे गये माल की कीमत 77 करोड़ रुपये हैं। बाकी का क्या बना। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनका फिर से प्रयोग किया गया।

सेना के अधिकारियों को हिन्दी सिखाने के प्रश्न पर 23 वर्ष बाद भी विचार किया जा

रहा है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी राज भाषा को क्या स्थान प्राप्त है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि राज भाषा (संशोधन) अधिनियम, 1965 को क्रियान्वित करने के बारे में गम्भीरता से प्रयास नहीं किया गया है। बंगला देश को शीघ्र मान्यता न देने के कारण विपक्षी दल सरकार से नाराज हैं। केवल मान्यता देने मात्र से उनकी अधिक सहायता नहीं की जा सकेगी। बंगला देश को मान्यता देने वाला सर्वप्रथम देश भारत होगा हम बंगला देश को मान्यता दिये बिना भी उसे हर प्रकार की सहायता दे सकते है। कुछ सदस्य कहते हैं। कि यदि हम बंगला देश को मान्यता देते हैं तो कुछ अन्य देश भी इसको मान्यता दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। बल्कि इससे पाकिस्तान को यह कहने का मौका मिल जायेगा कि इस सारी समस्याकी जड़ भारत है। यदि कोई देश हमारा मित्र देश है और उसका किसी अन्य देश से युद्ध होता है तो इस हम भी युद्ध में उलझ जाते हैं। अतः मान्यता देने से पूर्व हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। सरकार बंगला देश को मान्यता देने से इन्कार नहीं कर रही है। लेकिन वह इसके लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। वह उसको यथा समय मान्यता देगी। सरकार इस बारे में अपने दायित्व से भी पीछे नहीं हट रही है। उसकी बंगला देश की समस्या के प्रति सहानुभूति है। चीन से हुए संघर्ष में हमारी सफलता का कारण युद्ध सम्बन्धी नीति की जानकारी न होना था। अतः यह बहुत ही महत्व का विषय है और इसे सरकार पर छोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार मान्यता देने का प्रश्न भी हमे सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : इस बात को महसूस नहीं किया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अघोषित युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान इसमें विजय प्राप्त कर रहा है। 60 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश कर चुके हैं और अभी कई लाखों और आ जायेंगे। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान युद्ध की घोषणा किये बिना अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोप रहा है। तथ्य यह है कि पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान ने पर जिसे हम अब बंगला देश कहते हैं आक्रमण किया है और यहां के लोगों पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है हालांकि वहां के लोग चुनाव में अपना मत पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। पाकिस्तान ने उनके निर्णय को रद्द कर दिया और वहां के लोगों पर इतनी ज्यादतियां की कि वे अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं। यदि हम अपने ऊपर मानवीय आधारों को हावी न होने देते तो उनके अपने देश में घुसने से रोक सकते थे। परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। इससे हमारे ऊपर वित्तीय बोझ पड़ा है। आने वाले शरणार्थियों में बहुमत हिन्दुओं का है। अतः पाकिस्तान पूर्णतया इस्लामिकराज्य बनाने के उद्देश्य में सफल हो रहा है।

हम प्रतिवर्ष 1200 करोड़ रुपया रक्षा कार्यों पर व्यय कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता है कि यह राशि हम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय कर रहे है ? हम आक्रमण का मुकाबला करने के लिये यह राशि व्यय कर रहे हैं, आक्रमण का केवल यह अर्थी नहीं है कि सेनाओं को ही सीमा पर भेजा जाये। रक्षा विभाग के प्रतिवेदन में स्पष्टरूप में बताया गया है कि पाकिस्तान और चीन से हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। उसमें पाकिस्तान और चीन का सैनिक तैयारी के बारे

में भी बताया गया है। परन्तु हमारी सैनिक तैयारी के बारे में उसमें कुछ नहीं बताया गया है। अथवा सैनिक तैयारी के बारे में भी कुछ संकेत दिये जाने चाहिए। लन्दन स्थित इन्स्टीट्यूट आफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज विभिन्न देशों के सैनिक संतुलन के बारे में बताया जाता है। सरकार उसकी एक प्रति प्रतिवेदन में दे सकती है।

ऐसा प्रचार हो रहा है कि हम बंगला देश के बारे में हम इसलिए कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि सेनाओं के अध्यक्ष सैनिक कार्यवाही के विरूद्ध हैं। मेरे विचार में सेनाध्यक्षों के लिये यह बहुत अनुचित है। राजनैतिक निर्णय सरकार को लेना होता है। अत: किसी के लिए भी इस प्रकार का प्रचार करना उचित नहीं है। हमें अपने लोगों में इस प्रकार की धारणा उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए कि हमारी सेनाएं कार्यवाही करने के विरुद्ध हैं। चीन द्वारा प्रथम अणुबम के विस्फोट के बाद भी सरकार ने अणुबम न बनाने का निर्णय किया था। यह बहुत ही संतोषजनक बात है कि हम देश के समक्ष खतरे के प्रति जागरूक हैं। पहली बार यह कहा गया है कि चीन द्वारा अणुशक्ति के विकास पर हमें चिन्ता है। चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि यह विखण्ड की आणविक हथियारों में राजनैतिक ब्लैकमेल की जा सकती है ठीक नहीं लगता है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा किस आधार पर कहा गया है। अब जो घटनाए घट रहीं है वे हमारे लिए चिन्ता का विषय है। यदि आज चीन के साथ संघर्ष हो जाता है तो कोई भी बड़ी शक्ति हस्तक्षेप कर सकती है क्योंकि चीन के पास पर्याप्त अन्तर-देशीय प्रक्षेपणात्मक शस्त्र नहीं हैं। परन्तु जब चीन के पास उक्त हथियार पर्याप्त रूप में हो जायेंगे तो कोई भी बड़ी शक्ति भारत के लिए स्वयं को खतरे में नहीं डालेगी और भारत को स्वयं ही चीन से लड़ना होगा। अतः हमें शीघ्र ही आणविक कार्यक्रम आरम्भ कर देना चाहिए। आम तौर पर कहा जाता है कि इस पर बहुत लागत आयेगी और हमारी अर्थ व्यवस्था नष्ट हो जायेगी। परन्तु 1962 के चीन के आक्रमण के पश्चात हमने रक्षा बजट में चार अथवा पांच गुना वृद्धि की है। अब हम देश के समक्ष खतरे को देखते हुए हम रक्षा बजट में वृद्धि कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से औद्योगिक विकास में भी तेजी आयेगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये हमारे पास तकनीकी जानकारी तथा योग्यता है। हमें इस बारे में केवल दृढ़ निश्चय होने की आवश्यकता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिये। अत: यह केवल वित्तीय बोझ का प्रश्न नहीं है। हम शरणार्थियों को जल्दी उनके घर वापस नहीं भेज सकते। हम उनको सदा के लिये अपने पास भी नहीं रख सकते। अत: सभी बातों को देखते हुए हमें बंगला देश के बारे में निर्णायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

यह सच है कि कोई भी युद्ध नहीं चाहता परन्तु कई बार परिस्थितियां युद्ध के लिए व्यक्ति को बाध्य कर देती है। हमें तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शरणार्थियों के आने से वित्तीय बोझ के अतिरिक्त और भी अनेक सामाजिक जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं। भविष्य में नीति बनाते समय हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

रक्षा प्रतिवेदनों में और अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा करना स्वयं रक्षा

मन्त्रालय के हित में है। इससे हम रक्षा नीतियों के बारे में अधिक अच्छी तरह निर्णय कर सकते हैं।

Shri **Mulki Raj Saini** (Dehra Dun) : I will to support the demands for grants of the Ministry of Defence. This Ministry is now in the hands of an able and senior political leader. Ever since he took charge of this Department, tremendous progress has been made. Even so. there is no need to be complacent in that regard. Keeping in view the charged balance of power across our frontiers, no accretion of arms will be too much for us. The pattern of war today is quite different from that of the past. Now the complete nation will be engulfed if war starts. So if a nation is united and the people have no hatred against each other only then can we say that the nation is strong enough to face any eventuality.

Our army has a glareous part. Deeply impressed by the gallantry and spirit of sacrifice of our army during the world war II Hitler had said "Would that these platones were with us. So no body should have any doubt about the lighting talent of our jawans.

Even to-day discrimination is being made between martial and non martial races. This invidious practice should be done away with and we should make the organisation of the army more broad based. Every young man of the country should be made to feel that we belong to martial race and that be has to fight for his country. Military training should be imparted to each and every youngman of the country. The army regiment should not be named after the castes. They can be named after the historical pensonages or requies.

Training of armed forces is quite excellent. We have since long been duranding the introduction of the modern and sophisticate military handwave in the army. Our armed forces should be equipped with most modern ornaments. We should not lag behind in the field. We should also manufacture as much ornaments as possible in our arm country.

No country can make any progress if it feels complacent so we should always think of marching ahead. We should also be not oblivious of the growing indiscipline among the various public and private undertakings. This thing should not be allowed to prevail in the ordinance factories.

There is a big gap between the salaries of an officer and a sepoy. We are still adopting old huma ncratic attitude in regard to providing of facilities to soldiers. It gives rise to conception which consequently endangers the whole Organisation.

Preference should be given to the construction of roads in the border areas. Facilities for drinking water should also be provided in these areas. Basic requirements of the border districts should be fulfilled.

We should also try to improve the lot of the students amongst whom we have to take recruit officers for our army. Unless the base is strong we can not have an edifice.

We should have a combind approach to the problem of Hippies. I will say that they should not be allowed to come but we should be careful about the fact that spies of foreing countries should be allowed to come in the guise of Hippies.

More money should be allocated for the research work.

We should have accorted recognition to Bangla Desh long back. Every body in the country is demanding that Government should take into consideration all these things.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : बंगला देश के कारण उत्पन्न हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए मैं रक्षा विभाग की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । भारत सरकार ने अनेक बार पाकिस्तान को युद्ध न करने की संधि पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की है परन्तु पाकिस्तान ने सदा इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया है । हमारे देश को, जो कि समाजवादी तथा लोकतन्त्रात्मक समाज के निर्माण में लगा हुआ है, हमारे पड़ोसियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों द्वारा गलत समझा गया है । हमें अपने मन में इस बात की खोज करनी चाहिए कि क्या कारण है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी को भी अपना मित्र बनाने में असफल रहे हैं । आज हमारा विश्व में कोई भी मित्र नहीं है ।

पूर्वी अंचल बहुत नाजुक क्षेत्र है । गत कुछ वर्षों से चीन और पाकिस्तान ने हमारे अनेक युवकों को हमारे विरुद्ध भड़काकर उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया है । भारत-पाक अथवा भारत-चीन युद्ध के दौरान हमारी सशक्त सेनाओं को इस समस्या को सुलझाने की ओर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इनके द्वारा गड़बड़ उत्पन्न किये जाने का खतरा होगा । अत: हमें इस अंचल में सशक्त सेनाओं को और अधिक मजबूत बनाना है और लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करना है । आकाशवाणी को प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों को भी इस क्षेत्र में बढ़ाया जाना चाहिए ।

इम्फाल में छावनी क्षेत्र, जोकि बहुत सुन्दर है, का प्रयोग फोर्थ आसाम राइफल्स द्वारा किया जा रहा है । इस क्षेत्र पर ब्रिटिश द्वारा 1891 में मनीपुर की सेनाओं को पराजय कर कब्जा किया गया था, उस क्षेत्र के लोग बार बार यह मांग कर रहे हैं कि इस सेना की टुकड़ी को वहां से हटा दिया जाए । इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि यह स्वतन्त्र मनीपुर के रक्षा का महल था । अत: वहाँ के लोग यह महसूस करते हैं कि इसका संरक्षण किया जाना चाहिए । इस अहाते में बने पवित्र तालाब से एक गिलास पानी लेने के लिए अनेक स्थानों से अनुमति लेनी पड़ती है । अत: मैं मांग करता हूं कि सेना को वहां से हटा दिया जाए । इससे वहां स्थिति में सुधार होगा ।

मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि सरकार ने नागा रेजिमेंट बनाने का निर्णय किया है । सरकार को मनीपुर नाम से भी एक रेजिमेंट बनानी चाहिए । परन्तु यदि सरकार राज्यों तथा समुदायों के नाम पर रेजिमेंटों का नाम रखना उचित न समझें तो वह ऐसा करना बन्द कर दे क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश में कोई भी ग्रुप असंतुष्ट हो ।

इन क्षेत्रों में अमरीका तथा इंगलैंड द्वारा लोगों को धर्म के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है । ये संस्कृति के द्वारा वे लोगों के मन में परिवर्तन कर रहे हैं । विभिन्न जनजातियों तथा जनजातियों और गैर-जनजातियों के बीच सम्बन्धों के विकास में संस्कृति महत्त्व-

पूर्ण कार्य करती हैं। सांग और ड्रामे डिवीजन के दलों को जो जवानों के मनोरंजन के लिए उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन देना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व एक आयोग के समक्ष साक्ष्य देते समय मैंने कहा था कि हमें इस क्षेत्र में पश्चिमी संगीत के स्थान पर भारतीय संगीत एवं संस्कृति को अधिक प्रदर्शित तथा प्रोत्साहित करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : बंगला देश के राजनीतिक प्रश्न पर रक्षा मन्त्री ने देश और सरकार को धोखा दिया है। हमारी सरकार यह अनुमान लगाने में असमर्थ रही कि पाकिस्तान की ओर से वस्तुत: कितना बड़ा खतरा है। जिस समय बंगला देश का स्वतन्त्रता-संग्राम शुरू हुआ उस समय पाकिस्तानी सेना के केवल दो डिवीजन वहां थे, जिन पर मुक्ति सेना ने लगभग नियन्त्रण पा लिया था। पश्चिमी पाकिस्तान ने ढाका को उस समय तक सेना नहीं भेजी जब तक उसे यह पता न चला कि भारत कोई कार्यवाही करने नहीं जा रहा है। बाद में उन्होंने 2½ डीविजन सेना बंगला देश भेज दी, जिसने स्वतन्त्रता सेनानियों का सफाया कर दिया और वहां नर संहार शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ भारत युद्ध करे, किन्तु ऐसे अवसर पर भारतीय सेना को पश्चिमी पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर हलचल बनाये रखनी थी, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान को बंगला देश में अतिरिक्त सेना भेजने की हिम्मत न होती।

मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार बंगला देश को मान्यता देने में संकोच क्यों कर रही है। यदि यह मान भी लिया जाये कि मान्यता देते ही पाकिस्तान भारत से युद्ध छेड़ देगा, तो हमें देखना यह है कि अब पाकिस्तान की युद्ध करने की कितनी क्षमता है। उसकी बंगला देश में अब क्या स्थिति है। युद्ध की दृष्टि से साढ़े चार डीविजनों का कोई मूल्य नहीं है। उनके पास वायु सेना का एक स्काड्रन है जिसके चार-पांच विमान स्वतन्त्रता-सेनानियों ने मार गिराये हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए बंगला देश में रेल और सड़क के रास्ते खतरनाक बन चुके हैं। अब वे केवल जलमार्गों का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सैनिक शक्ति इस समय असंतुलित है वहां पर अब 7 के बजाय केवल 4½ डीविजन सेना हैं। एक अन्य बात यह भी विचारणीय हैं कि पाकिस्तानी सेना से 20 से 25 प्रतिशत बंगाली हटा दिये गये हैं। अत: उनकी सैनिक शक्ति 20 से 25 प्रतिशत और कम हो गई है। बंगला देश के लिए वे यूरोपीय और नाटो देशों से शस्त्रास्त्र खरीद रहे हैं। पाकिस्तान, अमरीका, फ्रांस, चीन, टर्की अथवा ईरान से शस्त्रास्त्र मंगा रहा है। इस समय बंगला देश में उसकी सैनिक शक्ति का संतुलन बिगड़ा हुआ है, और वे वहां अब अपनी सेना, पुलिस की शक्ति और छापामार सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। यदि रक्षा मंत्रालय ने सरकार को बंगला देश को मान्यता न देने की इस आधार पर सलाह दी है कि उसे मान्यता देने से पाकिस्तान युद्ध छेड़ देगा, तो मेरे विचार से यह परामर्श ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान स्वयं युद्ध शुरू करने की स्थिति में नहीं है और चीन उसकी सहायता के लिए सीधे उसी प्रकार से नहीं आएगा ठीक जैसे कि वह लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम के मामले में नहीं आया है। मन्त्री महोदय को पाकिस्तान की सैनिक शक्ति के बारे में ठीक ज्ञान नहीं है।

रक्षा मन्त्री महोदय को अपना कार्य पहले ही कर लेना चाहिए था। हमें यह काम करना अवश्य होगा किन्तु विलम्ब से करने पर अपने देशवासियों का अधिक खून बहाना होगा।

जहां तक भारत के परमाणु शस्त्रों से सम्पन्न शक्ति होने का प्रश्न है, मेरा विचार है कि भारत ताप-आण्विक बम बनाने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि यह प्रक्रिया अत्याधिक महंगी है और दूसरे भारत को इन शस्त्रों से खतरा भी नहीं है क्योंकि इस शस्त्रों का युद्ध विश्व-युद्ध में परिणत हुए बिना रह नहीं सकता। परन्तु कम से कम भारत छोटे आकार के परमाणु बम्ब तो बना ही सकता है और इन्हें परम्परागत: शस्त्रों में गिना जाता है। हमें परमाणु मोर्टार और न्यूक्लयी शैल आदि तो हमें बना ही लेने चाहिए। चीन ने ये शस्त्र बना लिये हैं। उसके प्रत्युत्तर ऐसे शस्त्र हमें भी बना लेना चाहिए। उन पर अपेक्षाकृत खर्च भी कम आता है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि क्या भारत में ऐसे शस्त्र बनाने की योग्यता और क्षमता है। विज्ञान का छात्र होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक देता हूं। हमारे पास इसके लिए अपेक्षित सामग्री प्लूटोनम हैं और तकनीकी ज्ञान भी है। अत: हमें टेक्नीकल न्यूक्लोय शस्त्र बना लेने चाहिए। इसमें हमारी क्षमता या लागत का प्रश्न नहीं यहां तो आवश्यक सरकार द्वारा निर्भीक और दृढ़ निर्णय लेने की। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे कुछ दर्जन शस्त्र केवल 6 मास में बनाये जा सकते हैं।

Shri Ram Sahai Pandey (Rajnandgaon) : Mr. Deputy Speaker Sir, I heard the speech of Shri Samar Guha with respect attention which was surcharged will emotions and which ranged from the giving of a clarion call to the manufacture of an bombs. He also called upon the crannet to reognise the Government of Bangla Desh and to go to war with Pakistan, if necessary. He also tried to prove that our Government is afraid of war. But as I think war is not a question of emotion, It is a question of strategy and a matter of serious thought. If the situation demands, we will not hesitate to go to war, but we should not speak of going to war so lightly.

As regards the question of Bangla Desh our Prime Minister has said on more than one occasions that we have full sympathies with the freedom fighters all over the World and we have greater sympathies for Bangla Desh freedom fighters, because they are our neighbours.

Since the attainment of independence we had to face two wars. There were certain shortcomings which came to light when we had to fight with China in 1962, but even at that time our jawans exhibited exemplary courage. After our debacle with China. We paid due attention to our defence preparedness and to defence production. Since then our Government has been alert and vigilant and the Ministry of Defence has been taking adequate steps to equip our armed forces with modern arms and ammunitions.

We are aware of the fact that U. S. A. has been giving arms and ammunition to Pakistan. We have protested to U. S. A. and asked her to discontinue supply of arms to Pakistan. But inspite of the assurances given by American Administration to stop the supply of arms they continue to supply arms to Pakistan. These arms are being used by Military Rul-

ers of Pakistan against India and against freedom fighters of Bangla Desh. It is a matter of pride for us that our brave jawans and officers smashed the Sabre jets and the patton-tanks during the conflict of 1965.

[श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई
Shrimati Shila Kaul in the Chair]

So we should not say that we are afraid of war and that we are not prepared for war if thrust upon us. We are certainly not afraid of war and we have enough courage for it but we should go in for a war if it is unavoidable and necessary for our very existence. I admit that we should be fully prepared for such eventuality. It may arise any time. But we would like to go to war after taking all the aspects into consideration. We will face war bordly if it will be necessary. With these words I support the demands of the Ministry of Defence.

** **श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरि) : सभापति महोदय, मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने से पूर्व, मैं अपने कुछ सुझाव सभा के सामने पेश करना चाहता हुं । मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ कि प्रादेशिक सेना की प्राधिकृत संख्या 50,778 है किन्तु वास्तव में इसकी सख्या 31–12–1970 को केवल 43782 थी । मेरे विचार से सीमा पर गम्भीर सकट के समय प्रादेशिक सेना रक्षा की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर आती है । क्या इसमें जवान भर्ती होना नहीं चाहते या अधिकारी गण, इसमें रुचि नहीं ले रहें हैं । अतः राष्ट्र की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस संगटन के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, वह तत्काल समाप्त होना चाहिए ।

मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय को 3·5 करोड़ रुपये की राशि गत वर्ष वापस करनी पड़ी । क्या मंत्रालय को कोई ऐसा क्षेत्र दिखाई नहीं दिया जहां यह राशि खर्च की जा सकती थी । इस राशि से रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत एक नया मेडिकल कालेज खोला जा सकता था, क्योंकि स्वयं मन्त्री महोदय ने कई बार यह स्वीकार किया है कि सेना में डाक्टरी का अभाव है । नया मेडिकल कालेज खुलने से अधिक छात्रों को इसमें प्रवेश मिल सकता था और सेना में डाक्टरी की कमी दूर हो सकती थी ।

सेना में भर्ती के प्रश्न के बारे में मेरा निवेदन है कि ततसम्बन्धी नीति में अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है । अब युद्ध में शारीरिक शक्ति के स्थान पर मानसिक शक्ति काम करती है । अब तो युद्ध में प्रत्येक सिपाही को मानसिक रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होती है । अतः आधुनिक किस्म की सेना में भर्ती के नियम भी आधुनिक बनाये जाने चाहिए । वर्तमान नियमों के अनुसार सैनिकों को 35 वर्ष की आयु पर सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है । और वे सेना की सेवा सक्रिय रूप से केवल 10 वर्ष कर पाते हैं । अतः उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 35 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष होनी चाहिए । साथ ही मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि जो सैनिक सेवा से निवृत्त होते हैं उनके पेंशन के दावों का निबटारा शीघ्रतिशीघ्र होना चाहिए । कई

** तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।
English translation of the speech delivered in Tamil.

उदाहरण ऐसे हैं जिनमें पेंशन के दावों का निबटारा पेंशन पाने वाले की मृत्यु के बाद हुआ। इस प्रकार की उपेक्षा नहीं बर्ती जानी चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि जो सैनिक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनकी पेंशन के मामले उनके सेवा निवृत्त होने से एक वर्ष पूर्व ही लिये जाने चाहिएं।

हाल ही की घटनाओं से यह सिद्ध हो गया है कि जब भी हमारी सुरक्षा को खतरा होगा, तब कोई भी देश हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आयेगा। इसके विपरीत अमरीका जैसे देश तो इस समय भी पाकिस्तान को शस्त्रों से लदे जहाज भेज रहा है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि सैनिक शक्ति के मामले में हम आत्मनिर्भर हों। हमें अपने देश में परमाणु शस्त्रों सहित आधुनिक शस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। अब रक्षा के मामले में दूसरों के भरोसे पर रहना ही खतरा उठाना है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अरवंगदु में एक कोरडाइट फैकटरी है। उसमें वर्षों से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। हालांकि वहां के किसानों की भूमि ले ली गई थी। अभी तक उन्हें न तो बदले में भूमि अन्यत्र दी गई है और नाही उन्हें अपनी भूमि पर काश्त करने की अनुमति दी गई है। मन्त्री महोदय इस समस्या पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं उक्त मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

रक्षा मन्त्रालय रक्षा उत्पादन में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : सभापति महोदय, में अपने संक्षिप्त भाषण में रक्षा उत्पादन और रक्षा सम्भरण विभाग के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके द्वारा दिये गये सुझावों को मुख्य रूप से लूंगा।

हमारी नीति यह है कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हम अधिक से अधिक आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाये। वैसे बड़े से बड़ा देश भी इस सम्बन्ध में पूर्णतः आत्म निर्भर नहीं हो सकता। तथापि अपनी गुट निर्पेक्षता, स्वतन्त्रता आदि की रक्षा के लिये यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अपने रक्षा उत्पादन पर ही आश्रित रहा जाये। 1962 के पश्चात् हमें इस बारे में बड़ी सफलता मिली है। हम इसी बात पर बल दे रहे हैं कि अधिकतम रक्षा समान अपने ही आयुध कारखानों में बनाया जाये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र पर अधिक आश्रित रहती है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम अधिक से अधिक उत्पादन चाहते हैं चाहे वह आयुध कारखानों से प्राप्त हो अथवा रक्षा मन्त्रालय के अन्तर्गत कार्य कर रहीं अन्य कम्पनियों से प्राप्त हो। जो रक्षा समान थोड़ी तकनीकी जानकारी से बनाया जा सकता है तथा गैर-सैनिक क्षेत्र में बन सकता है उसको अन्य कम्पनियों से तैयार कराया जा रहा है जिससे विशिष्ट तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्तियों से तथा अपने आयुध कारखानों में विशेष वस्तुएं उत्पादित कराई जा सके और कुल माल अधिक मात्रा में तैयार हो सके। इसके अतिरिक्त कम आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिये उन्हीं कारखानों या व्यक्तियों को सावधानीपूर्वक चुना गया है जो विश्वस्त हैं। जिन कारखानों के ऊपर थोड़ा सा भी संदेह है उनको यह कार्य नहीं सौंपा जाता।

जहां तक विदेशी सहयोग का प्रश्न है विश्व में विज्ञान और औद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि कोई भी देश बिना विदेशी सहयोग के काम नहीं चला सकता। श्री इन्द्रजीत गुहा ने कुल अनुसंधान और विकास विंग का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हम इसके सुधार के लिये अधिक से अधिक धन राशि खर्च करना चाहते हैं। इसीलिये पिछले पांच वर्षों में हम पर 11½ करोड़ रुपया खर्च किया गया और इस वर्ष 17½ करोड़ रुपया। तथा अगले पाँच वर्षों में हम इस पर 46 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहते हैं।

हम अपने अनुसंधान और विकास कार्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। किन्तु इन प्रयत्नों के पश्चात् भी हमें रक्षा उपकरणों के लिये विदेशी सहयोग करना पड़ा है। तकनीकी क्षेत्र में पीछे रहने से बचने के लिए भारत को विदेशी तकनीकी जानकारी लेनी ही होगी क्योंकि विकसित देशों को भी हम क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान करना पड़ता है।

कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आयात करना ही पड़ता था क्योंकि भिन्न कारणों से उनका उत्पादन भारत में नहीं हों सकता। रक्षा पूर्ति विभाग इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि ऐस वस्तुओं का भारत में ही उत्पादन किया जाय तथा इस कार्य में काफी सफलता मिली है। विभिन्न रक्षा उपकरणों में काम आने वाली 17,000 वस्तुओं को, जिनका विदेशों से आयात किया जाता था, भारत में ही स्वदेशी साधनों से निर्मित किया जा रहा है तथा इनके लिये अब हमें विदेशी मुद्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पूर्ति विभाग ने इस वर्ष आयात स्थापना वस्तुओं की सप्लाई के लिए स्वदेशी सप्लाई कर्ताओं को 72 करोड़ रुपयों के मूल्य की वस्तुओं का क्रयादेश दिया है। यह स्थिति उत्साह वर्द्धक है। वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान विवाद के पश्चात हमें अनुभव हुआ कि विभिन्न पश्चिमीय देशों ने भिन्न राजनीतिक कारणों से भारत को सुरक्षा उपकरण देना पूर्णतः बन्द कर दिया जिसके कारण हमें विषम स्थिति का सामना करना पड़ा। उसके पश्चात हमने आयात स्थापना वस्तुओं के उत्पादन की दिशा में सक्रिय कदम उठाये जिसका परिणाम यह हुआ कि 1965 से 1971–72 तक 72 करोड़ रुपयों के मूल्य की स्थानापन्न वस्तुओं का क्रयादेश दिया जा सका जो वस्तुतः सराहनीय है।

हमारे रक्षा उपक्रमों में कुल उत्पादन में वृद्धि होने की पूरी सम्भावना है। गत वर्ष अर्थात् 1970–71 में उनका कुल उत्पादन 154 करोड़ रुपयों के मूल्य का था तथा इस वर्ष यह सम्भावना है कि उनका कुल उत्पादन 190 करोड़ रुपयों के मूल्य का हो जायेगा।

हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि० तथा भारत इलैक्ट्रिकल्स लि० जैसे विभिन्न कारखानों में केवल उत्पादन ही अधिक नहीं हो रहा है वरन वे लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने इनके उत्पादों का निर्यात करना भी आरम्भ कर दिया है तथा इस कार्य में यदि सावधानी बरती जाती है कि देश की आवश्यकता और तैयारी में किसी प्रकार का व्यवधान न पड़े तथा इन उपक्रमों में लगे प्रत्येक पैसे का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके।

श्री इन्द्रजीत ने ईशापुर कारखाने में इन्जीनियरिंग और डिजाइन कार्य का उल्लेख किया है। इस कारखानों के साथ एक छोटा संगठन सम्बद्ध है जो वहां बनने वाले हथियारों के नमूनों में वही सुधार करता है। देश के विभिन्न भागों में स्थित ऐसे कारखानों के साथ भी इन छोटे संगठनों की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थित हैं जो देश के सभी ऐसे कारखानों की आवश्यकता को पूरा करती है।

आम्बाधारी कारखाने के बारे में सदन में कई बार प्रश्न उठाऐ गये हैं। वास्तव में 1965 के विवाद के समय अमरीका ने अपना सहयोग अचानक वापस ले लिया जिसके कारण इस कारखाने की प्रगति धीमी पड़ गयी। वैसे अब इसमें उत्पादन शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। जहाँ तक विजयंत टैंक में स्वदेशी तत्व की मात्रा का प्रश्न है आज इसमें 60% मूल्य के उपकरण स्वदेशी हैं। यह कहना भी ठीक नहीं है कि आर्मर्ड प्लेट तथा गन प्राय: आयात की जाती हैं। इसके ये उपकरण अधिकतर स्वदेशी हैं तथा हम प्रयास कर रहे हैं कि इसके स्वदेशी उपकरणों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके।

हमारे वार्षिक प्रतिवेदन की भाषा के कारण 'मिग' 21 के सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी दी गई है। यह नहीं कहा गया है कि हममें स्वदेशी कच्चा माल उपभोग में लाया जाता है। वास्तव में यह सभी को विदित है कि इसमें इंजन में विशिष्ट प्रकार इस्पात और मिश्र धातु का उपयोग होता हैं जो हमारे यहां उपलब्ध नहीं है। यह भी विदित है कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए का[illegible] न एक परीयोजना की स्थापना की जा रही है जहां पर इस्पात और मिश्र धातु का उत्पादन किया जायेगा। इस परियोजना के कार्य आरम्भ होने पर हमें विदेशों पर कम आश्रित रहना पड़ेगा।

कल यह भी टिप्पणी की गई थी कि एच. एफ. 24 का कार्य उतना अच्छा न रहने के कारण ही जितने की आशा की जाती थी सरकार आधुनिक बमवर्षक विमान बनाना चाहती है। वास्तव में यह धारणा गलत है। एच. एफ.– 24 वायु सेना को स्क्वैड्रन सेवा में सम्मिलित किया गया है तथा उसका कार्य बहुत अच्छा है। हम उससे आगे एक वायु से तेज चलने वाला विमान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसके निर्माण से सैनिक आवश्यकताओं के क्षेत्र में हम पूर्ण आत्म निर्भर होना चाहते हैं क्योंकि इतने महत्वपूर्ण उपकरण के लिये हम किसी देश पर आश्रित नहीं रहना चाहते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे जटिज और महत्वपूर्ण उपकरण के निर्माण के लिये विकसित देश भी आठ-दस वर्ष तक अध्ययन करते रहते हैं। हमने इस दिशा में अभी सोचना आरम्भ किया है। अत: हमें भी इतना समय तो लगेगा ही। हम इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एटोनॉटिक्स आदि उपक्रमों तथा वायु सेना के विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया गया है। देश में वैज्ञानिकी के विकास के लिए एक बोर्ड है तथा ये मामले उसके समक्ष रखे जाते हैं।

मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को आपने संसाधनों के अन्तर्गत अधिक तेजी से बनाने का प्रयास किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं कहा था कि एच० एफ० 24 असफल रहा है, मैंने यह

कहा था कि इस विमान का ध्वनि से तेज चलने वाले विभाग के रूप में विकास नहीं किया जा सका जिसका प्रयास कई वर्षों से किया जा रहा है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में भी सराहनीय कार्य किया गया है। इस उपक्रम में राडार तथा वायर लैंस के आधुनिकतम उपकरण तैयार किये जाते हैं तथा इस समय जिस उपकरण का वहां उत्पादन किया जा रहा है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह उपक्रम पिलानी तथा अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं से सम्बन्ध बनाये रखता है तथा वहां से भी उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है उनका उपयोग किया जाता है।

आयुध कारखानों के "क्लोदिंग ग्रुप" को छोड़ कर किसी भी आयुध कारखाने की क्षमता बेकार नहीं पड़ी है। वास्तव में यह आवश्यक समझा जा रहा है कि कुछ कारखानों की क्षमता में वृद्धि की जाये तथा सशस्त्र सेना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ कारखानों में शिफ्टें बढ़ाई जाए। वैसे किसी भी कारखाने से श्रमिकों की छटनी नहीं की गई।

नियन्त्रण और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया गया है। जैसा कि सदन को विदित है इन टिप्पणियों की लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जायेगी तथा समिति के प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है।

हैदराबाद स्थित भारत डाईनामिक्स को राकेट और प्रक्षेपणास्त्र बनाने का कार्य सोंपा गया है तथा उसमें पहले टैंक भेदी राकेट बनाना आरम्भ किया गया है। इसकी मार लगभग 3 किलोमीटर है। हैदराबाद के वैज्ञानिक संस्थान की सहायता से तथा स्वदेशी अनुसंधान से हम इसकी गतिविधियों में विस्तार करना चाहते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : रक्षा उत्पादन बोर्ड ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधित्व की बात संगत नहीं है। प्रतिरक्षा उपक्रमों के विभिन्न प्रबन्धक बोर्डों में यह संगत हो सकता है तथा हम इस बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रक्षा उपक्रमों में आयुध कारखाने भी सम्मिलित हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस समय इसमें केवल सार्वजनिक उपक्रम ही सम्मिलित हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमें अपने उत्तरदायित्वों का पूरा पता है। वस्तुतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम अपनी सफलताओं के बारे में बहुत सी अन्य बातें बताने में असमर्थ हैं क्योंकि वे देश के हित में नहीं होंगी।

Shri N. S. Bisht (Almora) : The hon. Minister undoubtedly an experienced and far. sighted person and I hope the country will prosper under his able leadership. It is my duty to draw his attention towards the hilly area to which I belong.

The present position of Pakistan's economy and budget shows that Pakistan on this bruite of ruination is end.

At this juncture therefore, Government should not draw too heavily on the Tashkand Pact. Government should declare national emergency and we should prepare ourselves on war-foo ling,

I admit that the Defence Budget has been raised frgm Rs, 300 croses in 1962 to Rs. 1,151 crores in 1970 and to Rs. 1.243 crores in 1971. But I feel that this amount too is inadequate in view of the inpending dangers before the country. It must also be understood that no country will help us without looking to her own interest. We should also follow the present politics of, 'All for self and God for all. Therefore I am opposed to the idea of giving recognition to Bangla Desh and thus inviting destruction to our country. We have already taken a heavy burdon of 80 lakhs of refugees from Bangla Desh on our country inspite of the fact that this burdon should have been borne by the international community. However, we should not go any further in connection with the recognition of Bangla Desh. If Government decides to embark upon such ruinous activities under pressure from the Jan Sanghy the pledge of removing poverty taken by the Government would never be fulfilled and the country would be doomed because that war would not be confined to India and Pakistan only.

I come from a border area having largest participation in the active service. I would like to draw the attention of the hon. Minister towards deplorable condition of the ex-servicemen who are unable to provide their children with proper food, clothing and education. I request the hon, Minister that they should be rehabilitated in Tarai Bhabar agricultural land and gives employment in industries in co-operative sector. They should also be given loans on easy instalment. It has been substantiated by the official figures that Uttar Pradesh is the largest participant in military service with the 17·7 percent officers and 15·3 percent Jawans., In view of all these facts Government should not ignore this region : I suggert that a Liaison officer should be appointed to look after the interest of the E-xservicemen and the families of those army persor.wel killed in war.

Recommendations of the Pay Commission should be implemented and the retirement age of military personnel should also be raised.

The programme of constructions of Roads Undertaken by D. G. B. R. is very slow. Particularly in hill areas. Recruitment facilities are not given to the local people. Priority should be given to the children of military personnel in the admission in the schools. Apart from all these facilities our soldiers should be equiped with the modern and sophisto cated weapons. Attempts should be made to produce all such weapons in our country. The strength of Territorial Army should be 51 thousand.

The personnel of Border security force are getting more salary in comparison to military men. This disparity should be removed. I also demand that the officers should not be allowed to engage class IV employees in their domestic service.

Shri Mohammad Ismail (Barack pure) : The hon. Minister. in this speech, has tried to pacify the House with the assurance that every thing is right and that there is nothing to worry about. But he has not mentioned the extent to which we are dependent on foreign countries in the supply of war materials.

He has said that the production is increasing but he has not mentioned the deplorable economic conditions of the contract labour. The old procedure for recruiting the apprentices in Ichhapur Factory and Gun Shell Factory, Cossipar where deaths take place so often, has been discontinued for last two year resulting in all sorts of corruption in this matter. Thousands of youngmen, who served in this Ichhapur Factory, have been retrenched from it and nothing is being done for their re-employment. In these circumstances, the hon. Minister can not claim that things are alrights.

I would like to know whether the British way of educating the Army has been changed now and military personnel are asked to treat the agitating Indians as the enemies of the country. Was it necessary to deploy military in West Bengal before the elections ? How can we expect the sympathy of the people with our military when military personnel and C. R. P. are intrusted with oppression of their fellow contrymen ? If the services of the Army are utilised in constructive work, like help of refugees. flood control e. t. c. people would certainly have affectious for them. But it is quite strange that Government are utilising their services in destructive activities which cause hatred of the people towards our Army. If you deploy tne army there it will create a feeling of pride among tee public and will feel that army is for their defence and security. But that is not being done. It is being used against our youths, farmers and students. Army should not be used in this way.

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : रक्षा मन्त्रालय के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि रक्षा मन्त्रालय के प्रभारी अधिकारी और सेनायें राष्ट्रीय सुरक्षा को हो रहे खतरे के कारण रक्षा के सम्बन्ध में बदली हुई स्थिति से पूर्णतः अवगत हैं। चीन द्वारा बनाये गए अणुबम का इसमें विशेष भाग है। हमारा यह सोचना कि चीन अणुबम का उपयोग हमारे विरुद्ध नहीं करेगा क्योंकि उस दशा में आणविक शक्ति से सम्पन्न देश कोई कार्रवाई करेंगे। ऐसी आशा रखना बेकार है, और हम इस समय बंगला देश के सम्बन्ध में इन देशों के रवैये को देख ही रहे हैं। वे हर मामले में अपना हित देखते हैं मानवीय हित नहीं। अतः हमें चीन की ओर से ऐसी किसी कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और अणुबम के निर्माण के सम्बन्ध में एक निश्चित नीति का निर्धारण करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि रक्षा मन्त्री इस सम्बन्ध में स्थिति को देखते हुए बुद्धिमत्ता का पूर्ण परिचय देंगे।

सेना में भरती के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश पिछड़ा हुआ है। उस क्षेत्र में सेना के स्थानों के सम्बन्ध में विज्ञापन नहीं दिए जाते। परिणाम स्वरूप बहुत से सेना में जाने के इच्छुक शिक्षित युवक उसमें जाने से वंचित रह जाते हैं। आशा है इस ओर ध्यान दिया जाएगा।

देश में विद्यमान रक्षा की स्थिति को देखते हुए सामरिक दृष्टिकोण से क्या यह अच्छा नहीं है कि एक सहायक राजधानी दक्षिण में रखी जाए और संसद का एक सत्र दक्षिण के किसी एक राज्य में हो।

डा० मेलेकोट (हैदराबाद) : देश की सुरक्षा से संबन्धित वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं रक्षा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

रक्षा सामग्री के निर्माण के लिये हमने बहुत से कारखाने स्थापित किए हैं। उनमें विश्व

भर में उपलब्ध अच्छी से अच्छी मशीनें लगाई हैं, तथा वहां काम करने वाले कर्मचारी तथा अधिकारी भी कुशल और कर्तव्य परायण हैं, पर इन सब बातों के होते हुए भी उत्पादन संतोषजनक नहीं है जबकि वर्तमान उत्पादन दुगना और तिगना होना चाहिये। जब यह पाकिस्तान और चीन की लड़ाई के समय हो सकता है तब यह अब क्यों नहीं हो सकता। इस दिशा में सरकार क्या कर रही है। यदि सरकार चाहे तो स्थिति में सुधार हो सकता है।

इन कारखानों में लगी मशीनें अब भारत में बन सकती हैं पर वे अभी भी विदेशों से आयात की जाती हैं, पर यहाँ आने पर उनसे दो-तीन गुना कम उत्पादन किया जाता है। फिर हमारे यहां उत्पादित सामान कभी-कभी विदेशों से मंगाये सामान से महंगा पड़ता है। इसके लिए सरकार को चाहिये कि वह कर्मचारियों का सहयोग ले और प्रबन्ध में उन्हें प्रतिनिधित्व दे। इस प्रकार यदि आप रक्षा विभाग में सुचारू रूप से काम करके अन्य उद्योगों के लिए उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। अतः रक्षा मंत्रालय को इस विषय को गम्भीरता से लेकर रक्षा के लिए आवश्यक सामग्री का पर्याप्त उत्पादन देश में करने का प्रयत्न करना चाहिए।

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : रक्षा की बात करते समय बंगला देश का उल्लेख असंगत नहीं है। जबकि सारा विश्व बंगला देश की समस्या से चिन्तित है उस दशा में माननीय सदस्यों का भी उससे चिन्तित होना स्वाभाविक है।

एक देश की रक्षा कई बातों पर निर्भर करती है जैसे कि पड़ोसी देशों से हमारे संबन्ध, विश्व के अन्य देशों से सम्बन्ध हमारी विदेश नीति, आन्तरिक नीति आदि। रक्षा नीति पर विचार करते समयबातों सब इन को ध्यान में रखना होगा···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण सोमवार को फिर दें।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधान कार्य
PRIVATE MEMBERS LEGISLATIVE BUSINESS

उपाध्यक्ष महोदय : अब गैर सरकारी सदस्यों का विधान कार्य लिया जायेगा।

सीमा आयोग विधेयक
BOUNDARY COMMISSIONS BILL

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के बीच और संघ राज्य क्षेत्रों तथा राज्यों के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिए एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, कि राज्यों के बीच और संघ राज्यक्षेत्रों तथा राज्यों के बीच सीमा विवाद निपटाने के लिये एक स्थायी सीमा आयोग के गठन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adoped

श्री मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुर स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(अनुच्छेद 19 और 326 का संशोधन)

Dr. Laxminarain Pandey (Mandsaur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

''कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

Dr. Laxminarain Pandey : I introduce to Bill

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
अनुच्छेद 23 क, 23 ख, 23 ग, का अन्त:स्थापन

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 368 का संशोधन)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I bag to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Atal Bihari Vajpayee : I introduce the Bill

अग्न्यायुध और गोला बारूद कब्जे में रखना विधेयक
POSSESSION OF FIRE-ARMS AND AMMUNITIONS BILL

Shri Ram Ratan Sharma (Banda) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the possession of fire-arms and ammunition by certain category of citizens and to repeal the Arms Act 1959.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकों के कतिपत प्रवर्ग द्वारा अग्न्यायुध और गोलाबारूद कब्जे में रखे जाने की व्यवस्था करने तथा आयुध अधिनियम, 1959 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adoptod

Shri Ram Ratan Sharma : I introduce the Bill

संपरिवर्तन रोक विधेयक— जारी

PREVENSICN OF CONVERSION B'LL—CONTD

श्री जी० विश्वनाथन (वन्डीवाश) : मैं इन सिद्धान्त के विरुद्ध हूं कि हमारा कोई न कोई धर्म होना ही चाहिए। किसी भी धर्म में रहना मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी।

धर्म ने संसार का इतना लाभ नहीं किया जितना की नुकसान विश्व भर में समय-समय पर धर्म के नाम पर कितनी लड़ाईयां और अत्याचार हुए इनका कोई और छोर नहीं है। हजारों लाखों आदमियों की धर्म के नाम पर हत्या हुई है। अतः मनुष्य को अपना धर्म चुनने की छूट होनी चाहिए वह उस पर लादा क्यों जाये।

विधेयक में मांग की गई है कि अवयस्कों को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह ठीक है क्योंकि कई प्रकार लालच आदि देकर धर्म परिवर्तन किये गये। पर फिर भी हमें देखना है कि क्या कारण है कि हजारों हरिजनों और पिछड़े लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया। इस्लाम धर्म स्वीकार किया। हिन्दु धर्म में विद्यमान अस्पृश्यता तथा हरिजनों को समान अधिकार प्राप्त न होने के कारण ऐसा हुआ। जब तक यह जाति प्रथा इस देश में रहेगी अस्पृश्यता समाप्त नहीं हो सकती और इनका मूल आधार हमारे वेद, पुराण आदि हैं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I oppose this Bill. I have seen the poor condition of the people belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes. They do not have any place in the society. But the missionaries embrace them, they help them, they serve them in difficulties and that is why these people adopt Christanity.

ग्रह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहसिन) : विधेयक को गलत समझा गया है उसके खण्ड 4 में यह बात है कि किसी भी अवयस्क व्यक्ति को अपना धर्म बदलने का अधिकार नहीं है न कि यह कि किसी भी अव्यस्क का धर्म परिवर्तन न किया जाये। यदि यह बात होती तो मैं एक दम राजी हो जाता।

विधेयक के खण्ड 3 में कहा गया है कि प्रत्येक अव्यस्क का धर्म उनके माता पिता के अनुसार होना चाहिए। पर उस बच्चे के धर्म का क्या होगा जिसका पिता एक धर्म मानता है और माता दूसरा जैसे कि श्री दण्डपाणि के बच्चों का धर्म क्या होना चाहिए क्योंकि वे स्वयं हिन्दु हैं और उनकी पत्नी ईसाई। ऐसी सम्भावना का विधेयक में कोई उत्तर नहीं है।

खण्ड 6 में कहा गया है कि एक व्यस्क व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे पहले जिलाधीश से अनुमति लेनी होगी। मैं नहीं समझता कि एक समझदार व्यस्क के लिए ऐसी अनुमति लेना क्यों आवश्यक होना चाहिए। उसे सोचने और समझने की पूरी छूट है। इस प्रकार की छूट देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 25 (i) का निर्माण किया गया जिस पर बहुत लम्बे समय तक एक उप-समिति ने विचार किया था। उसमें कहा गया है कि इस प्रकार कि कोई रोक केवल सामान्य व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में ही लगाई जा सकती है अन्यथा नहीं।

बल प्रयोग अथवा प्रलोभन देने अथवा अन्य किसी भी छलकपट को निश्चय ही सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध माना जा सकता है। अतः विधान मंडल कानून बनाने के लिये सक्षम है। तदनुसार मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों ने कानून बनाया है। परन्तु यह आवश्यक नहीं था क्योंकि भारतीय दण्ड संहिता में पहले से ही पर्याप्त उपबन्ध है। बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 352, 506 और 580 ही पर्याप्त है।

ऐसा कहा गया है कि धर्म-परिवर्तन मन के आधार पर ही होना चाहिये। परन्तु मन 21 वर्ष की आयु से पूर्व भी प्रेरित हो सकता है। यह सिद्ध करने की कोई ऐसी बात नहीं है कि 21 वर्ष की आयु से पूर्व किसी व्यक्ति का मन प्रेरित न हो।

इस विधेयक पर बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने समझा कि नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के लिये प्रलोभन दिया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता में पहले से ही इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रतिबन्ध हैं और यहां तक कि राज्य विधान मण्डल सार्वजनिक व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई भी विधान पारित करने में सक्षम हैं। यह राज्य सूची का विषय है। अतः इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur) : The center must not shirk its responsibility merely by saying that it is a State Subject. Because forcible conversion mostly takes place among tribals and Harijans. According to the Directive Principles, enshrined in our constitution, they must be free from exploitation. It is not fair on the part of the Government to remain passive spectator to the exploitation of the vulherable section of our society.

I referred to education only because there is no proper arrabgement of imparting primary education. The hon. Minister replied that a sum of Rs. 900 crores would be required if primary education made free and compulsory. That does not mean that this matter should be thrown in the hands of foreign missionaries. I gave the example of Nagaland for the reason that forcible conversion affects the body-politic of the country.

The Niyogi committee has stated in its report that "conversion are mostly brought about by undue influence, misrepresentation etc, or in other words, not by conviction but by various inducements offered for proselytization in various forms." If law is amended then that is, of course, understable, but as at present forcible conversion is dangerous thing.

People from European countries take minors from India.. They want babies from India, Vietnam and Africa. In the scandanavian countries, these children are kept as servants. With a view to exploiting the poverty of the country these people take the children there.

Thus there is the question of forcible conversion of minors. In this context I referred to an instanec of a mother. The child has so far been not returned to the mother. Is the Government not aware of this? There is no law to restrict this forcible conversion.

Several cases of the girls from Kerala being sent abroad as nuns have come to our notice. They are in a very miserable condtition in foreign countries.

Therefore, I wanted that the conversion of minors be forbidden by law.

To-day large-scale conversions are taking place among tribals and Harijans because they are poor.

The Central Government should give assurance to bring forward such a bill. It is our ideology that no forcible conversion should be allowed. Therefore, I have brought forward this Bill and request the Government to assure us to bring forward its own bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अवयस्क व्यक्तियों के धर्म संपरिवर्तन का निर्बन्धन करने पर विचार किया जाये ।"

प्रस्वाव अस्वीकृत हुआ

The motion was Negatived

संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक

PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALFIFICATION) AMENDMENT BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री एन० श्री कान्तन नायर द्वारा प्रस्तुत संसद् निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक पर विचार करेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मेरे दान कर अधिनियम संशोधन विधेयक का दूसरा स्थान था । उसे तीसरा स्थान कैसे दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे विधेयक को 'ए' श्रेणी प्रदान कर दी गयी थी ।

श्री एन० श्री कानन्तन नायर (क्विलोन) : मेरा विधेयक संसद (निरर्हता निवारण अधिनियम, 1959 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए है । मेरे विधेयक के उद्देश्य और कारण) निम्न प्रकार हैं ।

यह अधिनियम अनुसूची के भाग एक में रखा गया है जिसमें यह बताया गया है कि केवल उन सरकारी उपक्रमों और कम्पनियों में, जैसी कि वे उस समय चालू थी, यह वांछनीय समझा गया कि उनके निदेशक मंडलों में संसद सदस्य हो सकते हैं । उसके बाद राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में

कई सरकारी कम्पनियां बन गई हैं । राज्य सरकारों ने राज्य स्तर पर कम्पनियों के निर्देशक मंडल में उन संसद सदस्यों को मनोनीत किया है जो सरकारी क्षेत्र की आवश्यकता, कारगरता और कुशलता में विश्वास रखते हैं। अधिकांश मामलों में, इन कम्पनियों ने इस विश्वास को झूटा सिद्ध कर दिया है कि सरकारी उपक्रम केवल हानि पर ही चल सकते हैं।

किन्तु संसद की संयुक्त समिति ने लाभ के पदों के सम्बन्ध में विचार करते हुये कुछ मामलों को अपने ध्यान में रखा है कि सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के निदेशक मंडलों की सदस्यता, जिन्हें विशेष रूप से संसद (निर्रहता निर्वारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची के भाग एक में छूट नहीं दी गई है, को 'लाभ का पद' के रूप में समझा जाये ।

चूंकि पहले संसद की संयुक्त समिति में दिए गए अभ्यावेदन निष्फल सिद्ध हुये हैं, अत: यह विधेयक देश की जनता के उन प्रतिनिधियों की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया है, जो समाजवादी समाज को उभारने के लिए सरकारी क्षेत्र का विकास करने में विश्वास रखते हैं। इन्हें इन उद्यमों को लाभ पर चलाने हेतु अपने व्यापक अनुभव का प्रयोग करने के लिये सरकारी क्षेत्र में कम्पनियों के निर्देशक मंडलों के सदस्यों के रूप में कार्य करना है ।

श्रीमान, यह बहुत सरल विधेयक है जिसका अभिप्राय 1959 के अधिनियम 10 की धारा 3 का संशोधन करके 'लाभ के पद' की परिभाषा के क्षेत्र से सरकारी के, क्षेत्र की कम्पनी निदेशक मण्डल की सदस्यता को हटाना है। सरकार के नियंत्रण और स्वामित्व की दोहरी स्थिति को देखते हुए इस विधेयक के क्षेत्र को जानबूझ कर सीमित किया गया है ताकि यह संसद यदि चाहे तो, अपनी सामुहिक बुद्धि से इसके क्षेत्र को बढ़ा सके ।

दूसरी लोक सभा का आशय, जिसने इस अधिनियम को बनाया । इस विधेयक क्षेत्र को बढाने का था जो कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है ।

दूसरी लोक-सभा की संयुक्त समिति ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश की थी जो इस प्रकार है ?

(1) संसद सदस्यों को सरकारी क्षेत्र में सांविध्कि और गैर-सांविधिक निकायों में नियुक्त करना होगा,

(2) केवल यह सीमा लगाई गई है कि उन्हें 'प्रतिकर भत्ता' के अतिरिक्त कोई अन्य राशि नहीं दी जानी चाहिए, जिसकी परिभाषा ससद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) में दी गई है । परन्तु चौथी लोक-सभा की संयुक्त-समिति ने इस दृष्टिकोण के सर्वथा विपरीत निर्णय किया ।

"पुनर्वास उद्योग निगम" के बारे में की संयुक्त समिति द्वारा गई यह सिफारिश संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में निहित सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल है । यह सिफारिश संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 को संसद (निरर्हता लागू करना) अधिनियम में बदल देती है ।

चौथी लोक-सभा की संयुक्त समिति ने यह निर्णय किया कि निरर्हता के लिये मूल मानदंड 'कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग तथा प्रभाव जमाना और संरक्षण देना" होना चाहिये इसी बात को लेकर चौथी लोक सभा की संयुक्त समिति ने कुछ उपक्रमों के निदेशकत्व की निरर्हता की सिफारिश की।

मूल अधिनियम में बम्बई पत्तन और छोटे पत्तनों के न्यायधारियों को निश्चित और विशेष रूप से छूट दी गई है। अतः किसी भी विधेयक को पारित करते समय केवल उन्हीं सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

परन्तु दुर्भाग्यवश इस समिति ने मूल अधिनियम के विपरीत जाने का निर्णय किया। पारादीय और मर्मागोआ पत्तनों के मामले में बोर्ड की सदस्यता तक को निर्रहित घोषित कर दिया गया।

मूल अधिनियम के अनुसार संसद् सदस्य 'एम. पी. हाऊसिंग बोर्ड' के सदस्य बन सकते थे परन्तु इस संयुक्त समिति ने बोर्डों न इनकी सदस्यता को अनर्ह घोषित कर दिया।

ज्ञापन संख्या 22 3 के आधार पर, केरल राज्य नारियल जटा निगम लिमिटेड का प्रश्न, संयुक्त समिति की 28 वीं बैठक में उठाया गया था। इसमें श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री एन० श्रीकांतननायर और केरल के अन्य संसद सदस्यों का साक्ष्य प्राप्त किया गया था और केरल सरकार से जानकारी प्राप्त करने के अन्तिम निर्णय को रोक दिया गया था। 36 वीं बैठक में इस प्रश्न पर फिर विस्तृत रूप से विचार किया गया समिति को यह पता चला कि निर्देशकों के बैठक में भाग लेने के लिए 25 रुपए प्रतिदिन की दर से फीस मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता। तथापि समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि निदेशक मण्डल के पास बहुत अधिक राजकीय और वित्तीय शक्तियां भी होती हैं, अतः उन्हें निरर्हता ही नियुक्ति नहीं हो जानी चाहिये।

आज के क्रान्तिकारी युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। भारत के लोगों ने श्रीमति इन्दिरागांधी के समाजवाद के सिद्धान्त को स्वीकार कर उन्हें भारी बहुमत प्रदान किया है। अब लोग चाहते हैं कि वह अपने समाजवादी कार्यक्रम को लागू करने के लिए यदि चाहे तो संविधान में भी परिवर्तन कर ले। पांचवीं लोक-सभा की रूपरेखा तो चौथी लोकसभा से पूर्णतया भिन्न है।

मेरे विचार से उत्पादन और वितरण के मुख्य साधनों का समाजीकरण समाजवाद की ओर पहला कदम है। इसीलिए मेरा यह अनुरोध है कि केवल सरकारी क्षेत्र की क्षमता में विश्वास करने वाले संसद सदस्यों को ही, सरकारी उपक्रमों से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। यदि हम वास्तव में तक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते है। तो उसके लिए ऐसा करना अनिवार्य है। ऐसा करने से ही हमारे "गरीबी हटाओ" के नारे की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

आप यहां प्रश्न उठा सकते हैं कि निदेशक बोर्ड में संसद सदस्यों के होने से क्या लाभ हो सकता है ? मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सदस्यों को अध्यक्ष अथवा सचिव के रूप में भेजने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि सदस्यों के रूप में, सदस्य के रूप में वे अपने अनुभव

महत्ता और प्रतिष्ठा से संगठन की विभिन्न गतिविधियों को समन्वित कर सकते हैं, उन्हें उचित ढ़ग से चलवाने में सहायता कर सकते है। यदि समाज की समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही करे कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उचित ढंग से कार्य करें तब ही सरकारी क्षेत्र के एककों का निर्माण किया जा सकता है, तभी उन्हें उस दयनीय स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है जिसमें कि वह आज फसें हुये है। हां, इस सम्बन्ध में सरक्षण और प्रभाव के प्रश्न को उठाया जा सकता है। परन्तु वह एक पुराना विचार है।गत चुनावों से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई है कि लोग केवल कार्य को महत्व देते हैं किसी की कार्यगत शक्ति को नहीं।

इसीलिए मैं अन्त में इस सरकार और सभा से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उसे भविष्य में अपनायी जाने वाली समाजवादी प्रवृतियों के नाम पर और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों पादक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए इस विधेयक को स्वीकार कर, इसे कानूनी रूप दे देना चाहिए।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता। प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य, सरकारी क्षेत्र के निदेशक मण्डलों के सदस्य बनाने के लिए संसद सदस्यों की निरर्हता को दूर करने का है। विधेयक प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि कुछ राज्य ने पहले ही निदेशक मंडलों में संसद सदस्यों को मनोनीत कर रखा है। अब उनका मनोरथ सभा में विधान अधिनियमित कर, इसे नियमित करने का है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कोई संसद सदस्य तभी निदेशक मंडल का सदस्य बन सकता है जबकि वह किसी भी प्रकार का वेतन या भत्ता न लेता हो और केवल मात्र अवैतनिक सदस्य के रूप में कार्य करता हो।

इसके साथ ही, एक तर्क यह भी दिया गया है कि यदि संसद सदस्य को निदेशक मंडल में सम्मिलित किया जाता है तो वह सरकारी क्षेत्र में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करने के लिए अधिक सहायक हो सकता है।

मुझे इस सम्बन्ध में केवल यही कहना है कि संसद सदस्यों को एक ओर तो लोकसभा सचिवालय की ओर से संसद सदस्य के नाते भत्ता मिलता है, फिर भला यह दूसरी ओर से भत्ता कैसे प्राप्त कर सकते है। दूसरी बात यह कि प्रत्येक संसद सदस्य की निष्ठा देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना में कैसे हो सकती है? अतः मैं इस विधेयक को इस सभा में स्वीकार करने को तैयार नहीं। हाँ, यदि विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य, यह संशोधन स्वीकार करलें कि जो संसद सदस्य इन निदेशक मंडलों मे कार्य करेंगे, उन्हें किसी प्रकार का वेतन या परिपूरक भत्ता नहीं दिया जायेगा।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Chairman, sir, I agree with Shri Srikantan Nair that public should have greater control over the public undertakings through their elected representatives. I further accept that bareancracy must be ended and efficiercy of public undertakings increased. But inspite of all this I oppose the Bill.

I think Shri Nair is not fully aware of the meaning of socialistic economy.

I do not agree with his argument that if a Member of Parliament is associated with Board of Directors of a Public undertaking, he would be able to usher in an era of Socialism in the country. On the other hand it is the experience of many socialist countries that the technocrats are taking place of politicians. A Member of Parliament is not supposed to have all necessary knowledge required to run a Public Undertaking. I fully agree with my friend Shri Dasaratha Deb, that there can not be any objection if Members work in an honorary capacity.

Already, a good number of facilities have been thrown at the disposal of Members of Parliament. They should not be allowed to have more and more facilities in the name of efficiency and socialism.

Socialism means the rights of workers and their control over all undertakings. If the intention of the Mover of the Bill is to increase the efficiency, loosen the hold of bureaucracy, I am sure, the persent Bill in the present form can not achieve these ends. There cannot be continuity of office if a Member is appointed. Member of the Board of Directors, because the tenure of a Member of Parliament is only five years. If a Member is convinced that he could do more service by joining the Board of Directors of a Public Undertaking; he should first resign from the Membership of Lok Sabha and then after his full time services for the cause of the country. Because of short comings. I cannot support the Bill.

Dr. Kailas (Bombay South) : Mr, Chairman. sir. I am thankful to Mr. Nair for bringing forward a Bill for the efficient working of Public Undertakings. But I do not agree with him when he says that only a Member of Parliament can inject more efficiency and minimise the losses in a public undertaking. In fact the Status of a Member of Parliament is much higher than that of a Member of the Board of Directors of a Public Undertaking. Because a Member of Parliament, while being Member of Public Undertaking Committee can give directors to an undertaking. The recommendations of Members of Parliament are for more effective and carry more weight than those of Board of Directors.

We are having a Joint Committee of Public Undertakings. Let us have our faith in the Members of this committee. I am sure that there is going to be a drastic change in the approach and functions of this Committes, which will usher in an era of socialism. I strongly feel that this work should be left o the new Committee. With these words, I appose the Bill.

Shri R. R. Sharma (Banda) : Mr. Chairman. sir, I rise to oppose the Bill moved by Shri Nair. While I appreciate the intention of the Mover, I do not think that by passing this Bill, the undertakings will start earning profits and their efficiency will increase overnight. I am a new Member to this House. There are persons who have got 10 to 15 years experience at their credit.

The Members of Parliament have already got so many privileges and facilities. It would not be proper to increase them any more. It is also not necessary that only M. Ps. are the most competent persons. There are so many technicians who are experts in their respective fields.

This Bill would also open the doors of undesirable political interference in the working of the Public Undertakings. If there are persons having different political learnings, then there is bound to be a conflict of ideas and principles which would not be in the

interest of t he undertakings. It will also provide more power to ruling party. All those persons who could not be accommodated in the council of Ministers, would be nominated in those bodies. I therefore, request the mover to withdraw the Bill.

श्री जी० विश्वनाथन् (वाण्डी वाश) : मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिश्रित अर्थ व्यवस्था में एक प्रमुख नियन्त्रक भूमि का निभानी होती है। अभी वह स्थिति नहीं आई है कि इन कम्पनियों का प्रबन्ध केवल कर्मचारियों को ही सौंप दिया जाय। अभी इन उपक्रमों का प्रबन्ध सरकार द्वारा नामनिर्देशित अथवा शेयरधारियों द्वारा चुने गये व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

कुछ वक्ताओं ने यह मत व्यक्त किया कि संसद सदस्यों को ऐसी कम्पनियों के प्रबन्ध का कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। अगर कोई संसद सदस्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में दक्ष है, तो उसे प्रबन्धक-बोर्ड का सदस्य बनने से नहीं रोका जाना चाहिए।

यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का प्रश्न कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है संसद सदस्यों को यात्रा भत्ते का दावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रथम श्रेणी से यात्रा करने का पास मिला हुआ है। समावधि में उन्हें मंहगाई भत्ते की भी मांग नहीं करनी चाहिए परन्तु जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब मँहगाई भत्ते का दावा किया जा सकता है।

डा० कैलाश ने यह कहा कि संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति है, जो सर्वोच्च बोर्ड है। इसलिए संसद सदस्यों को सरकारी उपक्रमों के बोर्ड का सदस्य नहीं बनना चाहिए। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का केवल उन उपक्रमों पर ही नियन्त्रण है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है। राज्य सरकारों के उपक्रमों पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं है; अतः संसद सदस्यों द्वारा सरकारी उपक्रमों के बोर्ड का सदस्य बनने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

विधायकों द्वारा निदेशक बोर्ड का सदस्य बनने पर कोई भी रोक नहीं है; अतः इस प्रकार की संसद सदस्यों पर रोक लगाने की कोई भी तुक नहीं है।

संभव विधेयक का प्रारूप ठीक न हो परन्तु इसमें अन्तर्निहित सिद्धान्त का मैं समर्थक हूँ मुझे आशा हैं मंत्री महोदय भी इस विधेयक के सिद्धान्त से सहमत होंगे।

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Some of the Members have criticized this Bill on the ground that the ruling party would nominate its own party men as Member as well as Chairman of the Board of Directors. There is nothing wrong in that, because such persons would project the policy of ruling party.

Every Member of this house, can not become a member of the Board of Directors of Public Undertakings. Only such Members of the house, who have expert knowledge of some time should be appointed on these boards, Parliament is a supreme body and its Members should not be debarred from becoming directors of companies of Public sectors. The Govt. should not oppose this Bill. If there is any defect that should be removed.

It is not correct to blame always the bureaucrats and say that do not functions well. The Nizam Sagar Factory, which is being run by an I.A. S. officer is making an yearly profit of Rs. one crore.

The officers should set an example by their work in the Undertaking. The Members of Parliament should be there in the supervisory capacity to look after the functioning of the Undertakings. If we are appointed as directors then there may be an anamolous position in the House, because some members would try to support their colleagues who are directors, whereas other Members would criticise them. That is why we should not take direct responsibi ity of their functining.

The congress Party organisation and its members are equally responsible to futher the programmes and policies of the Congress Party and hence they may very well be included in the Board of Directors of Public Undertakings. There should be no objection to that, because the masses are with the ruling party.

The Members of Parliament should devote more time to their respective consti uencies. If they occupy themselves with so many other thing, they would hardly find time to look after the intrests of constituents.

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : I whole hearted support the Bill moved by Shri N. Shreekantam Nair. When a Member of Parliament can become a Minister and run the Government, there is no reason why Member of Parliament should not contribute towards the efficiency and better functioning of the Public Sector Undertaking, if he is called upon to hold the directorship of such companies. Shri Nair, who has moved the Bill is a renowned social worker and one of the senior Members of the House. He has not brought forward this Bill with any intention of personal benefits or higher pay and allowances etc.

There are many Boards such as Railway Board and P. and T. Board, which are at present manned by high officials. If elected representatives of the Public are allowed to be there on these Boards. they would definitely contribute towards better and efficient functioning of these Boards. Even the District Magistrate should be elected representative of the people so that people may not suffer. There should be more and more decentralisation of power.

It is wrong to think that Public Undertaking Committee Can look after these matters very well. Our past experience has not been happy. Some of P. U. C. Reports has been printed after three years of their submission. The Bineancrates had given wrong and false evidence and had tried to mislead the Committee.

If a Member of Parliament is Chairman or director of a Public Undertaking the burencrats and higher officials would dare not set at wroungly. The suggestions or recomendations of the Public Undertakings Committee. There are officials in the Bureau of Public Enterprises, who do not want the representation of labour in the management. If there is a public representative, he would certainly follow and support the labour. Not only that he would keep a watchful eye over the functioning of the undertaking. He would also carry forward the socialistic programme.

Almost in all the socialist countries, the elected representatives bear the responsibility of running such undertakings. The Members should have self confidence. They can bring about revolution in the country.

The elected representative would work honestly in comparison to the Bureaucrats, who do not believe in the policy of socialism. If the M. Ps. work in the Board of of Public Undertaking and carry forward the policy of socialism; the Bureaucrats would have to follow unit Thus this Bill would certainly be a step towards the goal of socialism.

विधि और न्याय मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह विधेयक गलतफहमी के कारण लाया गया है। मैं इस विधेयक के लाने के पीछे जो जा सिद्धान्त है उसका विरोधी नहीं हूं, मैं तो इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं कि वर्तमान कानून ही पर्याप्त है और यह विधेयक अनावश्यक है।

वर्तमान कानून में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि अगर कोई निदेशक के पद पर कार्य करने पर कोई संसद सदस्य पारिश्रमिक नहीं लेता, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। संसद सदस्य अपने द्वारा किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में यात्रा भत्ते जैसा प्रतिपूरक भत्ता ले सकते हैं और यह सरकारी उपक्रम का निदेशक अथवा अध्यक्ष बनने पर संसद सदस्य के लिये अयोग्यता नहीं होती।

अगर कोई कानून ऐसा बना दिया जाता है, जिसके अन्तर्गत पारिश्रमिक लेने पर भी उस पद को अयोग्य नहीं ठहराया जाता, तो यह संविधान के अनुच्छेद 102 और 193 के विरुद्ध होगा।

वर्तमान कानून में ऐसी कोई अयोग्यता नहीं है और जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि 1959 के अधिनियम के पारित होने के बाद लाभ पदों सम्बन्धी समिति 17 रिपोर्ट पेश कर चुकी है। अब तक सरकार की नीति लाभ पदों सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को कार्य रूप देने की रही है।

वर्तमान अधिनियम में अनुसूची दो भागों में है और माननीय सदस्य की आशंका का वास्तविक कारण यह है कि अनुसूची में उल्लिखित कुछ उपक्रमों के अध्यक्ष पद के लिये अयोग्यता ठहराई गई है और कुछ अन्य उपक्रमों के सचिव और अध्यक्ष दोनों ही पदों के लिये अयोग्यता ठहराई गई है। उक्त पदों के लिये चाहे पारिश्रमिक मिलता हो या न मिलता हो। वर्तमान विधेयक में निदेशक के पद को भी छूट देने का प्रस्ताव है, जो पहले से ही अधिनियम में है।

अगर संसद की संयुक्त समिति यह सिफारिश करती है कि निदेशकों को भी अयोग्य ठहराया जाना चाहिये, तो सरकार उस सिफारिश को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी।

अब नई लोक सभा ने नई संयुक्त समिति को गठित किया है और अगर यह समिति कोई सर्वसम्मत सिफारिश करती है, तो सरकार उस पर विचार करेगी। परन्तु उसे लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है।

समिति द्वारा प्रत्येक उपक्रम के कार्य के स्वरूप और पदों के साथ पारिश्रमिक दिया जाता हैं या नहीं और उसके पास कार्यकारी शक्ति है या नहीं यह निर्धारित करने के बाद ही उन्हें अनुसूची में सम्मिलित किया है। अगर वह उपक्रम कार्यपालिका का कार्य नहीं करती तो उसे छोड़ दिया जाता था, अन्यथा नहीं।

समिति की सिफारिशों के आधार पर ही कुछ उपक्रमों को वर्तमान अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि सदन से सलाह लिये बगैर सरकार एक तरफ कार्यवाही करती रही है। यह कुछ मामलों में अध्यक्ष और सचिव के पदों पर लागू होती है और कुछ में केवल अध्यक्ष के पदों पर। वर्त्तमान अधिनियम के खण्ड 3 के अनुसार इस प्रकार के पदों पर नियुक्त होने पर कोई व्यक्ति संसद सदस्यता के लिये अयोग्य हो

जाता है। अनुसूची में निदेशक के पद का उल्लेख नहीं है। वर्तमान अधिनियम के अनुसार अनुसूची में उल्लेखित संस्थाओं का कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सचिव नहीं हो सकता। अगर उक्त पदों के लिये कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता तो वह संस्थान अनुसूची में सम्मिलित है तो संसद सदस्य उक्त पदों पर कार्य कर सकते हैं।

नव गठित समिति इस विषय पर विचार कर सकती है और अगर वह सिफारिश करती है कि अयोग्यता वहां होनी चाहिए, तो सदन में विचार करके इस पर निर्णय लिया जा सकता है। परन्तु वर्तमान विधेयक अनावश्यक है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह बताया गया है कि अधिनियम की अनुसूची के उल्लिखित उपक्रमों पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। सही स्थिति यह है कि उक्त अनुसूची में इन उपक्रमों का उल्लेख है जिन पर अयोग्यता लागू होती है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाये।

श्री एन० श्री कान्तन नायर (क्विलोन) : सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य द्वारा व्यक्त अभियंतों से ऐसा पता लगता है कि उन्होंने विधेयक का अध्ययन नहीं किया है और इसलिए वे इसके विरुद्ध हैं। पारिश्रमिक का कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न है लाभ के पद की व्याख्या करने का। संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 1969 के अधिनियम के पारित होने के बाद भी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, उसके अनुसार कुछ पदों का लाभ का पद समझा जा सकता था, भले ही उन पदों पर रह कर कोई पारिश्रमिक या प्रतिपूरक भत्ता न लिया गया हो। ऐसे संगठनों में कार्य कर रहे संसद सदस्यों की अयोग्यता को समाप्त करने का संसद का यह प्रयास था।

सदस्यों के मन में इस विधेयक के बारे में गलत धारणायें हैं। विधेयक का लक्ष्य सीमित है और वह सिर्फ उन व्यक्तियों पर ही लागू होता है। जो सरकारी उपक्रमों के कार्य में सहायता दे सकते हैं अथवा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सक्ष्य माने जाते हैं। मैंने यह कहा था कि सभी संसद सदस्य समान रूप से सक्षम नहीं हैं। मेरे इस कथन का श्री बनर्जी ने यह अर्थ लगाया कि सभी संसद सदस्य समान रूप से ईमानदार नहीं हैं। हमें तथ्य को तो स्वीकार करना ही होगा।

केरल राज्य निगम के निदेशक-बोर्ड की सदस्यता के कारण श्रीमति सुशीला गोपालन को अयोग्य ठहराने का प्रयास किया गया था, और यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दुहरा पारिश्रमिक लिया है दैनिक भत्ते और बैठक शुल्क के रूप में। जब इसका सम्बद्ध सदस्य द्वारा खण्डन किया गया, तो यह आरोप लगाया गया कि इस पद के साथ कुछ अधिकार हैं।

श्रीमति सुशीला गोपालन को उनकी पार्टी की विरोधी पार्टी के मुख्य मन्त्री श्री अच्युत्तम मेनन की सरकार ने उक्त निगम में नाम निर्देशित किया था। वह वहां के मजदूर आन्दोलन से प्रारम्भ से ही सम्बद्ध रही थीं और वहां की प्रत्येक समस्या से परिचित थीं। यही कारण था कि उक्त निगम ने अपने पहले वर्ष में ही लाभ अर्जित किया।

तकनीकी विशेषज्ञों के स्थान पर राजनीतिज्ञों को नियुक्त करने की बात गलत फहमी के कारण कही गई है। तकनीकी विशेषज्ञ तो सरकारी और गैर-सरकारी प्रत्येक संस्थान में होते

हैं। वे अपना काम करेंगे ही। किसी भी संस्थान की सफलता अथवा असफलता तो संस्थान के प्रबन्धकों पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकता है और जो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उसे प्रबन्धक मण्डल में नियुक्त किया जाना चाहिए।

एक अन्य गलत धारणा यह व्यक्त की गई ये व्यक्ति इन संस्थानों के निदेशक बोर्ड में संसद सदस्यों के रूप में नियुक्त किये जाते हैं, इसलिए संसद सदस्य न रहने पर उन्हें निदेशक का पद भी छोड़ देना चाहिए। यह सर्वथा गलत है। ये व्यक्ति तो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने की वजह से वहाँ नियुक्त किये जाते हैं।

एक अन्य अनियत यह व्यक्त किया गया कि किसी सरकारी उपक्रम के निदेशक पद पर नियुक्ति की अपेक्षा संसद की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सदस्य बनना अधिक महत्व की बात है। इस समिति का कार्य तो संसद को सरकारी उपक्रमों की त्रुटियों और उनके कार्यों के दोषों की ओर संकेत करना है। यह समिति तो अभी हाल में स्थापित की गई थी। इसकी अपेक्षा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति पुरानी समितियां हैं। मैं प्राक्कथन समिति का सदस्य रह चुका हूं और इसका कार्य निदेशक-बोर्ड से सर्वथा भिन्न है। किसी भी उपक्रम के सफलतापूर्वक संचालन का दायित्व तो निदेशक बोर्ड पर ही है। समिति का कार्य तो शव-परिक्षा के समान है।

इस समिति का कार्य त्रुटियों और दोषों का उल्लेख करना है जिससे उन्हें दूर किया जा सके और दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जा सके।

मन्त्री महोदय ने यह बताया कि विधेयक के अन्तर्गत उन संस्थानों को लाया गया है जिनके लिए अयोग्यता है। मैं यह संशोधन करना चाहूंगा कि वे संस्थान या संगठन जिनके अन्तर्गत पदों पर कार्य करने से संसद सदस्य अयोग्य हो जाते हैं। कुछ निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता ठहराये जाने का मैं यह मतलब समझता हूं कि अन्य पदों पर नियुक्ति अयोग्यता नहीं होगी।

लाभ के पदों सम्बन्धी समिति गत 8 या 9 वर्षों से काम कर रही है और उसने कई सिफारिशें की हैं। मैंने अपने पहले भाषण में अनर्हता के बारे में 28 सिफारिशों को पढ़ा था। वह बार बार हिन्दी का उल्लेख करती हैं। परन्तु सरकार ने अब तक कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है। जब इस संयुक्त समिति के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि इस संयुक्त समिति ने अपने मूल दृष्टिकोण से भिन्न कार्यवाही की है। जो दूसरी संसद ने संसद (निरहर्ता निवारण) अधिनियम पारित करते समय अपनाया था। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि मेरे विचार संयुक्त समिति के सदस्यों को भेज दिये जायेंगे। फिर भी मैंने सोचा कि इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे सभी संसद सदस्यों को इस बात की जानकारी मिल सके। निदेशक बोर्ड में किसी संसद सदस्य को सम्मिलित करने मात्र से

समाजवाद नहीं आयेगा समाजवाद लाने के लिये उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है । इसका अर्थ यह है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चलाये जायें । परन्तु उनका संचालन ठीक ढंग से होना चाहिये । यह समझना गलत है कि मैं प्रबन्ध में श्रमिकों को सम्मिलित करने के विरुद्ध हूं । वास्तव में मेरा विचार यह है कि किसी परिपक्व बुद्धि वाले व्यक्ति को ऐसे बोर्ड का मार्गदर्शन करना चाहिये विशेषकर ऐसे समय पर जब हम इसका परिक्षण करना चाहते हैं ऐसे समय पर सरकारी उपक्रमों को सक्षम और अनुभव प्राप्त लोगों की सलाह के लाभ से केवल इस कारण वंचित नहीं रखा जाना चाहिये कि वे संसद सदस्य हैं । मैं विधेयक को वापिस लेने के लिये तैयार हूं मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि संसद (निरहर्ता निवारण) संशोधन विधेयक, 1971 को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Bill was, by leave Withdrawn

दान-कर (संशोधन) विधेयक

GIFT-TAX (AMENDMENT) BILL

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दान-कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

1958 में पारित दान-कर अधिनियम में कुछ अनियमितताएं हैं जिनको दूर करना पड़ेगा । वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकारी कर लगाते हैं और एक महीने की अवधि के भीतर करदाता अपील कर सकता है । वह दोबारा भी अपील कर सकता है । करदाता सम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रार्थना कर सकता है दो मूल्यांकको द्वारा किये गये मूल्यांकन के विरुद्ध एक बार वह फिर अपील कर सकता है । यदि ये दो मूल्यकांक परस्पर सहमत हो तो कोई समस्या नहीं है परन्तु यदि मूल्यांकन के बारे में उनमें मतभेद हो तो उस मामले को तीसरे मूल्यकांक को भेजना पड़ेगा । इसमें बहुत समय लगता है और कई प्रकार की कठिनाइयां और अनियमितताएं पैदा हो जाती हैं । दूसरी बात यह है कि मध्यस्थता की कार्यवाही का खर्च केन्द्रीय सरकार अथवा करदाता को बहुत करना पड़ेगा । अतः मैंने कुछ उपबन्धों को हटाने का प्रस्ताव रखा है आशा है कि सरकार इन सुझावों को स्वीकार कर लेगी । यदि नहीं तो सरकार इसे बताये कि इसमें क्या कठिनाइयां हैं ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इस विधेयक के प्रस्तावक का इरादा दानकर अधिनियम में कुछ प्रक्रियात्मक दोषों को दूर करने का है। सरकार स्वयं इनमें से कुक दोषों को दूर करना चहाती है और लोक सभा की प्रवर समिति ने कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1969 के सम्बन्ध में इस प्रस्तावित विधेयक के उपबन्धों की वास्तविकता पर विचार किया है और मिफारिश की है कि उपयुक्त मामलों में विलम्ब से की गई अपील में सहायक आयुक्त की ओर से कोई बाधा नहीं होनी चाहिये । मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं कि इन विधियों में से कुछ पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये जिससे प्रक्रियात्मक दोषों को दूर करने के उपायों पर विचार किया जा सके। परन्तु जिस रूप में माननीय सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया है वह सरकार को स्वीकार्य नहीं है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 12 जुलाई, 1971/21 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned till Eleven Of the Clock on Monday, July 12. 1971/Asadha 21, 1893 (Saka)

Ashoka Printing works Modinagar.

P.L.S. 48. V. 35, 71 (N)
490

© 1971 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
अशोका प्रिंटिंग वर्क्स, गोविन्दपुरी
मोदीनगर द्वारा मुद्रित ।

© 1971 By The LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED AT ASHOKA PRINTING WORKS, GOVINDPURI MODINAGAR.